Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम् सत्र, १९६५ का ८ वां दिवस [संख्या ६

सोमवार, दिनांक २७ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

(शिक्षा, राजस्व, समाज कल्याण, चिकित्सा, वित्त, पंचायत एवं खादी ग्रामोद्योग-विभाग)

वीर क्रान्तिकारियों की जीवन-गाथाओं का संकलन

११३. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले वीर क्रान्तिकारियों की जीवन-गाथाओं का संकलन कराया जाकर, उन्हें प्रकाशित कराया जाकर अनिवार्य पाठ्य-पुस्तकों में रखे जाने सम्बन्धी जो संकल्प दिनांक ३ अप्रेल, १९६४ को सदन द्वारा पारित किया गया था उसे क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देन वाले वीर क्रान्तिकारियों की जीवन-गाथाओं का संकलन श्री नाथूरामजी खड़गावत, निर्देशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार द्वारा किया जा रहा है। इनको कक्षा १ से ८ तक की पाठ्य-पुस्तकों में रखने के लिये एक कमेटी बनाई जा चुकी है। हायर सेकन्डरी बोर्ड किसी निश्चित पुस्तक बनने के बाद में पाठ्य-क्रम में रखने के लिये विचार करेगी। उदयपुर व जोधपुर विश्व-विद्यालय भी इस प्रश्न पर सहानुभूति-पूर्वक विचार कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने यह उत्तर भेजा है कि वह प्रस्ताव विश्व-विद्यालय की स्तर पर नहीं आता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह कमेटी कब से बनी हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कमेटी श्रीमती नगेन्द्रबाला का प्रस्ताव हाउस द्वारा पास किये जाने के बाद उसको इम्पलीमेन्ट करने के लिये बैठी है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं:

श्री जी. एन. शर्मा, रीडर-इन-हिस्ट्री,

श्री नाथूराम खड़गावत, एवं

श्री किशनचन्द, बोर्ड ऑफ सेकन्डरी एज्जूकेशन।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : खड़गावतजी ने इस संकल्प के पास होने से पहले क्या काम किया ?

Page No 2

श्री बृजसुन्दर शर्मा : संकलन का काम पहले से चल रहा था डायरेक्टर श्रॉफ श्रार्कियोलोजी हैं, वे, जितने भी क्रान्तिकारी हुए हैं, उनका इतिहास, उनकी जीवनी इकट्‌ठी कर चुके हैं । यह कमेटी इसलिये बैठी है कि वह यह देखेगी कि किस की जीवनी किस क्लास के लिये उपयुक्त है, किसकी जीवनी को किस किताब में रखा जाय ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : यह जिलेवार होगी या किस प्रकार की होगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राजस्थान-व्यापी होगी । राजस्थान के उन लोगों की जीवनियां होंगी जिनकी जिन्दगी से प्रेरणा मिलती हो ।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या उसमें माननीय सदस्य का भी जिक्र होगा ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): यह जो कमेटी बिठायी है वह कोई काम भी कर रही है या बैठी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कमेटी की जो सिफारिशें हैं वे श्रभी हमारे पास श्रायी नहीं हैं । कमेटी की सिफारिशें बहुत बड़ी हैं । वह यदि माननीय सदस्या देखना चाहें तो मैं उनको दिखा दूंगा । बड़ी रिपोर्ट है उन्होंने कक्षा तीन से लेकर कक्षा ८ तक निश्चित कर दिया है कि किस किस की जीवनी, उसका कितना हिस्सा किस पुस्तक में लिखना है, उसी क्रम से वे पुस्तक बनायी जायेंगी ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : श्री खड़गावतजी यह संकलन का कार्य कितने वर्षों से कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं, वे यह काम चार-पांच वर्षों से कर रहे हैं ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जो संकलन श्रब तक किया क्रान्तिकारियों की जीवनी का वह किसी उपयोग में श्राया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा कि मैंने निवेदन किया तीन-चार व्यक्ति इस काम में लगे हुए हैं; उन्होंने जितने भी क्रान्तिकारी हुए हैं उनकी जीवनी का सारा इतिहास लिखा है । उन्होंने करीब १२ हजार पेपर कटिंग्ज रेगुलेराइज किये; १८ हजार की कोनफीडेन्शियल फाइल्स, १ हजार प्रिन्टेड बुकलेट्स श्रादि देख कर उनका सब का लिट्रेचर इकट्‌ठा किया है । उनको इकट्‌ठा करके उनका संकलन करके उनकी रूपरेखा बनायी है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जैसा शिक्षा मंत्रीजी ने फरमाया कमेटी बनी है श्राशा है वह कमेटी जरूर कुछ काम करेगी । जब शिक्षा मंत्रीजी उस काम को देख रहे हैं तो मुझे श्राशा है वे जल्दी से जल्दी इस काम को करवायेंगे । श्रब तक तो उन क्रान्तिकारियों की जीवनियां श्रा जानी चाहिये । वर्तमान में जो लोग शहीद हो रहे हैं उनकी भी जीवनियां सामने श्रानी चाहियें । श्राशा है शिक्षा मंत्रीजी इस काम को जल्दी पूरा करवायेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा श्रनुमान है कि ६६ में इस काम को खतम किया जा सकेगा । श्रभी तक १८ हजार लोगों के बारे में लिखा जा चुका है श्रौर १३ हजार की इन्डेक्स बन चुकी है ।

प्रश्न संख्या ११४

श्री श्रध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

(श्रनुपस्थित—कृपया श्रागे देखिए)

राजकीय छात्रावास चूरू में बिजली व पानी की व्यवस्था

११५. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के राजकीय छात्रावास, चूरू में बिजली व पानी की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(२) क्या यह सही है कि बिजली की लाइन व पानी की पाइप लाइन छात्रावास भवन के बिल्कुल नजदीक से गई है ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में छात्रावास के व्यवस्थापक ने बहुत पहले से ही विभाग को लिख रखा है, परन्तु आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया ?

(४) क्या चालू साल में यहां बिजली व पानी की व्यवस्था करादी जावेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) छात्रावास में पानी की व्यवस्था है । बिजली की व्यवस्था के लिये अभियन्ता विद्युत् विभाग से बिजली लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(२) छात्रावास भवन से पानी की पाइप लाइन ७०० फीट की दूरी पर है जहां से कनेक्शन ले लिया गया है । बिजली की लाइन छात्रावास भवन से १३००।१४०० फीट की दूरी पर है ।

(३) छात्रावास के व्यवस्थापक को राजकीय छात्रावास भवन में जन सहयोग से नल व बिजली लगवाने की अनुमति इस कार्यालय के पत्र संख्या एल। डब्ल्य। होस्टल। १६२।५६०७० दिनांक २६-११-१९६४ के द्वारा दे दी गई थी । किन्तु उनके द्वारा यह व्यवस्था नहीं हो सकी है ।

(४) पानी की व्यवस्था गत वर्ष कर दी गई थी । बिजली की व्यवस्था को यथा-सम्भव इस वर्ष करने का प्रयास किया जावेगा ।

श्री रावतराम : बिजली की व्यवस्था कब से कर रहे हो, क्या एस्टीमेट आये हैं । यह कब तक होगा, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा है कि पहले यह काम जन सहयोग से करने की तजवीज थी इसलिये उस तजवीज को फौरन स्वीकृति दे दी थी । अब जितना जन सहयोग से हुआ, अब बिजली नहीं आ पाई है तो हमने उसके एस्टीमेट्स मंगा लिये हैं । विभाग की ओर से ये आ चुके हैं । यथा-सम्भव इस वर्ष इसे पूरा कर दिया जावेगा ।

श्री रावतराम : जन सहयोग के लिये किसने लिखा था ?

श्री अमृतलाल यादव : वहां के समाज कल्याण अधिकारी ने लिखा था ।

श्री रावतराम : यही तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन दे रहा था जन सहयोग, ऑफिस वाले कागजों में लिखकर दे देते हैं तो आप मान लेते हैं कि जन सहयोग मिल गया ?

श्री अमृतलाल यादव : लेकिन अब तो आपको बता दिया कि हम विभाग की ओर से ही लगवा रहे हैं ।

श्री रावतराम : मैं उम्मीद करूं कि इस साल के आखिर तक यह हो जावेगा ?

Page No 4

श्री अमृतलाल यादव : हां, यही कोशिश हम कर रहे हैं ।

प्रश्न संख्या ११६

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ११७

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

जयपुर की सेवा सदन नामक संस्था

११८. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) [**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) विमुक्त जातियों के उत्थान के लिये श्री कल्याण विद्यार्थी द्वारा जयपुर में बनाई गई सेवा सदन नामक संस्था का मुख्य कार्यालय कहां है और इस संस्था के पदाधिकारी कौन कौन हैं तथा इसकी अब कहां कहां क्या क्या कार्यवाही चल रही है ?

(२) इस संस्था का पंजीकरण कब हुआ है ?

(३) इस संस्था को सरकार द्वारा अब तक किस किस कार्य के लिये कितना कितना अनुदान दिया गया ? कृपया वर्ष-वार तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें और यह भी बतायें कि इस अनुदान का कितना उपयोग हुआ है ?

(४) क्या इस संस्था का नियमित रूप से ऑडिट हुआ है और ऑडिट रिपोर्ट्स समाज कल्याण विभाग को पेश होती रही है ? यदि हां, तो सन् ६२ से लेकर अब तक की ऑडिट रिपोर्ट्स की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या इस संस्था के कार्य संचालक के लिये कोई नियम व उप-नियम संस्था द्वारा बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) इस संस्था को राज्य सरकार द्वारा किस कार्य के लिये किन किन शर्तों पर पर कितनी भूमि दी गई व कब दी गई थी ? इस शर्तनामे पर संस्था की ओर से किसके दस्तखत हैं ? कृपया ऐसे शर्तनामे या सरकारी आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(७) इस समय संस्था के अधिकार में कितनी भूमि है और उसकी खातेदारी किसके नाम है तथा इस भूमि की आमदनी का जमा-खर्च कहां हुआ है और किस किस वर्ष में कितना कितना ?

(८) संस्था के कब्जे से बाहर कितनी कितनी जमीन किस किस के अधिकार में है ? क्या इस संस्था ने इस भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी दूसरे को देने के लिये कोई प्रस्ताव पास किया है ? यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों वाली बैठक की प्रोसीडिंग्स की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

समाज कल्याण मंत्री (**श्री अमृतलाल** यादव) : (१) विमुक्त जातियों के उत्थान के लिये श्री कल्याण विद्यार्थी द्वारा जयपुर में

Page No 5

(श्री अमृतलाल यादव)
बनाई गई सेवा सदन नामक संस्था के बारे में कोई जानकारी समाज कल्याण विभाग में नहीं है और न ही इस विभाग द्वारा इस संस्था को सहायता दी जाती है ।

(२) से (८) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह अगर उनके विभाग से सम्बन्धित नहीं था तो दूसरे विभाग को दे देते; अध्यक्ष महोदय को दे देते कि इस प्रश्न के इस भाग का तो यह उत्तर है बाकी दूसरे विभाग के नाम से क्वेश्चन और पुट-अप हो जाता ।

श्री अमृतलाल यादव : मेरे विभाग से जितना सम्बन्ध था उतने का उत्तर मैंने दे दिया, बाकी की जिम्मेदारी मेरे पर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अब किस विभाग को भेजा जावे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट की तरफ से तो कोई बतावे न कि यह प्रश्न कहाँ जावेगा । सदन में प्रश्न चूंकि यह उठ चुका है तो उत्तर तो मिलेगा ही । अब कौन सरकार की तरफ से जवाब देगा । सीनियर मिनिस्टर तो दामोदर लालजी बैठे हैं, वे बतावें । This is very important question.

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : सेवा सदन की क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसके फंक्शन्स हैं, ये सब बातें आप नहीं बतायेंगे तब तक मुश्किल है यह बताना कि यह किस विभाग से ताल्लुक रखता है । अगर यह का काम दलित वर्ग में करता है तो सोश्यल वेलफेयर से इसका सम्बन्ध होना चाहिये । अब अगर नहीं है तो इसकी जानकारी आपको ज्यादा हो सकती है; गवर्नमेन्ट को नहीं होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन रहे हो । सब कुछ आपको पता होते हुए भी ऐसा शो कर रहे हो जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है । जिस किसी विभाग से भी जिसमें गया हो, उत्तर तो आना चाहिये, अगर इस विभाग को पूरी जानकारी नहीं थी, तो वह स्वयं सम्बन्धित विभाग को या तो भेज देता या उससे जवाब मंगा लेता । बिल आते हैं तो आप कह देते हैं कि आपकी सम्मिलित जिम्मेदारी है और क्वेश्चन आते हैं तो कह देते हैं मेरे से सम्बन्धित नहीं है । क्वेश्चन का जवाब तो आवेगा ही । पर अगर आप पहले ही दे देते तो नाहक में अधिक परेशानी से बचते ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी जानकारी में यह होगा । तो जिस विभाग से यह सम्बिन्धत था उसी को आप भेज देते । जानकारी रखते हुए अनजान बनने की बात जो आपने कही, वह गलत है ।

श्री अमृतलाल यादव : यह पूछा गया था कि विमुक्त जातियों के उत्थान के लिये श्री कल्याण विद्यार्थी द्वारा जयपुर में सेवा सदन का मुख्य कार्यालय कहां है, इस संस्था के पदाधिकारी कौन कौन हैं, क्या क्या उसकी एक्टीविटीज चल रही हैं, वह रजिस्टर्ड है या नहीं, उसको सरकार से क्या सहायता दी गई, वगैरह वगैरह । अब उसका मेरे से सम्बन्धित जितना उत्तर था मैंने दे दिया ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : विमुक्त जाति के लोगों के बारे में समाज कल्याण मन्त्री का ध्यान नहीं है, क्या

Page No 6

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')
इस जाति के लोगों के बारे में और भी कोई दूसरा विभाग देख-भाल करता है ?

श्री अमृतलाल यादव : समाज कल्याण मन्त्री का सम्बन्ध उस बात से तो आता है जहां तक सहायता देना या अनुदान देने से है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : इन विमुक्त जातियों के बारे में और कोई विभाग भी काम कर रहा है क्या, इस समाज कल्याण विभाग के अलावा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री राम प्रसाद लड्ढा) : समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित कितना प्रश्न है और दूसरे विभाग से सम्बन्ध रखने वाला क्या है, यह स्वयं प्रश्नकर्त्ता जानते हैं । वे इस प्रश्न को मूव करदें प्रोपर विभाग को, उनको जवाब मिल जायेगा ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब यह नहीं है ।

श्री अमृतलाल यादव : समाज कल्याण विभाग के अलावा दूसरा विभाग नहीं है जो यह काम करता हो ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस प्रश्न के बारे में सभी को जानकारी है, मन्त्रियों को भी है, सदन के सदस्यों को भी है और सरकार को भी है । अब या तो यह सरकार बतावे कि यह प्रश्न किससे पूछा जावे और या फिर इसका पूरा जवाब दिया जाये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले भी इस प्रश्न को पूछा गया था और जिस वक्त पूछा गया था उसका जवाब मिला था, अब उसी विभाग को और पूछ लीजिये, जवाब मिल जायेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह इस प्रकार का इवेजिव रिप्लाई देना गलत है । यह सवाल इस तरह से पहले नहीं आया था ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : डिप्टी मिनिस्टर, रेवेन्यू कह रहे हैं कि इसके अलॉटमेन्ट का उनको मालूम है, उनके विभाग से यह सम्बन्धित है । रेवेन्यू विभाग इसका जवाब देगा, बाकी का जवाब उन्होंने दे दिया ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : पंजीकरण रेवेन्यू विभाग करता है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका सम्बन्ध तो अलॉटमेन्ट से है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसको सबसीडी कभी नहीं मिली ?

श्री अमृतलाल यादव : कभी नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप खड़े होकर जवाब दीजिये ।

श्री अमृतलाल यादव : श्री कल्याण विद्यार्थी द्वारा जयपुर में बनाई गई सेवा सदन नामक संस्था के बारे में कोई जानकारी समाज कल्याण विभाग को नहीं है और न उसे सहायता दी जाती है इस विभाग द्वारा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : किसके द्वारा बनाई गई, नहीं बनाई गई, यह सवाल नहीं है, नाम में हेर फेर हो सकता है, कल्याण विद्यार्थी नहीं होगा, कल्याणराम विद्यार्थी होगा, कुछ और होगा, सवाल तो यह है कि विमुक्त जाति सेवा संघ की तरह से काम करने वाली इस संस्था को आपके द्वारा सहायता दी गई या नहीं, किसके द्वारा बनाई गई या नहीं बनाई गई ? इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अवॉइड मत करिये ।

Page No 7

श्री अमृतलाल यादव : जो मुझ से पूछा गया है उसका जवाब दे रहा हूं। जो नहीं पूछा गया उसका जवाब नहीं दे सकता और न दूंगा।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : डिप्टी मिनिस्टर, रेवेन्यू को जानकारी है तो वे इसका जवाब सदन में देंगे।

श्री अध्यक्ष : इसमें दो मामले हैं, एक जमीन के अलॉटमेन्ट का है और दूसरा पंजीकरण का। इसके दो हिस्से करके सम्बन्धित विभागों को यह प्रश्न भेज दिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हो सकता है कि कल्याण विद्यार्थी द्वारा बनाई गई सेवा सदन नामक संस्था को नहीं दी गई। हो सकता है रामकल्याण नाम हो; कुछ और नाम हो। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या यह जानकारी है कि जयपुर से पांच मील दूर सेवा सदन नाम की संस्था विमुक्त जाति संस्था उसका नाम होगा, सेवा सदन उसका नाम होगा, विमुक्त जाति संघ की कोई संस्था होगी, उसे आपने कोई सहायता या अनुदान दिया है या नहीं? इसकी जानकारी आपके पास है या नहीं? कैटेगेरिकली तो आप डिनाई नहीं कर सकते। पर टेक्निकल आधार पर निकलने की कोशिश आप न करें। सवाल करने वाले न सवाल पूछा है, उत्तर उसका आवेगा, आज इस तरह से टेक्निकल बात का सहारा लेकर टाला जावेगा तो दुबारा पूछ लिया जावेगा। पांचवें मील पर जयपुर रोड पर संस्था बनी हुई है। आप की वह संस्था हरिजनों में काम कर रही है। आपको उसकी अच्छी तरह से जानकारी होगी। आपके यहां से अनुदान दिया गया है या नहीं, वह रजिस्टर्ड है या नहीं? यह आप बतावें।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, मैंने यह बतलाया कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से इस संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन किया जावे।

श्री अध्यक्ष : यही तो है। इसलिये राजस्व मंत्रीजी को इस प्रश्न को भेज दें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, जयपुर के भवन में स्थित विभिन्न कार्यालय

११९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर की बिल्डिंग में स्टेट सेन्ट्रल लाइब्रेरी, मोबाइल विंग, महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी तथा इन्फार्मेशन सेन्टर की लाइब्रेरी स्थित है?

(२) यदि हां, तो एक ही बिल्डिंग में चार चार लाइब्रेरी क्यों स्थापित कर रखी है?

(३) सरकार इनका सदुपयोग करने के लिए इन लाइब्रेरियों को अलग अलग स्थानों पर क्यों नहीं स्थापित करती?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर के भवन में केवल एक पुस्तकालय महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय व एक सूचना केन्द्र ही स्थित है। स्टेट सेन्ट्रल लाइब्रेरी व मोबाइल विंग महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय के अन्तर्गत चलने वाले क्रमशः

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
रेफरेन्स सेक्शन व चल पुस्तकालय हैं, पृथक से इनका कोई अस्तित्व नहीं है।

(२) उक्त उत्तर द्वारा यह स्पष्ट है कि उक्त भवन में ४ पुस्तकालय न होकर केवल एक पुस्तकालय व एक सूचना केन्द्र ही है।

(३) स्टेट सेन्ट्रल लाइब्रेरी तथा चल पुस्तकालय को, जो मुख्य पुस्तकालय के ही अंग हैं-मुख्य पुस्तकालय से पृथक करने का प्रश्न नहीं उठता। रही बात सूचना केन्द्र को स्थानान्तरण करने की, इस संबंध में यह निवेदन है कि उक्त सूचना केन्द्र इस विभाग के अन्तर्गत नहीं है वरन् सार्वजनिक सम्पर्क विभाग की देख-रेख में चल रहा है। यह सूचना केन्द्र उक्त पुस्तकालय भवन में सन् १९६० से कार्य कर रहा है जब कि महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय इस भवन में पिछले १०० वर्षो से चल रहा है। पुस्तकालय की निरंतर वृद्धि में सूचना केन्द्र का इस भवन से स्थानान्तरण आवश्यक है कि जो सूचना केन्द्र के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर वहां स्थानान्तरित हो सकेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह स्टेट सेन्ट्रल लाइब्रेरी में किताबें अलग नहीं हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : स्टेट सैन्ट्रल लाइब्रेरी रेफरेन्स के लिए है, वह वहीं के अन्तगर्त है महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी के।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या यह भारत सरकार की विशेष स्वीकृति से कायम नहीं किया गया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग अलग नहीं थे। जब जयपुर में महाराजा कॉलेज की जितनी बड़ी लाइब्रेरी है उसी में यह लाइब्रेरी है और यह उसी का अंग है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या इनका स्टाफ अलग अलग नहीं है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब इनका स्टाफ अलग अलग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

झालावाड ट्रान्सपोर्ट सर्विस लिमिटेड के सामान की मैसर्स एम्पायर इलेक्ट्रिक कम्पनी, अजमेर द्वारा खरीद

१२०. **श्री गोविन्दसिंह** (पिडावा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि झालावाड ट्रान्सपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जिला झालावाड) की तमाम बसें व दीगर सामान मेसर्स एम्पायर इलेक्ट्रिक कम्पनी, अजमेर ने खरीद लिया है?

(२) यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि में?

(३) क्या यह सही है कि झालावाड ट्रान्सपोर्ट सर्विस लिमिटेड में राजस्थान सरकार का एक लाख रुपया लगा हुआ है?

(४) उपरोक्त बसें व दीगर सामान क्या निलामी द्वारा बेचा गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(५) उपरोक्त बसें व दीगर सामान से जो धनराशि प्राप्त हुई उससे राज्य सरकार की लगी हुई धनराशि प्राप्त हुई या नहीं? यदि नहीं, तो राजस्थान सरकार को धनराशि वापिस लौटाए जान का क्या प्रावधान रखा है?

Page No 9

(श्री गोविन्दसिंह)

(६) झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट सर्विस लिमिटेड के डाइरेक्टर्स व मेसर्स एम्पायर इलेक्ट्रिक अजमेर, के डाइरेक्टर्स की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(७) क्या यह सही है कि उपरोक्त बसों का बेचान हो जाने पर भी यह बसें झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम पर चल रही हैं और इनके रजिस्ट्रेशन में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है?

(८) क्या यह सही है कि उपरोक्त बसों का यदि रजिस्ट्रेशन खरीददार के नाम हो गया होता तो राजस्थान सरकार को हर बस से ५०० रुपया उसी रूट पर चलने की अधिक आमदनी होती?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): अध्यक्ष महोदय, इसको मुलतवी करने के लिए निवेदन किया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सदन में कई बार कहा गया है। जब इसका सरकुलेशन हो जाता है उसके बाद में सरकार को कोई हक नहीं है, कि तैयारी नहीं है, इस तरह कहने का। आपको पहले जवाब दे देना चाहिए। कोई न कोई इस तरह की बात तय होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन पेपर में एक दिन पहले आप कह दें कि यह नहीं पूछा जायगा। आपकी इजाजत तो लें सदन में। यह क्या तरीका है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: इस सदन की पूर्व आज्ञा के लिए निवेदन कर दिया गया था और इसके छपने के बाद ही प्रयत्न किया गया कि इसकी सामग्री एकत्रित करके उपलब्ध हो सके परन्तु विवशता है, इसके लिए ऐसा किया गया।

श्री गोविन्दसिंह: अध्यक्ष महोदय, २२ तारीख को प्रश्न पूछा था उसमें बताया गया था कि २७ को प्रश्न आ रहा है। उसमें २२ का भी है और उस समय कहा गया था कि प्रश्न नं० ३६ का भी जवाब दिया जायेगा। २२ तारीख को आश्वासन दिया गया था और मुझे आशा थी कि २२ तारीख को ही जवाब मिलेगा, लेकिन २२ के बजाय २७ कर दिया, आप प्रोसीडिंग्स को उठाकर देखलें उसमें है कि २७ को जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: सरकार की तरफ से पत्र आया है जिसमें लिखा है कि इसमें विधि विभाग से भी जानकारी करनी पड़ेगी इसलिए उनसे जानकारी करके सारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय चाहिए। बाकी यातायात विभाग के संबंध का भी है उससे उत्तर दे सकते हैं लेकिन क्योंकि इसमें और भी प्रश्न जुड़े हुए हैं इसलिए उन्होंने सूचना दी है कि विधि विभाग से सूचना लेकर दे देंगे।

श्री गोविन्दसिंह: मेरा प्रश्न नं० ३६ भी पोस्टपोन्ड किया था या तो उसको फिर ले लिया जाये · · · ·

श्री अध्यक्ष: यह तो एक ही बात है।

श्री गोविन्दसिंह: देखा जाय तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। एक में तो झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड की एक प्राइवेट आदमी को बसें बेच दीं। झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी और मेसर्स एम्पायर इलेक्ट्रिक कम्पनी को बेचा है जिसके डाइरेक्टर्स वही हैं और ५–६ महीने रहने के बाद वापिस ट्रान्सफर हो गया है, सिर्फ इसके कारण से जिनकी झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में १५–१६ साल की नौकरी हो गई थी उनको निकाला है और राज्य सरकार को विशेष फायदा नहीं हुआ है और जिस समय

Page No 10

(श्री गोविन्दसिंह)
झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी बेची गई उसी दिन रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई ? अगर रजिस्टर्ड हो गई होती तो ५–५ रुपये हर रूट पर गवर्नमेन्ट को मिलते । इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसका अगले टर्न पर जवाब दे दिया जाये क्योंकि इसमें विशेष बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न फिर से आयेगा; मंत्री महोदय सारी सूचना एकत्रित करके फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और विस्तृत रूप से उत्तर दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह : ३६ का भी ।

प्रश्न संख्या १२१

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।
(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२२

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।
(अनुपस्थितकृ-पया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

सांचोर में पटवारियों की नियुक्ति

१२३. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर जिला जालोर में तीन साल या इससे ज्यादा समय से कई पटवारी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

(२) इतने असें तक पटवारियों के एक ही स्थान पर इतने पिछड़े इलाकों में रखने के क्या प्रशासनिक कारण है ? क्या यह सच है कि ज्यादा असें तक पटवारियों को एक ही स्थान पर रखने से काश्तकारों का शोषण होता है और अनपढ़ काश्तकार पटवारियों के खिलाफ लिखित शिकायत करने से डरते हैं ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार भविष्य में क्या नीति अपनाना उचित समझेगी ?

(३) तीन साल या इससे अधिक असें तक एक ही जगह पर कार्य करने वाले पटवारियों का तहसील सांचोर से सरकार द्वारा स्थानान्तरण कब तक करवा दिया जावेगा ?

(४) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में जिला जालोर की दूसरी तहसीलों से सजा के तौर पर बहुत से बदनाम पटवारियों के स्थानान्तरण किए जाते हैं और इससे तहसील सांचोर के काश्तकारों को पिछड़ा इलाका होने के नाते बड़ी बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ? अगर हां, तो भविष्य में सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेगी जिससे तहसील सांचोर के काश्तकारों को पटवारियों द्वारा दी जाने वाली तकलीफ से बचाया जा सके ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) साधारणतया पटवारियों का स्थानान्तरण कम से कम ५ वर्ष से पूर्व न किए जाने की बाबत राजस्व मण्डल द्वारा आदेश जारी किए हुए हैं । यह धारणा पूर्ण रूप से सही नहीं है कि काश्तकार पटवारियों के खिलाफ लिखित शिकायत करने से डरते हैं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) जी नहीं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने ५ साल का कहा—पूछने का मकसद यह है कि जैसे बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसमें लोगों के ज्यादा अर्से तक रहने से शिकायतें करने से बहुत घबराते हैं। यह तथ्य है, ऐसी जानकारी देते हैं तो ऐसे इलाके में ३ साल से आप ट्रांसफर करते हैं लेकिन रेवेन्यू बोर्ड से ५ साल का है। अगर शिकायत नहीं हो तो ५ साल तक रह सकते हैं लेकिन साधारणतया यह सरकार की नीति नहीं है कि ३ साल के बाद पटवारियों को हटाया जावे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार की नीति यह है कि पटवारी जैसे छोटे अधिकारी का तबादला ५ साल से पूर्व नहीं किया जाए, उस वक्त तक जब तक कि उसके तबादला नहीं करने से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी या कोई खास बात हो तो हम पहले तबादला करते हैं, लेकिन कोई ५ साल तक नहीं करते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जो ५ साल की अवधि है उसकी कहीं भी पालना नहीं करते हैं और पटवारियों को साल से ६ महीने में ही ट्रांसफर करते हैं, क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक संभव होता है इसकी पालना होती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउण्ड्स के ऊपर जहां तबादला करना आवश्यक होता है वहां किया भी जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने ५ साल की बात बताई। अगर इसके ऊपर बिलकुल ही स्टिक किया जाये—आप कह देते हैं कि ३ साल हो गए इसलिए हटा दिया है-हमारी जानकारी के अनुसार हम मानते हैं कि पटवारी जिनके खिलाफ शिकायतें हैं अगर वह प्रूव होती है तो उनको सजा दी जाती हैं, उनका ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रूव नहीं होती और जो बिलकुल बैकवर्ड एरिया है अगर ३ साल में इधर-उधर कर देते हैं तो क्या हर्ज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल शिकायत ही ट्रांसफर का आधार नहीं बन सकती। अगर शिकायत सच ह तो उसको सजा दी जानी चाहिए। शिकायत के आधार पर तबादला हो यह कोई सुधार का रास्ता नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : चौथे में मैंने पूछा है कि दूसरी जगहों से जो बदनाम पटवारी होते हैं और जो कि सजा के तौर पर सांचोर में भेजे जाते हैं लेकिन वह सजा उनके लिए ऐसी हो जाती है कि वह लोगों को अन्धाधुन्ध परेशान करते हैं और यह ट्रांसफर उनके लिए अच्छा साबित होता है। क्योंकि वह ऐसा समझते हैं कि इससे ज्यादा और कहां भेजेंगे, इसलिए जो पटवारी बिलकुल बदनाम हैं उनको सब तहसीलों में प्रपोर्शनेटली बांटे जायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कोई आधार नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि इनके यहां इतनी बड़ी समस्या नहीं है, केवल ५ पटवारी ऐसे हैं कि जो ३ से ५ वर्ष की सीमा में आते हैं। तो इतने पटवारी होते हैं मगर ३ से ५ वर्ष की अवधि के ५ पटवारी हैं तो जो दलील आप दे रहे हैं वह कारगर नहीं होती क्योंकि ५ ही पटवारी हैं जो कि ३ से ५ वर्ष के बीच के हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक तथ्य जानना चाहती हूं कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि तहसील सांचोर के जिला जालोर के अन्दर दूसरी तहसीलों से सजा के तौर पर बहुत से बदनाम पटवारियों को भेजा जाता है, तो क्या यह सच है कि सांचोर तहसील के बदनाम हैं जो उनके पास बदनाम पटवारी ही भेजे जाते हैं ?

श्री रघनाथ बिश्नोई : वहां के आदमी बदनाम नहीं हैं बल्कि वह बैकवर्ड एरिया है और वहां ऐसा मानते हैं कि सांचोर तहसील कारनें में पड़ती है इसलिए वहां भेजते हैं और ऐसा समझते हैं कि वहां भेजने से दिमाग ठीक हो जायेगा ।

श्री जयनारायण सालोविया (निवाई) : ट्रेनिंग सेन्टर है वह तो ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ५ साल तक पटवारियों का तबादला नहीं हो—यह मैं मानता हूं कि यह प्रश्न सरकार के डिस्क्रिशन से संबंधित है लेकिन जहां पर १२-१२ वर्ष तक पटवारी स्थानान्तरण किये बिना, एक ही जगह पर कायम हैं तो मैं समझता हूं कि १२ वर्ष की अवधि कुछ ज्यादा है या वह भी ठीक है ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : १२ वर्ष की अवधि उस समय तक ठीक है जब तक कि उसके खिलाफ कोई शिकायत न हो, जब तक कोई इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रियेट न हो या और कोई तरह की बात न हो । वरना १२ वर्ष की अवधि ज्यादा नहीं है ।

श्री देवेन्द्रकुमार (सहाड़ा-सु०) : [illegible] कितने पटवारी हैं जिनको सजा दी गई है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इंस्टान्सेज कोट करते हैं तो भी वे बरकरार हैं । शिकायतें करने के बावजूद सरकार बहरी बन कर बैठी हुई है ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : ऐसे मामलों में कान खोले हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, सिनसिनी में जनता की धनराशि

१२४. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, सिनसिनी, जिला भरतपुर के प्रारम्भ होने के समय स्थानीय जनता द्वारा १६,०००) रु० निरीक्षक, शिक्षा विभाग, भरतपुर के यहां जमा कराये गये थे ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(२) क्या यह सही है कि जनता एवं स्कूल के अधिकारियों द्वारा बारम्बार आवेदन-पत्र देने के बावजूद भी इस रकम को भवन निर्माण में लगाने के लिये अभी तक वापिस नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार ने भी इस भवन निर्माण के लिये कुछ योग दिया है ? यदि हां, तो क्या और कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त रकम के अलावा स्थानीय जनता द्वारा १२,०००) रु०

(श्री नत्थीसिंह)

से ऊपर भवन निर्माण में और लगाये गये हैं और भवन अभी अधूरा है जिसके लिये उपरोक्त जमा शुदा राशि की अत्यन्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां, १२०००) रु० चालान नं० ९१ दिनांक २४-७-५८ द्वारा खजाने में जमा कराये गये हैं और ४०१०) रु० की धनराशि पासबुक नं० ७८।१६७ भरतपुर सेंट्रल बैंक, भरतपुर में ।

(२) इस रकम को दिए जाने की कार्यवाही की गई है ।

(३) सरकार द्वारा १४,६००) रु० दो कमरे बनवाने के लिए खर्च किए जा चुके हैं तथा २९००) रु० डवलपमेंट विभाग द्वारा ।

(४) जी हां । १२०६०) रुपया स्थानीय जनता द्वारा इस भवन में लगाये जा चुके हैं। राज्य सरकार जनता द्वारा लिये गये १२४००) रु० की धन-राशि निर्माण समिति को दिये जाने की कार्यवाही कर रही हैं ।

श्री नत्थीसिंह : क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कुछ दिनों पहले भरतपुर गया था तब मेरे ध्यान में लाया गया था । उस वक्त से ही इसका हैड मंगा कर देने की कार्यवाही शुरू कर दी है । ज्योंही वह हैड, जिस हैड मे रुपया जमा हुआ है, प्राप्त हो जायगा, फौरन ऑर्डर कर दिये जावेंगे ।

श्री नत्थीसिंह : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि यह रुपया सन् १९५८ में जमा कराया गया था और अब वहां ६ कमरे जनता की ओर से बनाए गए हैं । बरसात में वे बहुत बुरी हालत में हैं । ये कमरे राज्य सरकार के द्वारा नहीं, जनता के रुपये से बने हैं । सरकार के तो दो कमरे हैं । आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? आपको चिट्ठी लिखी, लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन दिया और अब असेम्बली में सवाल आया तो आपने कार्यवाही शुरू कर दी है । लेकिन यह कार्यवाही कितने महीने, कितने सालों में खत्म हो जाएगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं जैसा अर्ज कर रहा हूं कि भवन निर्माण समिति ने ज्योंही वहां से हैड दिया कि किस हैड में रुपया जमा है, कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री नत्थीसिंह : ज्योंही की मियाद चाहते है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो जैसा अध्यक्ष, महोदय, मैंने अर्ज किया पन्द्रह दिन पहले मैंने इसको मंगाने के लिए कार्यवाही की है । दस-पन्द्रह दिन और लग सकते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : पहले शिक्षा विभाग के प्रश्नों के उत्तर उप मंत्री जी देते थे, अब किन कारणों से उनसे यह अधिकार छीन लिया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जिस तरह से आपका अधिकार छिन गया है सामन्ती का, वैसे ही अधिकार छिन गया है ।

प्रश्न संख्या १२५

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठलभाई ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये ।)

श्री दिग्विजयसिंह ।

इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, टोंक का कार्यालय

१२६. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) [श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स टोंक-सवाई माधोपुर का कार्यालय करौली में स्थित है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सही है कि यह कार्यालय पहले टोंक में स्थित था ? यदि हां, तो इसका करौली में स्थानान्तरित करने का क्या कारण था ?

(३) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि करौली हैड क्वार्टर से प्रशासनिक असुविधा पड़ती है क्योंकि दोनों जिलों का एक इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स है और वह भी जिलों के एक कोने में स्थित है ?

(४) क्या सरकार इसे किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां, दि० १७-१०-६२ से ।

(२) पहले जिला टोंक का कार्यालय टोंक में था तथा जिला सवाई माधोपुर का कार्यालय करौली में था; बाद में दोनों कार्यालयों को एक कर दिया गया और कार्यालय करौली में रखा गया ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : वैसे क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि करौली में कार्यालय होने से सब को बड़ी असुविधा होती है । करौली एक कोने में है और वहां पहुंचने में बहुत समय लग जाता है और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह वजह सही हो सकती है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जब सरकार यह महसूस करती है कि सब को मुसीबत है, अध्यापकों को, पब्लिक को, वहां जाने में समय लग जाता है तो इसको सैंटर में लाने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस पर विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया ।

राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या

१२७. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष मेडिकल कॉलेजों (जयपुर जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा अजमेर) में कुल मिला कर कितने विद्यार्थियों को एडमीशन दिया गया है ?

(२) अंकों के कितने परसेन्टेज तक के विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है ?

(३) पिछले वर्ष अंतिम प्रवेश कितने परसेन्टेज वाले विद्यार्थियों को दिया गया था ?

(४) मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए डाक्टरों व वैद्यों के बच्चों के लिए कितनी सीटें रिजर्व रहती हैं ? क्या इनके लिए मेरिट की आवश्यकता नहीं होती है ?

(श्रीमती गौरी पूनिया)

(५) क्या इन रिज़र्व सीटों के लिए नर्सों तथा कम्पाउन्डरों के बच्चे हकदार नहीं होते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) इस वर्ष मेडिकल कॉलेजों (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर) में कुल मिला कर ६५० विद्यार्थियों को एडमीशन दिया गया है ।

(२) निम्न परसेन्टेज तक के विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है :—

(क) जनरल मेरिट—अंतिम प्रतिशत छात्र ५१.४०

अंतिम प्रतिशत छात्रा ५१.०५

(३) पिछले वर्ष अंतिम प्रवेश निम्न प्रतिशत पाने वाले विद्यार्थियों के हुए थे:—

(क) जनरल मेरिट

अंतिम प्रवेशित छात्र	५०.२३
अंतिम प्रवेशित छात्रा	४९.००

(४) दो सीटें रिज़र्व रहती हैं । इन बच्चों को मेरिट लिस्ट अलग से तैयार होती है जिसके अनुसार प्रवेश दिया जाता है ।

(५) जी नहीं, नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

श्रीमती गौरी पूनिया : नियमानुसार ऐसा प्रावधान हो नहीं सकता क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकने का सवाल नहीं है । आपने मौजूदा सूरत पूछी थी, वह मैंने आपको बताई है ।

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र में इस तरह की पॉलिसी कब तक चलती रहेगी कि डॉक्टरों और वैद्यों के लड़कों को तो रिज़र्वेशन मिले और कम्पाउण्डरों और नर्सेज के लड़कों को नहीं मिल सकता है ? तो क्या मंत्री महोदय इस तरह का विचार नहीं रखते हैं क्या कि भविष्य में इस तरह का प्रावधान नियमों में रखा जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी इस पर विचार नहीं किया गया है ।

श्रीमती गौरी पूनिया : विचार करने की सोच रहे हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विचार ही नहीं कर रहे हैं तो सोचने की क्या बात है ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या विचार करना उचित नहीं समझते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं नहीं कह सकता कि विचार करना उचित होगा या नहीं । अभी तो यह विचार किया जा सकता है कि डॉक्टरों और वैद्यों को जो रिज़र्वेशन मिला हुआ है, यह मिलना चाहिए या नहीं ।

श्रीमती गौरी पूनिया : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ४९ प्रतिशत वाले को ही एडमीशन दिया गया है ? मेरी जानकारी यह है कि एक लड़के को ४८ प्रतिशत पर एडमीशन दिया गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह हो सकता है कि शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिज़र्व सीट पर इस प्रकार का एडमीशन हुआ हो । इसके अलावा और किसी का एडमीशन आप बतावें तो मैं जानकारी कर लूंगा ।

श्री भीमसेन : आंध्र और मद्रास स्टेट्स में देहाती क्षेत्रों के लिए भी सीटें रिज़र्व रहती हैं । इसी प्रकार यहां करने का क्या सरकार विचार नहीं रखती ?

Page No 16

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर पर देहात के लड़के ही आते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या पोपुलेशन के आधार पर सीटें रिजर्व करने का विचार रखते हैं?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन पांच कालेजों में कुल कितन एडमीशन दिए गए हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : ६५० एडमीशन्स दिये गए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो ६५० एडमीशन्स दिए गए हैं क्या वे जितनी कॉलेजेज की कैपेसिटि है उसके हिसाब से ही दिए हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी कैपेसिटी है उतने ही एडमीशन दिए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले, इन दो नए कॉलेजों से पहले, एडमीशन की संख्या कितनी थी?

श्री दामोदरलाल व्यास: पिछले साल की संख्या मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन दोनों नए कॉलेजों में कितने एडमीशन दिए हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी ७५-७५ लड़के लिए हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): ६५० में से कितनी २ सीटें किस किस के लिए रिजर्व हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : पोलिटिकल सफरर्स के लिए हरएक कालेज में एक सीट रिजर्व है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने पिछले तीन मेडिकल कालेजेज की एडमीशन संख्या कम की है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम क्यों की गई है? क्या कारण है इसके?

श्री दामोदरलाल व्यास: न्यू मेडिकल कौंसिल की एडवाईज् पर कम की गई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या निर्देश हैं उनके?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमारे पास पूरी अकोमोडेशन नहीं है, जहां २०० लड़कों को लेक्चर दिया जा सके, थियेटर हॉल की कमी है, एक्सपर्ट्स की कमी है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जिनको एडमीशन मिला है उनके बारे में क्या माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि गत वर्ष जिस परसेन्टेज पर एडमीशन दिया गया था उससे भी कम परसेन्टेज पर तो एडमीशन मिल गया और कुछ को जिनका परसेन्टेज ज्यादा था उनको एडमीशन नहीं मिला, जब कि उनकी मैरिट ऊंची थी। क्या इसका कोई रीजन है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो सम्भव नहीं है कि जिसके परसेंटेज ज्यादा हों उसको तो एडमीशन न मिले और कम वाले को मिल जाय। जैसा मैंने अर्ज किया कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जो रिजर्व सीट्स हैं उनको मिल गया हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब एक बार संख्या निर्धारित करदी गई कि जयपुर में इतने, बीकानेर और उदयपुर में इतने इतने आदमियों को एडमीशन मिलेगा, उसके बाद में भी एडमीशन किए गए तो इसका क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह नम्बर, ज्यों ज्यों हमारे पास बिल्डिंग का इन्तजाम होता गया, नम्बर बढाते गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडमीशन शुरू होने के बाद कौनसी बिल्डिंग का इन्तजाम हुआ ? अध्यक्ष महोदय, ५५० लड़कों का एडमीशन कर दिया और ५० लड़के जिनका रहना जरूरी है तो ५० लड़के और ले लिये और ६०० की संख्या हो गई। फिर भी कुछ ऐसे लड़के रह गये जिनमें कुछ इन्ट्रेस्ट रहा हो, मैं नहीं कहता कि किसका कितना है, लेकिन एक नम्बर निर्धारित कर दिया जाय कि ६५० का एडमीशन होने वाला है, मगर बीच में नम्बर बढ़ाते हैं किसी कारण से तो यह ठीक नहीं हो सकता है ।

श्री भीमसेन : आपके इन्ट्रेस्टेड में से कोई रह गया क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह टेक्निकल एजुकेशन का सवाल है; मजाक नहीं है। यह पानी व रेत का सवाल नहीं है ।

यहां पर तीन बार एक्स्टेन्शन किया गया है। पहले ५० का किया और जब रिप्रेजेन्टेशन किया गया कि २ कॉलेज खोले गये हैं तो ५० की संख्या कैसे ली ? क्या २५-२५ की संख्या बढ़ाई है ? मंत्री महोदय के पास रिप्रेजेन्टेशन किया लोगों ने, शायद मंत्री महोदय को पता होगा कि कुछ नम्बर बढ़ाये हैं और फिर एडमीशन कर लिया गया। इसके कारण लोगों में डिसकन्टेन्टमेंट हुआ। इतने स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं हायर एजुकेशन के तो उनको माना जायेगा। मेडिकल कॉलेज और इन्जीनियरिंग कॉलेज में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रखना चाहिये। यहां पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी प्रकार का वह नहीं होगा चाहे आप रह जाय या दूसरे रह जायं। उसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, शुरू में जो संख्या निर्धारित की गई थी वह मैंने अर्ज की। एक प्रस्ताव यह था कि अजमेर और जोधपुर के कॉलेजों के लिये १०० –१०० लड़के लिये जायं, परन्तु जब प्रिन्सिपलों की मीटिंग हुई उसमें उनके इक्विपमेंट और एकोमोडेशन को देखते हुए उन्होंने ५०–५० लड़कों को इन दो नये कॉलेजों में लेने के लिए सरकार को कहा। चुनाचे उसके आधार पर ५०–५० लड़कों के लिए ऑर्डर्स दिये गये। शुरू में ५५० कैन्डीडेट्स का एडमीशन किया था। चूंकि प्रिन्सीपल्स की मीटिंग चल रही थी और स्टुडेन्ट्स की बहुत ज्यादा संख्या रह गई थी। चूंकि यहां के पढ़े हुए लोग थे तो अपने यहां के कॉलेजों को देखकर उन्होंने तय किया कि ७५ लड़कों की एकोमोडेशन और बढाने का इन्तजाम कर सकते हैं तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ५० लड़के औ बढ़ाये जायं तो कोई हर्ज नहीं है। चुनांचे वह संख्या बढ़ाई है। किसी खास इन्डिविजुअल को लेने के लिए या रखने के लिए नहीं बढ़ाई गई है, इतना मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि इसके लिए जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें साइन्स के सब्जेक्टस में नम्बर देने का क्राइटेरिया सभी विश्वविद्यालयों में एक सा रहे ? वहां पर किसी डिस्क्रीशन को यूज नहीं करने दिया जाय कि किसी नाम से नम्बर बढ़ा दिये जायं ताकि उस यूनिवर्सिटी के लड़कों को, दूसरी यूनिवर्सिटी के लड़कों को एडवान्टेज मिल

Page No 18

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सके। इसलिए क्या राजस्थान सरकार इस पर विचार करेगी कि साइन्स सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन्स में नम्बर व मार्क्स का सवाल बिल्कुल एक सा रहना चाहिए ताकि उसमें किसी को किसी प्रकार एडवांन्टेज नहीं मिल सके जैसा कि पिछले साल हुआ था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं समझ सका कि सरकार क्या इन्तजाम कर सकती है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज को डाइरेक्शन दिये जायं कि इतने पर्सेन्टेज के मार्क्स दिये जायं। यह चीज गवर्नमेन्ट के लिये मुमकिन नहीं है। यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडीज हैं। वे अपने रूल्स पर अमल करेंगी। वह पर्सेन्ट मिलता है तो उस पर्सेन्टेज के लिहाज से एडमीशन करना पडता है। अब जोधपुर, उदयपुर या राजस्थान यूनिवर्सिटी में साइन्स सब्जेक्टस के अन्दर एक तरह का क्राइटेरिया मुकर्रर किया जाय, मेरे खयाल से सभी यूनिवर्सिटीज का एक ही क्राइटेरिया है। वह उनकी च्वॉइस के अनुसार होता है। मेरी जानकारी में यह बात नहीं है कि पर्टीक्युलर यूनिवर्सिटी ने अलग क्राइटेरिया तय कर रखा है। अगर ऐसा होता तो मैं विचार करूंगा कि क्या हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: होम एग्जामिनेशन के नम्बर बढाये गये थे जोधपुर यूनिवर्सिटी में जिसके कारण से डिस्कन्टेन्टमेंट भी हुआ था, और प्रोटेस्ट भी हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडीज हैं और वे ऑटोनोमस बॉडीज इस सदन के द्वारा पारित कानून के अन्तर्गत हैं। उनमें संशोधन लाकर यह किया जाय कि मेडिकल कॉलेज में एडमीशन के लिए इन सब्जेक्ट्स में इस इस हिसाब से नम्बर गिने जायेंगे। गये साल जोधपुर में होम एग्जामिनेशन के नम्बर दे दिये गये थे। आप यह बात कर सकते हैं How they shall be counted towards the final examination. You should examine this question and see it.

श्री दामोदरलाल व्यास : That will be examined, मेरे खयाल से पिछले साल ऐसा हुआ हो, इस साल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस साल की नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर इसका रिकरेन्स न हो उसका इन्तजाम किया होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह का कोई तरीका अपनाया हो तो विचार करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री पोहूमल ईसरदास।

राज्य सरकार द्वारा समस्त कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

१२८. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर पश्चिम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को विदित है कि केन्द्रीय सरकार समस्त कर्मचारियों को मकान किराया देती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भी समस्त कर्मचारियों को, जिनके अपने मकान भी हैं, मकान किराया देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): जी हां, लेकिन राज्य सरकार उन कर्मचारियों को जिनके अपने मकान हैं, मकान किराया भत्ता देने का विचार नहीं रखती क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया है कि राजस्थान के शहरों में जहां मकान किराया भत्ता दिया

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जाता है और जहां ऐसे कर्मचारी जो अपने मकान में रहते हैं उनको आर्थिक भार उस सीमा तक नहीं सहन करना पड़ता जितना कि उन कर्मचारियों को करना पड़ता है जो किराये के मकान में रहते हैं।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं कि जिनके मकान हैं उनको बावजूद इसके कोई बंगला या क्वार्टर्स दिये गये हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हां, यह सही है। तीन केटेगरीज के हिसाब से।

श्री पोहूमल ईसरदास : कौनसी केटेगरीज के हिसाब से ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : तीन केटेगरीज हैं कर्मचारियों की। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जहां पर छोटे कर्मचारी हैं उनके झोंपड़े भी हैं १००) रु० के तो उनके मकान होने की वजह से सरकार उनको नहीं देती है और यह समझती है कि जैसा कि जवाब दिया गया है वह न्यायपूर्ण उसको कहते हैं कि यह न्यायपूर्ण है, जिसको कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कुछेक बड़ों की केटेगरीज ऐसी है कि जिन केटेगरीज के मातहत मकान भी आप देते हैं, किराया भी देते हैं और वे किराया भी कमाते हैं अपने मकान का और आपसे कर्जा ले ले कर मकान बनाते हैं। वे इनकी केटेगरीज़ में हैं। तो वे क्या केटेगरीज़ हैं, कब से और कौन से रूल से बनाई हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उसकी क्वालिफिकेशन बनाई गई है:—

Persons who are required to live in Jaipur.

Persons who are required to live in the Premises of the Government building..

Persons who are entitled for rent free accommodation.

ऐसी क्वालिफिकेशन्स हैं और ये कर्मचारी इन क्वालिफिकेशन्स के अन्तर्गत आते हैं, उनकी भी लिस्ट बनी हुई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने यह जो क्वालिफिकेशन्स निर्धारित किये हैं वे कब किये हैं, क्योंकि इस सदन में पहले ऐसा जवाब दिया गया था कि हम जल्दी ही चीफ सेक्रेटरी, आई० जी० पी०, डी० आई० जी०, वे, सब-इन्सपेक्टर्स वगैराह से जिनके कि बंगले बने हुए हैं उनसे खाली करवायेंगे। परसरामजी ने यह कहा था। ये केटेगरीज पहले से बनी हुई हैं या बाद में बनाई गई हैं ? पहले आप यह फैसला सदन में दे चुके हैं कि जितने भी लोग, चीफ सेक्रेटरी, आई० जी० चूंकि इन सब ने अपने बंगले बना लिये हैं ये उनमें जायेंगे। यह सरकार का फैसला था। और यह जो केटेगरीज़ आपने छांटी हैं वे पहले बनी हैं या बाद में बनी ? सरकार ने किस आधार पर ये केटेगरीज़ बनाई और कब से ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आश्वासन क्या दिया गया था और किस ढंग से था, किस भाषा में था, यह मैं नहीं कह सकता और न आप मेरा उस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए मैं उस सम्बन्ध में मौन हूं।

जहां तक केटेगरीज़ का सवाल है, मैंने तीन श्रेणियां बतलाई हैं। यह कब बनीं, कौन से ईयर में बनीं यह तथ्य मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा सवाल यह है कि आपने जिन केटेगरीज़ का नाम लिया

Page No 20

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
तो ये केटेगरीज कब बनाई गई। जब आपके पास उत्तर आया तो सप्लीमेंट्री साफ है कि यह केटेगरीज, जो कि आपने कॉन्टिन्जेन्सी देखकर नाम लिये, तो किन लोगों को बचाने के लिए ये केटेगरीज बनाई गई हैं। कब केबिनेट का डिसीजन हुआ ? उसके पीछे क्या ऑथोरिटी होते हुए यह केटेगरीज बनाई हैं ? सवाल तो यह है कि केटेगरीज का प्रश्न आया और आपने केटेगरीज बना दीं कि इन इन को छोड़ दिया है। वे अलग हैं। ये केटेगरीज कब बनीं, पहले से हैं या बाद में बनीं, किन किन के लिए हैं, क्योंकि लोगों ने आपसे कर्जा ले लेकर मकानात बनाये हैं और उनसे किराया कमाते हैं। गरीबों के लिए तो आपने जवाब दे दिया है कि वह न्यायपूर्ण नहीं है कि उनको किराया दिया जाय। छोटे लोगों के लिए है तो न्यायपूर्ण नहीं है। यह न्यायपूर्ण छोटे लोगों के लिये सोशियलिस्टिक गवर्नमेंट का इस तरह का रवैया है और बड़े लोगों के लिए आपने केटेगरीज बनाई हैं तो ये केटेगरीज इस इमर्जेन्सी में नहीं चलनी चाहिए।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जिनके खुद के मकान हैं उनको किराया अलाउन्स नहीं देने का निर्णय यह समझ कर किया गया कि खुद के मकान के आधे हिस्से में स्वयं रहें और आधे हिस्से को किराये दे दें और दूसरे प्रिविलेजेज मिलते हैं, वे सुविधाएं ऐसी हैं कि उनको ध्यान में रख कर नीति अख्तियार की गई। ये केटेगरीज और दूसरी नीति बनाई गई है वह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के निर्णय के आधार पर है, व्यक्तिशः निर्णय नहीं है। अब यदि आप सारी चीज को विस्तृत हालत में जानना चाहते हैं कि कौन कौन कर्मचारी, किन किन केटेगरीज में आते हैं तो इसकी एक लम्बी लिस्ट है मैं उसको सदन की मेज पर रख सकता हूं। जिन कर्मचारियों को फ्री हाउसेज मिले हुए हैं उनको नीति के आधार पर मिले हुए हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : हम साफ बात जानना चाहते हैं कि बड़ी तनख्वाह के लोगों को बिना किराये के मकानात मिलते हैं, छोटी तनख्वाह वालों को क्यों नहीं मिलते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बड़ी तनख्वाह वालों को ही मिलते हों, ऐसी बात नहीं है। उन केटेगरीज में जो लोग आते हैं उनको मिलते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : छोटी तनख्वाह वालों को किन को मिलता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : छोटी तनख्वाह वाले जैसे जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट को जेल प्रेमिसेज में फ्री मकान मिलता है, कुछ डॉक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं। कुछ बड़े लोग भी आते हैं। उनके कार्य के महत्व को देख कर दिये जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या चपरासी भी आते हैं इस केटेगरी में ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस बारे में केटेगरीवाइज लिस्ट मेज पर रख दी जावे जैसा कि वायदा किया है, उनको देखने के बाद हमें सप्लीमेन्टरी अलाऊ किये जावें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सप्लीमेन्ट्री का वक्त तो इस समय होगा नहीं। लिस्ट देख कर आप स्वयं संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने कहा कि छोटे लोग भी इसमें आते हैं, कौनसी रैन्क तक आते हैं, क्या चपरासी भी आते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चपरासी भी आ सकते होंगे ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : सुपरिन्टेन्डेन्ट सेन्ट्रल जैल सरकारी मकान में रहते हैं। उनका निज का जो बंगलो है उसका किराया उठाते हैं। जिन कर्मचारियों के पास ऑलरेडी बंगलोज हैं या मकान हैं उनको भी यह फेसिलिटी दी जा रही हैं, अलाउन्स दिया जा रहा है। बड़े कर्मचारियों को यह फेसिलिटी दी जा रही है तो छोटों को क्यों नहीं दी जाती ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है, जिनके पास मकान हैं उनको फ्री हाउसेज किन परिस्थितियों में दिया जाता है। उनके कर्त्तव्यों और महत्व के आधार पर दिया जाता है; मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्री जेठमल बरबड (परबतसर) : निज के मकान होते हुए भी मुफ्त में मकान देना क्या उचित समझते हैं ?

एक माननीय सदस्य: Is it a policy of socialism

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ इसी तरह है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : हाउस का मखौल उड़ाना चाहते हैं क्या ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : (अश्रव्य) एडवोकैसी हो रही है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नीति की बात बता रहा हूं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जिस नीति को आप नीति कहते हैं हाउस उसको अनीति समझता है और चाहता है कि आप इस पर पुनर्विचार करें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मन मन की बात है ।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मखौल करते हैं ·······

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य ने कहा है, मैंने नहीं कहा ।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपमंत्रीजी जवाब दे रहे हैं इससे सदन के कई सदस्य असंतुष्ट हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि सभी संतुष्ट हैं ।

श्री पोहूमल ईसरदास : जिन गरीब कर्मचारियों के पास छोटे मकान हैं उनको किराया आप नहीं दे रहे हैं, उनको किराया देने के लिये सोचने को तैयार हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिनके पास मकान नहीं हैं उनको किराया दे रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: इन्होंने पहले कहा था कि जिन के पास निज के मकान हैं और वे सरकारी मकानों में रह रहे हैं उनको ऑर्डर दे दिया है कि वे मकान खाली करदें और वे जल्दी ही खाली कर देंगे। साल डेढ़ साल पहले यह प्रश्न उठा था और सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम जल्दी ही उनसे मकान खाली करवा लेंगे। उसके बाद में ये

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
केटेगरीज़ कब बनी? उस समय इन्होंने खुद ने कहा था कि जिनको मकान नहीं मिल रहे हैं उनको देने के लिये, जिनके पास खुद के मकान हैं उनसे सरकारी मकान खाली करवाये जायेंगे। लोगों को मकान देने के लिये प्रायोरिटीज़ नहीं रखी जाती हैं और मनमानी की जाती है। केबिनेट ने कब डिसीज़न लिया, केटेगरीज कब बनीं? यह उस प्रश्न के आने के बाद बनीं या पहले बनीं जब कि आपने आश्वासन दिया था सदन को?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: जैसा कि मैंने निवेदन किया ईयर मार्क हाउसेज़ प्रायोरिटी के आधार पर किये जाते हैं। इसलिये किसको कौनसा, कितना नजदीक, किस ढंग से दिया जाता है यह सब प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाता है। ममकिन है किसी को गलत जगह मिल जाय, किसी को अच्छी जगह मिल जाय; पक्षपात होता है, ऐसी बात नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: पक्षपात का नमूना दूं क्या?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: दूसरा प्रश्न आ जायगा। प्रश्न को स्पष्ट रूप से मेरे सामने रख देते तो मैं बता देता कि फलां फलां को दिया जायगा, फलां फलां को नहीं दिया जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं दावे के साथ कह सकता हूं ....

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १२९

श्री मानिकचंद सुराणा।

(अनुपस्थित–छाया आगे देखिए)

श्री देवीलाल।

जयसमन्द तालाब के पेटे लगान के लिये सरकारी आदेश

१३०. **श्री देवीलाल** (सराडा-सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या उदयपुर जिले में स्थित जयसमन्द तालाब के पेटे का लगान नकदी में लेने बावत सरकार ने कोई आदेश प्रदान किये हैं?

(२) पेटे की भूमि का गत वर्ष का लगान क्या लिया गया है?

(३) क्या पेटा काश्त एलॉटमेंट रूल्स में यह प्रावधान है कि सेट्लमेंट में तयशुदा या पास के ग्राम में ऐसी भूमि का तयशुदा लगान लिया जाये?

(४) सलुम्बर तहसील के पेथूड़ी, गीगला व सादड़ी ग्राम में तालाबी पेटे के लगान की दर गत सेटलमेन्ट में निर्धारित की गई थी?

(५) क्या जयसमन्द के पेटे का लगान इसी निर्धारित दर से लिया जावेगा?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) जी हां।

(२) लगान कायम करने की कार्यवाही अभी चालू है। अतः गत वर्षों की अभी कोई वसूली नहीं की गई है।

(३) जी हां।

(४) गीगला में कोई लगान दरें निर्धारित नहीं की गई, बाकी दो गांव में थूडी व सादडी में जो दरें निश्चित कीं उनकी सूची संलग्न है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(५) यह मामला अभी विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री देवीलाल : जिनसे लगान वसूल किया गया है उनको वापिस किया जायेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वसूल किया ही नहीं है।

श्री देवीलाल: प्रश्न (४) में सलूम्बर तहसील के पेथूडी, गींगला व सादड़ी गांवों के बारे में प्रश्न है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने कहा कि पेथूडी व सादडी में जो पेटे काश्त भूमि है उसका लगान निर्धारित है और उसकी सूची संलग्न की है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): प्रश्न (३) में पूछा है कि एलॉटमेंट रूल्स थे क्योंकि तयशुदा लगान बराबर लिया जावे, चाहे चाही हो चाहे बारानी हो?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने देखा है उसके अन्दर प्रोवीज़न है। रिलेवन्ट रूल में है कि जहां सेंक्शन्ड रेन्ट रेट्स नहीं हैं वहां नेबरिंग एरियाज़ में जो बराबर की जमीन के रेन्ट रेट्स हों वे लिये जावें। कई सालों की वसूली नहीं की है और एस.डी.ओ. सारी बातों को विचार में लेकर इस मामले को तय कर रहा है। उसके फाइनलाइज होने पर एक तरह से वसूली की जावेगी।

श्री अब्दुल जब्बार : यह बहुत ही कॉम्पलीकेटेड मामला है, चाही और बारानी जमीन का लगान अलग अलग होगा, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस कॉम्पलीकेटेड मामले पर विचार करके लगान स्पेसीफिक तरीके से तय करना चाहिये।

(१२ मध्यान्ह)

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अध्यक्ष महोदय, जो रिलेवेन्ट रूल्स हैं उनकी धारा ९ इस मामले में स्पष्ट है, उसमें बताया गया है कि यदि वह एरिया सेटल्ड है तो सेटलमेंट के अन्दर जो रेंट रेट लिखी हुई है उस रेंट रेट के हिसाब से उस जमीन का लगान लेते हैं। और अगर उस सेटलमेंट की रेट निर्धारित नहीं की गई है तो ऐसी सूरत के अन्दर आस-पास उस किस्म की जमीन की जो दर है उस जमीन की दर के अनुसार उस जमीन का भी लगान लेते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर): यह जो वसूली का सवाल है यह कितने अर्से से सरकार के विचारधीन है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें कितने अर्से का सवाल नहीं है। गत साल यह प्रश्न उठाया था और उसके पहले कैश रेंट के बजाय प्रोड्यूस रेंट लेने की शिकायतें आई थीं। उस वक्त गवर्नमेंट ने आदेश देकर उस प्रोड्यूस रेट को लेना समाप्त कर दिया था और उसके बाद में कैश रेंट वसूल नहीं किया है क्योंकि कितना कैश रेंट वसूल किया जाना चाहिए इसके सम्बन्ध में एस.डी.ओ. आस-पास की जमीन के लगान की दरें मालूम करके रेट कायम करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मैं आशा कर सकता हूं कि सरकार इस बारे में, व्यवस्था करने के बारे में, विचार करेगी क्योंकि मुझे यह आशंका है कि अगर साल दर साल वसूली नहीं हुई तो काश्तकारों से

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
जब वसूली करने का प्रश्न आयगा तब एक दम अदा करने में दिक्कत होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: Very shortly it will be decided.

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूलाल करौल :

ग्राम झालाना के चरागाह

१३१. श्री **नाथूलाल करौल** (चाकसू) : [**श्री मानधातासिंह** (महुआ) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम झालाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के चारागाह को मालविया इन्जीनियरिंग कॉलेज के लिये सरकार ने ले लिया है?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में मवेशी करीब एक हजार से भी ज्यादा हैं?

(३) क्या यह सही है कि उन मवेशियों के चरन के लिये अब कोई सिवाय चक जमीन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मवेशियों के चरने के लिये कोई उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लडढा) : (१) जी हां, २५९ बीघा, १३ बिस्वा।

(२) जी नहीं, वहां केवल ३८१ मवेशी हैं।

(३) जी हां, झालाना ग्राम में नहीं है?

(४) झालाना गांव एवं आस-पास के गांवों में सवाई चक भूमि उपलब्ध न होने के कारण चरागाह कायम होना प्रायः कठिन है।

श्री मानधातासिंह : ग्राम तौरसे फी मवेशी आधा बीघा जमीन छोड़ी जाती है चरागाह के लिए, उसके हिसाब से पूरी टोटल जमीन चरागाह के लिए है या नहीं?

श्री रामप्रसाद लडढा : मैंने यह निवेदन किया कि जो मवेशी हैं, जिसकी तादाद मैंने अपने जवाब में लिखी है उनके लिए चरागाह कायम करने के लिये जितनी जमीन चाहिये उतनी वेकेन्ट लैण्ड उस गांव में या आस-पास दिलवाई जाय।

श्री अब्दुल जब्बार : जब यह तय कर रखा है कि जो चरागाह की जमीन है उसको किसी और काम में न लिया जाय तो फिर आपने यह क्यों ली?

श्री रामप्रसाद लडढा : मालवीया इन्जीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन चरागाह से ज्यादा आवश्यक समझी गई।

प्रश्न संख्या १३२

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १३३

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री दयाचन्द सोन।

बरसाती पानी से मकानों को नुकसान

१३४. **श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि ग्राम फतहपुर, पंचायत समिति, बारां में बरसाती पानी से खाडी नदी के आस-पास कई खाल व नाले पड़ गये हैं?

(२) क्या यह सच है कि यह खाल व नाले कटते कटते हरिजन बस्तियों तक आ पहुंचे हैं जिससे कई परिवारों के मकान गिर गये हैं ?

(३) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां ।

(२) जी हां।

(३) पंचायत बांध बनाने की योजना बना रही है।

श्री दयाचन्द सोन : यह समझ में नहीं आया। दुबारा उत्तर दीजिये जोर से, धीरे धीरे।

श्री दामोदरलाल व्यास : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) पंचायत बांध बनाने की योजना बना रही है।

श्री दयाचन्द सोन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि प्रश्न २ के उत्तर में है—कई परिवारों के मकान गिर गये हैं? इसका आपने जवाब दिया है—जी हां। इससे साबित होता है कि मकान गिरे हैं। पंचायत क्या योजना बना रही है?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत फतहपुर, मोहल्ला जाटवान में एक पक्का बांध नाले को रोकने के लिए बनाया गया था, १९५७-५८ में वह पहली बार तैयार किया गया जो अधिक कटाव के अन्दर टूट गया। दुबारा वह बांध १९६३-६४ में बनाया गया जो सही हालत में अभी है, लेकिन उसके बारे में अन्देशा है इसलिये पंचायत ने एक विस्तृत बांध की योजना बनाई है जो पंचायत समिति से स्वीकृत नहीं हुई है। उस योजना पर स्वीकृति की आवश्यकता है और पंचायत समिति या सरकार से स्वीकृत होने के बाद पक्का बांध बनाया जायेगा।

श्री दयाचन्द सोन : जिन हरिजनों के मकान टूटे हैं उनको सरकार ने क्या किसी प्रकार की सहायता दी है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है। यह मेरे विभाग से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : मकान कोई सौ या पचास रुपये में नहीं बनता है। वह हरिजनों के मकान हैं और हर साल दो-चार मकान गिरते हैं। आप कहते हैं, अलग से प्रश्न है ।

श्री अब्दुल जब्बार : पंचायत की योजना है—यह कितने की योजना है और कितनी धनराशि सरकार ने उपलब्ध की है?

श्री दामोदरलाल व्यास : बांध बनाने की योजना है—मैंने अपने जवाब में बता दिया है आपको।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या योजना की आउट लाइन चॉक-आउट कर दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : योजना की विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है कि कितना लम्बा-चौड़ा बांध बनेगा। बांध बनाने की योजना है। मैंने आपको बताया कि दो बार बांध बन चुका है। एक दफा १६५७-५८ में और दुबारा १६६३-६४ म। दुबारा जो बांध बनाया था वह अब तक मौजूद है लेकिन वह काफी नहीं है कटाव को रोकने के लिये। इसलिये ज्यादा विस्तृत और बड़ा बांध बनाने की योजना है।

श्री दयाचन्द सोन : आपको मिनिस्टर बने हुए तीन रोज हुए हैं। मैं वहां का रहने वाला हूं, वह मेरी जन्म भूमि है, मैंने वह गांव देखा है और कटाव की स्थिति में हर साल दो चार मकान गिरते हैं। पंचायत समिति से वह बांध पन्द्रह साल में भी पूरा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

पाली में अकाल राहत कार्यों पर व्यय

१३५. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में १६६३-६४ में अकाल राहत कार्यों पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(२) उक्त अर्से में इस जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घास के परिवहन पर ?

(३) उक्त घास जहां जहां पर पहुंचाया गया उनकी दूरी परिवहनों के बिलों के भुगतान हेतु क्या मानी गई व वास्तविक दूरी उक्त स्थानों की घास उठाने की जगह से क्या है ?

(४) उक्त घास के परिवहन के लिये जो टेन्डर्स मांगे गये व जो एग्रीमेन्ट किया गया उसकी शर्तें क्या क्या थीं व क्या जो दूरी मानी गई वह वाजिब थी ?

(५) घास के परिवहन का किराया किस तरह से स्वीकार किया गया-प्रति मील के हिसाब से या प्रति मन के हिसाब से व किराये का भुगतान क्या उक्त दर से घास उठाने के स्थान से घास पहुंचाने के स्थान तक की दूरी का ही किया गया या इससे अधिक और यदि अधिक किया गया तो क्यों व कितना रुपया अधिक दिया गया व उसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय मैंने इसको स्थगित करने का निवेदन किया है, क्योंकि यह प्रश्न इतना कॉम्प्लीकेटेड है और इतना हिसाब मांगा है, परिवहनों का कितना रुपया, बिलों का भुगतान, एग्रीमेन्ट कैसे क्या क्या है, आदि का। मैंने सब जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न किया लेकिन प्रयत्न के बावजूद आंकड़े नहीं आ रहे हैं। आंकड़ों का संकलन करना पड़ेगा, प्रसेस करना पड़ेगा और ढेर की ढेर जानकारी आयेगी। इसलिये मैंने प्रश्न को स्थगित करने का निवेदन किया है।

प्रश्न संख्या १३६

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्द सहाय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

Page No 27

(श्री अध्यक्ष) प्रश्न संख्या १३७

श्री उदयलाल वर्दिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखियें)

श्री जयनारायण सालोदिया।

राजस्थान खादी बोर्ड के कर्मचारी

१३८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सन् १९५८ से १९६४ तक कितने कर्मचारियों को चार्ज शीट दी गई व कितनों के खिलाफ़ अदालतों में मुकदमे चलाये गये जिनमें से कितने केस कर्मचारियों के पक्ष में फैसल हुए व कितने बोर्ड के पक्ष में? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त अवधि में बोर्ड ने कितने रुपये अदालतों के निर्णय के अनुसार बाद में उन कर्मचारियों को दिये जिनको कि सस्पेंड व बर्खास्त कर रखा था?

मन्त्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री अमृतलाल यादव) : (१) पांच व्यक्तियों को चार्ज शीट दी गई है और उनके मामले नियमानुसार पुलिस के सुपुर्द किये गये, उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

(१)	श्री बद्रीनारायण कट्टा	ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, सांगानेर
(२)	श्री श्याम चरण भार्गव (इनकी मृत्यु हो गई)	चर्म वस्तु भण्डार
(३)	श्री रामेश्वर लाल	सरंजाम का०
(४)	श्री कृष्णकुमार	गुड़-खांडसारी
(५)	श्री हर्ष नारायण	गुड़-खांडसारी

प्रथम व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने अदालत में मुकदमा चलाया। फैसला श्री कट्टा के पक्ष में हुआ।

दूसरे व्यक्ति के सम्बन्ध में निर्णय की जानकारी बाद में प्राप्त, बोर्ड को हो चुकी है।

तीसरे व्यक्ति को जजेज़ कोर्ट द्वारा सजा दी गई।

चार व पांच नम्बर के व्यक्तियों का मामला पुलिस में विचाराधीन है।

(२) अभी तक किसी को कोई रकम नहीं दी गई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह जानकारी की है विभाग से कि जिनके खिलाफ विभाग ने मामले चलाये उनके तथ्यहीन मामले थे या ईर्ष्या की दृष्टि से मामले चलाये गये और अदालत में जाकर आपके खिलाफ फैसला हुआ? आपने यह जांच कराई है कि किसकी गलती से विभाग को नुकसान हुआ?

श्री अमृतलाल यादव : विभाग को नुकसान नहीं हुआ है। जिनके खिलाफ मामले चलाये गये उनमें जो जो दोषी पाये गये उनको सजा मिली और जो लोग मुकदमे में बरी हो गये उनके बारे में कोर्ट ने निर्णय किया है क्योंकि कोर्ट को उनके बारे में कन्सीडरेशन करना था। अब एक व्यक्ति निकलता है उसको बोर्ड से जो लेना निकलता है वह देना होगा। उससे वसूली के बाद में जो

(श्री अमृतलाल यादव)
देना होगा वह दिया जायगा। इसमें विभाग को लाभ या हानि होने का सवाल नहीं है।

प्रश्न संख्या १३६

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थिति–कृपया आगे देखिये)

श्री दयाचन्द सोन।

विकास भवन एवं खरंजा में सरकारी धन का दुरुपयोग

१४०. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत रटावद के विरुद्ध विकास भवन व आदर्श कुआ, खरंजा आदि के कार्य में सरकारी धन का दुरुपयोग करने की शिकायत की गई थी?

(२) क्या यह सही है कि सरपंच के इन कार्यों की जांच एस. डी. ग्रो., बारां द्वारा की गई ? यदि हां, तो एस. डी. ग्रो. की जांच का क्या परिणाम रहा ?

(३) क्या सही है कि इसके पश्चात् सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा भी इसकी जांच की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(४) क्या यह सही है कि भूतपूर्व ओवरसीयर ने विकास भवन रटावद के कार्य को अस्वीकृत करते हुए पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सिफ़ारिश की ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी हां, सरपंच को रकम के दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया गया है।

(३) जी हां, कार्य निम्नकोटि का बताया गया है।

(४) जी हां।

श्री दयाचन्द सोन : क्या यह सही है कि इस सरपंच को चुनाव के पहल ही सस्पेन्ड कर दिया था ; पंचायत चुनाव के पहले ही सस्पेन्ड कर दिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपका सवाल । पंचायत चुनाव के पहले सस्पेन्ड कर दिया था ?

श्री दयाचन्द सोन : जी हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको आरोप-पत्र दिया गया उसके फलस्वरूप सरपंच के विरुद्ध अधिनियम १७ (४) की कार्यवाही की गई और २-६-६४ को फ़ाइंडिंग्ज दर्ज की गई उनके खिलाफ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसके बाद क्या यह सही है कि सरपंच को सस्पेन्ड कर दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फाइंडिंग्ज दर्ज करने का मतलब है कि आदमी डिस-क्वालिफाई हो जाय आयन्दा चुनाव लड़ने से। इसके बाद में प्रभुलाल सरपंच ने एक रिव्यू पिटीशन गवर्नमेन्ट को पेश की १०-४ को, उसके ऊपर जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला हो उस वक्त तक स्थगन कर दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या अभी भी वह सरपंच है रटावद पंचायत में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मालूम नहीं। उसकी रिव्यू पिटीशन पैंन्डिग है और जो फाइन्डिग्ज दर्ज हुई वह अभी तक स्टे हैं।

श्री दयाचन्द्र सोन : फिर आपको मालूम क्या है?

श्री अब्दुल अब्बार (निम्बाहेड़ा) : अभी आपने उस सरपंच की डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बताया। वह डिसक्वालिफाइड है लेकिन अभी भी सरपंच है। इसका क्या जवाब देते हैं? आया उस सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं या केवल कागजी घोड़े दौड़ाना चाहते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे ख्याल से अगर आप मेरे जवाब को सुनने का कष्ट करते तो यह प्रश्न पूछने की नौबत नहीं आती। आज की तारीख में वह सरपंच है या नहीं, यह मैं कैसे कह सकता हूं। हो सकता है उसने स्तीफा दे दिया हो। गवर्नमेंट के फाइन्डिग्ज थे उसको एग्जिक्युटिव इंजीनियर झालावाड़ को भेज दिया गया है वह उसका तकमीना करके भेजें। उसका जबाब आने के बाद उसने जो रिव्यू एप्लीकेशन की है उस पर फैसला होगा। उसने रिव्यू पिटीशन की फाइन्डिग्ज के खिलाफ, उस पर यह स्टे हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो फाइन्डिंग दी वह उसको हीयरिंग देने के बाद ही और सफाई का मौका देने के बाद ही दी होगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : सफाई का मौका दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर कौनसा कारण है कि आपने फाइन्डिग्ज देने के बाद स्टे किया।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसको फाइन्डिग्ज के खिलाफ रिव्यू पिटिशन देने का अधिकार है, उसको तो हम कैसे रोक सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपके रिवीजन में स्टे देने का कारण यह है कि वह चुनावों में खड़ा हो सके।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसकी आपने फाइन्डिंग हियरिंग करके की फिर आपने उसको रिव्यू पिटिशन पर कैसे स्टे दिया जब आपने २-९-६४ को फाइन्डिंग रेकर्ड कर दी थी ....

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने तारीख नहीं बताई। २-१-६५ को स्टे ऑर्डर दिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २-९-६४ को आपने फाइन्डिंग रेकर्ड कर दी और सस्पेन्ड कर दिया तो उसके बाद उसका चार्ज किस को दिलाया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने २१-१-६५ को स्टे ऑर्डर दिया ताकि वह चुनावों में खड़ा हो सके। आपने २-१-६५ को स्टे ऑर्डर दे दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि २-९-६४ को जब आपने उसके खिलाफ फाइन्डिंग दे दी तो किस आदमी ने उस सरपंच की जगह काम किया और किसने चार्ज लिया और अगर चार्ज किसी ने उनका नहीं लिया तो सरकार ने चार्ज दूसरे सरपंच को क्यों नहीं दिलाया?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका चुनावों से कोई संबन्ध नहीं है। उसने रिव्यू पिटीशन पेश की है और उस पर स्टे ऑर्डर देने का सरकार को अधिकार है और उसको रिव्यू पिटीशन करने का अधिकार है। स्टे २-१-६५ को दिया गया। उसके बाद में चुनाव हुए। चार्ज किसके पास में रहा, यह प्रश्न में नहीं पूछा गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार इस बात की जांच करावेगी कि जब आपने उसको सस्पेन्ड कर दिया तो इसका चार्ज किसी दूसरे को क्यों नहीं दिलाया गया और यह सरपंच का काम क्यों करता रहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जांच कराने की मैं आवश्यकता इसलिये नहीं समझता; स्टे दे दिया ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २-९-६४ को आपने आॅर्डर जारी किया। वह २-१-६५ तक काम करता रहा। जिस आदमी को आपने सस्पेन्ड कर दिया और जब कोई आदमी सस्पेन्ड हो जावे, डिस्क्वालिफाइड हो जावे और कलेक्टर और एस० डी० ओ० की फाइन्डिंग हो जावे और फिर भी वह काम करता रहे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कभी नहीं कहा कि वह सस्पेन्ड कर दिया गया था। मैंने यह कहा है कि फाईडिन्ग्ज दर्ज कर दी गई। फाइन्डिंग दर्ज होने के बाद में गजट नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन होने से पहले ही उसने रिव्यू पिटीशन पेश कर दी और इन्क्वायरी के लिये ऑर्डर दे दिये फैक्ट्स फाइन्डिंग के लिये। इसलिये यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि चार्ज कैसे नहीं लिया। बिला वजह में इन्क्वायरी में नहीं पड़ना चाहता।

प्रश्न संख्या १४१।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा में मारवाड़े पशुपालकों को बसाने की योजना

११४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सत्य है कि कोटा नगर के आसपास वर्षों से मारवाड़े पशुपालक अपने मवेशियों के साथ रह रहे हैं ?

(२) क्या उपरोक्त व्यक्ति भूमिहीन हैं ? अगर हां, तो इन्हें बसाने की क्या योजना है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां, अधिकतर मारवाड़े भूमिहीन हैं क्योंकि उनका धन्धा पशुपालन है पर बहुत से मारवाड़े जिन्होंने जमीन अलॉट के लिये अपने आवेदन-पत्र तहसील में प्रस्तुत किये उनको तहसील लाड़पुरा से सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन की गई है। इनको बसाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

आंवा के हायर सैकन्डरी स्कूल में विज्ञान की कक्षायें

११६. **श्री जुझारसिंह (चेचट)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति सांगोद के ग्राम आंवा में हायर सेकन्डरी स्कूल की इमारत पर अब तक कितना रुपया जनता द्वारा व कितना सरकार द्वारा खर्च किया जा चुका है ?

(२) क्या ग्राम पंचायत आंवा द्वारा हायर सेकन्डरी स्कूल आंवा में साइन्स क्लासेज खोलने के लिये सरकार से प्रार्थना की गई है ? यदि हां, तो सरकार ने किन शर्तों पर ग्रामीण क्षेत्रों में साइन्स क्लासेज खोलने का प्रावधान रक्खा है और क्या आंवा द्वारा वे शर्त पूरी कर देने पर वहां साइन्स कक्षाएं खोल दी जाने की उम्मीद है ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) पंचायत समिति सांगोद में कुल कितने हाई स्कूल व हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं और उनमें से कितनों में साइन्स क्लासेज का प्रावधान है ?

उत्तर

(१) हायर सेकन्डरी स्कूल, आंवा के भवन पर अब तक ६०००) रुपया सरकार द्वारा तथा ४५,०००) रुपया जनता द्वारा खर्च किया जा चुका है ।

(२) जी हां। आंवा में जुलाई, ६५ से विज्ञान की कक्षाएं चालू कर दी गई हैं।

(३) पंचायत समिति सांगोद में निम्न हाई व हायर सैकन्डरी स्कूल हैं:—

(१) हाई स्कूल, सांगोद
(२) हायर सैकन्डरी स्कूल आंवा
(३) जूनियर हायर सैकन्डरी स्कूल, कनवास।

उपरोक्त शालाओं में से हाई स्कूल सांगोद तथा हायर सैकन्डरी स्कूल आंवा में साइन्स विषय पढ़ाया जा रहा है ।

बीदासर दड़ीबा में मातृ सेवा सदन

११७. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीदासर दड़ीबा की जन संख्या को देखते हुए क्या सरकार वहां मातृ-सेवा सदन की आवश्यकता अनुभव करती है ?

(२) क्या बीदासर में जन सहयोग से मातृ सेवा सदन बना कर सरकार को भेंट करने के कोई प्रस्ताव बीदासर के लोगों की ओर से आये हैं ? यदि हां, तो किनके ? ये प्रस्ताव कब प्राप्त हुए ?

(३) क्या इनमें से कोई प्रस्ताव स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसका ? क्या इसकी पूर्ति के लिये कोई इकरारनामा किसी पार्टी से किया गया है ? यदि हां, तो किससे और वह पार्टी कब तक मातृ सेवा सदन बना देगी ?

(४) क्या दूसरे प्रस्तावकों को इसकी सूचना दे दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) यदि अभी तक कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया ह, तो अब कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(१) बीदासर में मातृ सदन २७-१-१९५७ से तो चल रहा है ।

(श्री चिकित्सा मंत्री)

(२) एक प्रस्ताव श्री मानमल भनोत का तथा दूसरा श्रीमती भंवरी देवी का मारफत ओसवाल सभा, बीदासर दिनांक २५-१-६४ को प्राप्त हुआ।

(३) श्रीमती भंवरी देवी द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव राज्य सरकार से अगस्त, १९६५ में स्वीकृत हुआ है; इसकी पूर्ति के लिये श्रीमती भंवरी देवी मारफत ओसवाल सभा, बीदासर से गिफ्ट डीड भेजने के लिये जिला चकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ को संचालक, स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या १२०३, दिनांक ६-९-६५ को लिखा गया है।

(४) चूंकि श्री मानमल भनोत ने प्रस्ताव देने के बाद किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं बताई, अतः उसे सूचना देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(५) सरकार ने ओसवाल सभा, बीदासर का प्रस्ताव दिनांक ३१-८-६५ को स्वीकार कर लिया है।

पंचायत समिति राजगढ़ को समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई धनराशि

१२१. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति, राजगढ़, जिला अलवर को सन् १९५९-६० में किस किस कार्य हेतु कितनी कितनी धनराशि समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उक्त धनराशि में से कौन कौन से कार्य मुकम्मिल कर लिये गए तथा उनमें से कितनों के और किस किस कार्य के मुकम्मिल होने के सर्टिफिकेट विभाग को प्राप्त हो चुके हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति को ऊपर लिखित वर्ष के अनुदानों के संबंध में ऑडिट ने अपने एतराज करके कतिपय रकमों की वसूली की जाने के लिये लिखा था ?

(४) इन रकमों को वसूल करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची "क" और "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां।

(४) नियमानुसार जिन व्यक्तियों ने अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया है अथवा कार्य चालू नहीं किया है, ऐसे व्यक्तियों के लिये पंचायत समिति द्वारा रकम वसूली किये जान के सम्बन्ध में नोटिस दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

वैद्यों द्वारा एलोपैथिक औषधियों का प्रयोग

१२२. **श्री दुर्गालाल बाड़वार (हवामहल, जयपुर)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले रजिस्टर्ड वैद्य एलोपैथिक औषधियों का

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
प्रयोग कर सकते हैं और यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई नियम बने हुए हैं ? यदि नियम हैं, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या वैद्य लोग जो एलोपैथिक औषधियां केवल बीमारों को औषध रूप में देने में प्रयोग करते हैं उन्हें भी ड्रग्ज एक्ट के तहत औषध विक्रय करने का लाइसेन्स लेना आवश्यक है ?

(३) क्या राज्य सरकार ने आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करने वाले व्यक्तियों द्वारा एलोपैथिक औषधियों का प्रयोग करने हेतु कोई विज्ञप्ति, आज्ञा आदि भी जारी किये हैं? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) सर्किट रूप में ड्रग रूल के अन्तर्गत उन्हें आर. एम. पी. शिड्यूल एच और एल. के ड्रग्स के लिये प्रमाणित किया गया था; जब तक भारत सरकार द्वारा ड्रग रूल के अन्तर्गत आर. एम. पी. की परिभाषा तय नहीं कर दी जावे।

(२) उपरोक्त सुविधानुसार इन को भी एलोपैथिक औषधियों को बीमारों का उपचार करने के लिए प्रयोग करने हेतु डाक्टरों की तरह ड्रग एक्ट के तहत लाइसेन्स लेना आवश्यक नहीं होता।

(३) विज्ञप्ति संख्या एफ. १६–ए (२) एम.।५३ दिनांक २४-८-१९५९ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। भारत सरकार द्वारा आर. एम. पी. की परिभाषा तय कर दी गई है, अतः इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

खांदू गांव में आदिवासी छात्रावास

१२५. **श्री विट्ठलभाई** (बांसवाड़ा–सु०): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में खांदू गांव में आदिवासी छात्रावास खोलने के लिये वहा लोगों ने मांग की है ?

(२) यदि हां, तो छात्रावास खोलने के लिये सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में छात्रावासों के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाने से जिला बांसवाडा, खांदू ग्राम में आदिवासी छात्रावास खोलना संभव नहीं है।

चेचक बीमारी सम्बन्धी रिपोर्ट

१२६. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर में गत वर्ष चेचक के फैलने के कारणों की जांच के लिये नियुक्त सुराणा कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उक्त रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने आज तक क्या निर्णय लिये हैं और कौन से

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
कदम उनको क्रियान्वित करने के लिये उठाये हैं ? उनका व्योरा देने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) यह रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

बीकानेर अनिवार्य पाठशाला कानून

१३२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा कानून के बन जाने से बीकानेर अनिवार्य पाठशाला कानून के समाप्त होने पर उन स्कूलों का संचालन किस कानून के अन्तर्गत होगा तथा वहां के शिक्षकों की स्थिति क्या होगी ?

उत्तर

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६४ की धारा २९ के अनुसार बीकानेर कम्पल्सरी प्राइमरी एक्ट, १९२९ के अधीन की गई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा की गई समझी जावेगी अतः बीकानेर अनिवार्य पाठशाला पहले की तरह चलती रहेगी और इनमें किसी प्रकार की निकट भविष्य में तब्दीली की सम्भावना नहीं है।

ट्रेसपासर किसानों के लिये फार्म भरने सम्बन्धी आदेश

१३३. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने ट्रेसपासर किसानों को अपने कब्जे नियमित कराने के लिये ३१ जनवरी, १९६५ तक फार्म भरने हेतु आदेश जारी किये थे ?

(२) यदि हां, तो बूंदी जिले में कौनसी तहसील में कितने कितने काश्तकारों द्वारा फार्म भरे गये हैं ?

उत्तर

(१) केवल गैर-मुमकिन भूमि पर अनाधिकृत कब्जों के नियमन हेतु पहिले दिनांक ३१–१–६५ तक प्रार्थना-पत्र पेश करने के आदेश जारी किये थे परन्तु बाद में अवधि बढा कर दिनांक ३१–५–६५ कर दी गई थी। इसी प्रकार छोटे २ भू-खण्डों के अवैध कब्जों को जायज कराने के लिये प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तारीख भी ३१–५–६५ रक्खी गई थी।

(२) बूंदी जिले में राजस्व विभाग के इन आदेशों के अन्तर्गत १६६२ काश्तकारों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं। तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है:—

(१)	तहसील हिन्डोली	३९८
(२)	तहसील नैनवा	६८
(३)	तहसील बून्दी	३१३
(४)	तहसील पाटन	८८३
	योग	१,६६२

जनाना अस्पताल भवन को राजकीय आयुर्वेद औषधालय भवन के निमित्त देना

१३६. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में पुराने जनाने अस्पताल के भवन को

Page No 35

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)
राजकीय आयुर्वेद औषधालय को दे दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि वह भवन अब तक चिकित्सा विभाग द्वारा खाली नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां, इस सम्बन्ध में जिलाधीश, अलवर ने आदेश प्रचलित कर दिये थे ।

(२) सही यह है कि एक भाग पर तो आयुर्वेद विभाग ने कब्जा कर लिया है और शेष के लिये जिलाधीश से लिखा-पढ़ी चल रही है क्योंकि चिकित्सा विभाग के ४ ऑफिसेज उसी भवन में चल रहे हैं।

चरनोट के लिये भूमि

१३७. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाडिया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील के पटवार मंडल चारगदिया के गांवों में से किन किन गावों को कितनी कितनी भूमि चरनोट के लिये दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त गावों की चरागाह की जमीन में से खेती के लिये जमीन अलॉट करदी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) पटवार मण्डल चारगदिया के :

(१) ग्राम चारगदिया	८८८।।।)
(२) ग्राम गाडरीयावास	७१।)३
(३) ग्राम फौजबडली	४८।)३
(४) ग्राम नीमडी	७३।।।)३

में चरनोट कायम होकर पंचायत के सुपुर्द हो चुकी है।

(५) ग्राम गोपालपुरा भूमि चरनोट में कायम करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। पंचायत को सुपुर्द अब की जावेगी २९)३

(६) ग्राम जेतपुरा के लिये कार्यवाही जारी है ।

(२) जी नहीं।

झोटवाडा बीड की भूमि

१३९. **श्री श्रवण लाल** (हिण्डौन–सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि तहसील जयपुर की झोटवाडा बीड की भूमि नांगल बौरा के हरिजनों को अलॉट करने के लिए उनके प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त हरिजनों ने सन् १९६४ में इस बीड के अस्सी बीघा में काश्त की थी ?

(३) सरकार इस जमीन को हरिजनों को कब तक दे देगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) यह जमीन हरिजनों को आवंटित किया जाना निम्न कारणों से संभव नहीं :—

(१) यह भूमि वन विभाग (ग्रास फार्म) की है ।

(श्री राजस्व मंत्री)

(२) यह मास्टर प्लान में अर्बनाइज्ड एरिया में बतलाई हैं।

बीदासर अस्पताल में एक्स-र मशीन की कमी से असुविधा

१४१. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बीदासर अस्पताल में एक्स-रे मशीन की कमी से जनता को बहुत असुविधा होती है ?

(२) यदि हां, तो सरकार कब तक बीदासर के लिये एक्स-रे मशीन उपलब्ध करावेगी ?

(३) बीदासार के लोगों के लिये एक्स-रे मशीन निकटतम स्थान पर कहां उपलब्ध होती है ?

उत्तर

(१) जी हां, यहां एक्स-रे की मशीन नहीं है।

(२) सरकार द्वारा एक्स-रे की मशीन रतनगढ़ से बीदासर भेजने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

(३) बीदासर की जनता को यह सुविधा रतनगढ़ व सुजानगढ़ में उपलब्ध होती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

निम्बाहेड़ा कस्बे के हरिजनों की संख्या एवं आवास व्यवस्था

४०. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

निम्बाहेड़ा कस्बे में कुल हरिजन जनसंख्या कितनी है तथा उनके निवास के लिये सरकार द्वारा कितने मकान बनवाए गए हैं ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

उदयपुर डिविजन में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास

४१. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (साहड़ा-सु०: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर डिवीजन में समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने होस्टल्स चलाये जाते हैं तथा प्रत्येक होस्टल में कितने कितने छात्र रखने का प्रावधान है और प्रत्येक छात्र पर कितना रुपया व्यय किया जाता है ?

(२) सन् १९६५ में सब होस्टलों में छात्रों की संख्या क्या है ?

उत्तर

(१) उदयपुर डिवीजन में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के २१ राजकीय छात्रावास चलाये जा रहे हैं, प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत छात्र संख्या संलग्न सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है। सन् १९६४–६५ में इन छात्रावासों में प्रत्येक छात्र पर औसतन ५० रुपये प्रति छात्र प्रति माह खर्च हुआ है।

(२) सन् १९६५-६६ में इन समस्त छात्रावासों में स्वीकृत छात्र संख्या ८९५ है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

बांसवाडा क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक शालायें

४२. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ व सज्जनगढ़ पंचायत समितियों के क्षेत्रों में हायर सेकन्डरी स्कूलें खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कहां कहां और कब तक?

(२) क्या यह सही है कि इन क्षत्रों में हायर सेकन्डरी स्कूलें नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाइयां रहती हैं?

उत्तर

(१) जी नहीं, सन् १९६५–६६ में किसी भी मिडल स्कूल को हायर सैकन्डरी बनाने का प्रावधान नहीं है।

(२) किसी हद तक यह कठिनाई अवश्य रहती है।

ग्राम तिलांजू की प्राथमिक पाठशाला

४३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) व **श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम तिलांजू तहसील मालपुरा, जिला टोंक की प्राथमिक पाठशाला में १३० छात्र हैं और वहां पर लोगों ने भी ३००) रु० स्कूल भवन के लिए सरकार के पास जमा करा रखे हैं। यदि हां, तो मिडल स्कूल बनाने की योजना कब तक कार्यान्वित हो जायगी?

उत्तर

पाठशाला की कुल छात्र संख्या १२४ है लेकिन दैनिक उपस्थिति १०८ है। ३००) रु० जनता द्वारा जमा नहीं कराये गये हैं। इस वर्ष प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में प्रोउन्नत करने का प्रावधान नहीं है।

कोटा जिले की तहसील मांगरोल के भूमिहीन काश्तकार

४४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले की तहसील मांगरोल में कितने काश्तकार भूमिहीन हैं और कितने भूमिहीनों ने तहसील में भूमि के लिये दरख्वास्तें दी हुई हैं?

उत्तर

जिला कोटा, तहसील मांगरोल में १२६२ भूमिहीन हैं। इनमें से २१६ भूमिहीन काश्तकारों को ९४७ एकड भूमि दी जा चुकी है। पर ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें भूमिहीन ने दरख्वास्त दे रखी हो और वह विचाराधीन पड़ी हो।

भदेसर में भूमि आवंटन

४५. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६५ में तहसील भदेसर में कुल कितनी भूमि एलॉट की गई तथा कितने व्यक्तियों को?

(२) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचि जन जाति के कितने व्यक्तियों को भूमि एलॉट हुई है?

उत्तर

(१) अगस्त सन् १९६५ में तहसील भदेसर में कुल १२५७ एकड भूमि ४४६ व्यक्तियों को एलॉट की गई है।

(श्री राजस्व मंत्री)

(२) ४४६ व्यक्तियों में से ११९ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ३७४ एकड भूमि व ४५ अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को ११४ एकड भूमि एलॉट की गई। बाकी २८२ व्यक्तियों में से १ एक्स-सर्विस मैन को ५ एकड, ४ स्वर्णकार को १६ एकड तथा २७७ अन्य व्यक्तियों को ७४८ एकड भूमि एलॉट की गई है।

आंवा एवं अन्य सब-सेन्टर्स (प्राइमरी हैल्थ सेन्टर) पर मकान व स्टाफ की व्यवस्था

४६. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पंचायत समिति, सांगोद, जिला कोटा में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोले जाने के बाद आंवा व दूसरे सब-सेंटर्स पर मकानात व स्टाफ का इन्तजाम नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा, राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिनांक १०–४–६५ को खोला जा चुका है। जिस भवन में यह केन्द्र चल रहा है उसी में स्टॉफ भी रहता है। इस इमारत में बहुत सी कमियां हैं जिसके लिये प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा पी० डब्ल्यू० डी० से एस्टीमेट मांगे गये हैं। ट्रेन्ड स्टाफ की सामान्य कमी या अभाव के कारण पूरा स्टाफ का इन्तजाम नहीं हो सका; उपलब्ध होने पर भेजा जावेगा। पंचायत समिति ने अभी तक उप-केन्द्रों को चालू करने के लिये भवनों का प्रबन्ध नहीं किया है। भवन उपलब्ध होने पर स्टॉफ की नियुक्ति की जा सकेगी।

चिकित्सालय हेतु सरकारी सहायता

४७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

चिकित्सा विभाग द्वारा ग्राम आंवा, जिला कोटा में बनाये गये करीब ३०,०००-रु० की लागत के मकान को अनुदान रूप में स्वीकृत कर लेने के बाद चिकित्सालय को पूर्ण करने हेतु कितनी सरकारी सहायता देने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

आंवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण करने के लिये सरकारी सहायता हेतु एस्टीमेट सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड से मांगे जा चुके हैं और उनके आने पर ही सही धनराशि बताई जा सकेगी।

देलवाडा के अस्पताल में डाक्टर

४८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) देलवाडा अस्पताल, तहसील नाथद्वारा, जिला उदयपुर में डाक्टर कितने अर्से से नहीं है और किस कारण से ?

(२) अब इस अस्पताल में डाक्टर कब तक पहुंच जावेगा ?

उत्तर

(१) डाक्टर माह जुलाई, १९६३ से नहीं है क्योंकि डाक्टरों की कमी है।

(२) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये डाक्टर एम.एम. डूगर की नियुक्ति के आदेश दिनांक २८–८–६५ द्वारा किये जा चुके हैं।

पंचायत समिति सराड़ा के पंचायत विभाग के तालाब

४९. **श्री देवीलाल** (सराडा–सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति सराडा में पंचायत विभाग के अधीन कितने सिंचाई तालाबों की सर्वे वर्ष १९६० से १९६४ तक कराई गई है और कितने तालाबों का कार्य पूरा किया गया है ?

(२) पंचायत समिति, सराडा द्वारा उक्त वर्षों में कितनी कितनी रकम इन कार्यों के लिये बजट में रखी गई थी और कितनी खर्च की गई ?

उत्तर

(१) इस अवधि में कोई सर्वे नहीं कराई गई व न किसी तालाब का कार्य पूर्ण हुआ ।

(२) इस अवधि में ६०००)रु० की राशि स्वीकृत थी। उसमें से १५००) रु० की राशि खर्च हुई ।

नीम का थाना पंचायत समिति के अन्तर्गत नर्सरी

५०. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नीम का थाना पंचायत समिति के अन्तर्गत जो नर्सरी सिरोही की नदी के पास चालू है इसमें सन् १९६१ से मार्च सन् १९६५ तक कितने रुपयों का खर्चा किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस नर्सरी की कुल लागत कितनी बैठ चुकी है व उससे कुल आमदनी कितनी हुई ? कृपया पूरी तफसील सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या यह सही है कि इस नर्सरी में कुछ मवेशी रहते हैं ? अगर हां, तो यह मवेशी किस किस के हैं और उनका खर्चा किस प्रकार उठाया जाता है ?

उत्तर

(१) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(२) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(३) जी नहीं। पूर्व में पंचायत समिति के दो पाडे रहते थे जो हल जोतने के काम आते थे । इसी प्रकार चार सान्ड रखे गये थे जिन्हें अब पंचायतों को बांट दिया गया है। इन सान्डों का खर्चा पशुपालन विभाग द्वारा दिया गया था ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

पंचायत समिति, इटावा द्वारा काश्तकारों को ऋण

५१. **श्री लक्ष्मीचंद** (पीपलदा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, इटावा द्वारा सन् १९६२ से अब तक कृषि कुओं के लिये कितने काश्तकारों को ऋण दिया गया है और उनमें अनुसूचित जाति के काश्तकार कितने हैं ?

(२) कितने कुएं तैयार हो गये हैं और कितने बाकी हैं ?

(३) जिन कुओं का कार्य पूरा नहीं हो सका है उसका क्या कारण है ?

(श्री पंचायत मंत्री)

उत्तर

(१) ५७ काश्तकारों को ऋण दिया गया है जिनमें अनुसूचित जाति के १३ काश्तकार हैं।

(२) २५ कुए तैयार हो गये हैं व ३२ बाकी हैं।

(३) १९ काश्तकारों ने बिल्कुल ही कार्य नहीं किया है अतः उनके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है। १३ काश्तकारों ने रकम का उपयोग किया है किन्तु चट्टान निकलने के कारण अधूरे पड़े हुए हैं व काश्तकार अपनी क्षमता से धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं।

ग्राम तिलांजू में ग्राम सभा भवन

५२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम तिलांजू, तहसील मालपुरा में १५०० व्यक्तियों की आबादी है और वहां पर अभी तक ग्राम सभा भवन नहीं बना हुआ है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सभा भवन बनाने की योजना रखती है ?

उत्तर

(१) लगभग ११०० व्यक्तियों की आबादी है। ग्राम सभा भवन नहीं बना हुआ है।

(२) राज्य सरकार की कोई योजना ग्राम सभा भवन निर्माण की नहीं है।

पंचायत समिति के अध्यापकों के तबादले के नियम

५३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु०): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

एक जिले से दूसरे जिले में अध्यापकों को ट्रान्सफर करने के क्या नियम हैं ?

उत्तर

पंचायत समिति सेवा के कर्मचारियों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण सम्बन्धित पंचायत समिति एवं जिला परिषद् की सिफारिश पर राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन की स्वीकृति से किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों को हस्तांतरित की गई राशि

५४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में राज्य की पंचायत समितियों को कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई ?

(२) उस राशि में से मार्च, १९६५ के महीने में कितनी राशि दी गई ?

(३) वर्ष की पहली तिमाही में कितनी राशि दी गई ?

उत्तर

(१) सोलह करोड इक्तीस लाख नवासी हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।

(श्री विकास मंत्री)

(२) मार्च, १९६५ में सात करोड अडतालीस लाख अठत्तर हजार रुपये की राशि दी गई।

(३) वर्ष की पहली तिमाही में छयालीस लाख पन्द्रह हजार रुपये की राशि दी गई।

(१२.१५ म. प.)

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व ख–विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(१) अधिसूचना संख्या एफ. ६(१८) राज।६५ दिनांक २४ फरवरी, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (चूने के भट्टों के लिये अनधिकृत सरकारी भूमि का आवंटन नियम, १९६५ प्रकाशित किये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): फाइनेन्स विभाग देरी से रखती··

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह २४ फरवरी, १९६५ की डेट है, गजट में प्रकाशित होने के बाद में लेते हैं।

(२) अधिसूचना संख्या एफ. ६(८२) राज। ख। ६३ दिनांक २४ अप्रेल, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, १९५७ में संशोधन किये गये हैं।

(३) अधिसूचना संख्या एफ. ६(९) राजस्व ।ख। ६४ दिनांक १२ मई, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान टिनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६३ में संशोधन किये गये हैं; तथा

(४) अधिसूचना संख्या एफ. ६(११६) राजस्व ।ख। ग्रुप १।६४, दिनांक २२ जून १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (बीज भण्डारों के निर्माणार्थ भूमियों का आवंटन तथा परिवर्तन) नियम, १९६५ प्रकाशित किये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब प्रकाशित हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गजट में जो डेट है, नोटिफिकेशन की जिस तारीख से गजट में प्रकाशित हुआ है वह बाद की तारीख की है। उसकी वह डेट लगाते हैं जो पब्लिकेशन में लगाते हैं। यह वह डेट है जो हमने रखी है। वह यह डेट नहीं है जो गजट में छपी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये फोर्स में कब से आये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: गजट में पब्लिकेशन होने की तारीख से लागू होता है।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय कार्य

(१२. १८. म. प.)

(क) **अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम।**

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के

Page No 42

(श्री बालकृष्ण कौल)
संबन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४७,९५,००० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
श्री गोविन्दसिंह।

(इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा):

१. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों को सरकार द्वारा विशेष ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द):

२. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को कुओं, पम्पिंग सेट बांध व एनीकटस के बनवाने में ऋण की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

३. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (काश्तकारों को कुओं आदि के लिए पर्याप्त ऋण समय पर न मिलने पर चर्चा के लिये)।

४. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा काश्तकारों को ऋण दिया जाकर वापिस अत्याधिक ब्याज की दर से वसूली की, चर्चा के लिये)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

५. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (अल्प आय कर्मचारी वर्ग को अनाज खरीदने के लिये अग्रिम दिये जाने के स्थान पर सस्ते धान की दुकान खोलने की व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये)।

६. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (स्वर्णकारों को अपर्याप्त सहायता दिये जाने पर चर्चा के लिय)।

७. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र। सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जे.के. सिन्थेटिक्स को दी जाने वाली रकम के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

८. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा ऋण की राशि का सदुपयोग नहीं किये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु)।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

९. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बनेड़ा पंचायत समिति को कृषि के उत्पादन के लिये दिये गये ऋण पर चर्चा के लिये)।

१०. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बनेड़ा तहसील के अकाल क्षेत्र में किए गये खर्च के बारे में चर्चा के लिये)।

११. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (२० लाख रुपये जे. के. सिन्थेटिक, नाइलोन फैक्टरी, कोटा को दिए गये ऋण पर चर्चा के लिये) ।

१२. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (१॥ लाख रुपये धौलपुर ग्लास फैक्टरी को दिये गये ऋण पर चर्चा के लिये) ।

१३. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (४ लाख रुपये उदयपुर में हुए उपद्रवों के संबंध में दिए गये ऋण पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) :

१४. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों को ऋण दिये जाने में पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :

१५. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मैसर्स कमानी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लि. को. उदयपुर में पिग आयरन का कारखाना खोलने हेतु दिये गये ऋण पर चर्चा के लिये)।

१६. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मैसर्स हाई टेक्नीकल प्रिसीशन ग्लास लि. धौलपुर को दिये जा रहे अग्रिम पर चर्चा के लिये)।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बैंगू) :

१७. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कुओं के निर्माण में धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा):

१८. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (उदयपुर में हुए दंगों पर पक्षपात पूर्ण तफतीश पर चर्चा के लिये)।

Page No 44

(श्री अब्दुलजब्बार)

१९. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था—राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (निम्बाहेडा के स्वर्णकारों को जमीन नहीं दी गई ना ही उन्हें कोई सहायता पहुंचाई जाने पर चर्चा के लिये)।

२०. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था—राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रू. कम कर दिया जाय (निम्बाहेडा पंचायत समिति द्वारा कुओं की तकावी तथा सतखन्डा रपट पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : २१. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मैसर्स जे० के० सिंथेटिक्स लि० कानपुर को कोटा में नाइलोन फैक्टरी हेतु अनुचित लाभ पहुंचाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा) : २२.मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पम्पिंग सेट और कुओं के निर्माण में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री विठठल (बांसवाडा—सु.) : २३. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जे. के. सिंथेटिक्स लि० कानपुर को दिये जा रहे उन्नीस लाख के ऋण पर चर्चा के लिये)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : २४. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (गिरवा क्षेत्र में एनिकट न बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

२५. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पिंग सेट समय पर नहीं दिलाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : २६. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कुओं के निर्माण-धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है :—मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पीडितों को सरकार द्वारा विशेष ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है :

(१) पहाडी

(२) रेगिस्थान और

(३) साधारण

पहाड़ी इलाका है वहां पर न तो तालाब हो सकते हैं और न नहरें बन सकती हैं, वहां पर तो सिर्फ कुए हो सकते हैं । लेकिन जहां

(श्री गोविन्दसिंह)
पर कुए आदि खोदे जा सकते हैं ऐसे स्थानों पर जो तकाबी दी जाती है वह बहुत कम मात्रा में दी जाती है। इससे काश्तकार को ज्यादा लाभ नहीं हो सकता। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि काश्तकार को पंचायत समितियों द्वारा जो तकाबी दी जाय वह काफी मात्रा में होनी चाहिए और खास कर ऐसे इलाकों में जहां पर खेती-बाडी के पूरे साधन नहीं हैं वहां पर अधिक तकाबी दी जावे ताकि वे लोग वहां पर कुए ज्यादा मात्रा में बना सकें।

इसके अलावा पंचायत समितियों में कुओं के (pumping set) लगाने के लिये अलग बजट एक तरह से होता है। वह बहुत कम होता है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अलग अलग केटेगरीज करके जो तकाबी का तरीका है उसमें संशोधन किया जाए इसी प्रकार बैलों के लिये तकाबी पंचायत समिति को मिलती है वह ३ या ४ हजार होती है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि आज की हालत को देखते हुए एक बैल की जोड़ी की कीमत एक हजार से कम नहीं होती है और काश्तकारों के लिये मुश्किल से ४ या ५ हजार की तकाबी है। इसलिये इतनी सी रकम से कितने काश्तकार फायदा उठा सकते हैं। पहले झालावाड़ स्टेट में यह नियम था कि काश्तकार को काश्तकार फन्ड में से तकाबी बांटी जाती थी। अभी भी वह रुपया राज्य के पास है और सेन्ट्रल बैंक में रखे हुए हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि कम से कम राज्य सरकार यह प्रबन्ध करे कि ज्यादा से ज्यादा तकाबी दी जावे।

हम यह प्रयत्न कर रहे हैं, अभी भूमि अलॉट कर रहे हैं, भूमिहीनों को, स्वर्णकारों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों आदि को जमीनें बांट रहे हैं, तो साफ है कि वे आदमी गरीब हैं और गरीब होने के कारण कुए नहीं खुदवा सकते, बैल नहीं खरीद सकते, तो यह रकम पंचायत समितियों द्वारा इन काश्तकारों में बंटवाई जाय ताकि इन गरीब काश्तकारों के काम में आ सके, इस रकम से ये लोग कुए बनवा सकें, बैल खरीद सकें। राजस्थान सरकार को चाहिये कि पंचायत समितियों के द्वारा ऐसे लोगों के लिये अधिक से अधिक रुपया दे, जिससे कि ये लोग मेहनत करके उपज को बढा सकें। राज्य सरकार ने बहुत सारा रुपया पंचायत समितियों को भवन निर्माण, पंचायत भवन आदि बनाने के लिये दे रखा है, पर जितना पैसा सरकार ने पंचायत समितियों को दिया उतना पैसा लोगों ने नहीं दिया इस कारण इमारतें वैसी की वैसी अधूरी ही पडी हुई हैं, न राज्य सरकार ही उन्हें रुपया दे रही है और न पंचायत समितियां ही उन्हें बनाने में सक्रिय हो रही हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि और रुपया दे कर जो बिल्डिंग अधूरी पडी हुई हैं उन्हें पूरा करा दें, यदि राज्य सरकार से इन कार्यों को पूरा करने के लिए रुपया नहीं मिलता है तो जो बिल्डिंग अधूरी पडी हुई हैं वे कुछ ही समय में गिर जायगीं, बर्बाद हो जायगीं और जितना रुपया इन पर लगा हुआ है वह सब बेकार जायगा। जो रुपया खर्च कर चुके हैं, चाहे जिसकी गलती से यह काम अधूरे रह गये हों, राज्य सरकार को चाहिये कि कम से कम इन अधूरे कामों को पूरा करवा दे ताकि यह रुपया लगा हुआ व्यर्थ नहीं जाय। इसके लिये विशेष न कह कर इतना ही कहना है कि इन अधूरे कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करवा दिया जाय और यह जो रुपया इन अधूरे

(श्री गोविन्द सिंह)
भवनों में लगा हुआ है उसको व्यर्थ बर्बाद होने से बचाया जाय।

कुओं और बैलों के लिये जो राज्य सरकार तकाबी दे रही है उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पंचायत समिति को जिस जिस तरह रुपयों की आवश्यकता है उसी तरह से रुपया दे, जिस जगह सबसे अधिक आवश्यकता है उसे दे। झालावाड़ में डग, पिडावा झालरापाटन, बकानी और मनोहरथाना, इन पांच पंचायत समितियों में न नहर हैं और न किसी प्रकार के सिंचाई के साधन हैं इसलिये वहां कुओं के लिए रुपया दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार से स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि जिन इलाकों में ज्यादा गल्ला पैदा हो सकता है उनकी ओर सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे कर ज्यादा रुपया दे; बैलों की तकावी के लिये, कुओं की तकावी के लिये रुपया दे ताकि वे गरीब उससे कमा कर खा सकें और प्रोडक्शन बढा सकें। १५ बीघा जमीन किसी को दी जाती है तो उससे वह अपना जीवन व्यतीत कर सकें, जिस आदमी को जमीन अलॉट की है तो उसे ऐसे साधन मुहय्या कर दें कि वह अपना पेट भर सके और देश की पैदावार को बढ़ा सके। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(१२.२४ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय, मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को कुओं, पम्पिंग सेटों, बांध व एनीकट्स के बनवाने में ऋण की कमी पर चर्चा करने के लिये)।

मैंने अपना यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन है कि कुओं के लिये पंचायत समितियों से सरकार ऋण देती है और पंचायत समितियां काश्तकारों से चाहती हैं कि कुओं का निर्माण कर के हमारे प्रोडक्शन को बढाने के लिये ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें। मगर जहां तक देखा गया है कि पंचायत समितियों को कहीं २० हजार, कहीं ३० हजार रुपया ऋण दिया गया है। जहां १ लाख की आबादी है वहां २० हजार का, तीस हजार का ऋण दें, जहां कुए में ५ हजार रुपया लगा कर भी पूरा नहीं कर सकते पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, तो ऐसे स्थानों में एक एक पंचायत समिति को बीस हजार या तीस हजार रुपया ऋण देते हैं तो उस पंचायत समिति में कैसे कुए खुदवा सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन बढा सकते हैं? इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि हम प्रोडक्शन बढाना चाहते हैं तो हमें कुओं के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया देना होगा। आज की स्थिति में प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया तो हम देश की तरक्की नहीं कर सकेंगे, देश को आगे नहीं बढा सकेंगे और रक्षा प्रयत्नों में हम अपने आपको अपने पांवों पर खड़े रहने लायक नहीं बना सकेंगे।

इस प्रकार की धनराशि देने के लिये रूरल अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड बना रक्खा

(श्री गीरधारीलाल व्यास)
है। पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कन्ट्रोल रख कर पंचायत समितियों के तत्वाबधान में कुए खुदवाने के लिये रुपया भेजा जाता है। जो पैसा जमा हो जाता है वह न समय पर लौटाया जाता है और न कुओं को खुदवाया जाता है और इस प्रकार इससे कोई प्रोडक्शन नहीं बढ पाता है और जिस मकसद के लिये यह डिपार्टमेंट खुला हुआ है वह मकसद पूरा नहीं करता। इसलिये मेरा सुझाव है कि रूरल अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की बजाय पंचायत समितियों को ही कम्प्रेशर आदि के लिये पैसा दे दिया जाय तो अच्छी तरह से पंचायत समितियां कुए खुदवा सकेंगी। भीलवाड़ा जिले में दो-तीन पंचायत समितियों ने कम्प्रेशर मशीनें खरीद कर कुए खुदवाने का काम किया है, उससे महसूस होता है कि पंचायत समितियां यह काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। एक साल में ही उन्होंने जितनी रकम लगा कर यह मशीनरी खरीदी वह सब रुपया कमा लिया है और अब मुनाफा कमा रही हैं। इससे काश्तकारों को भी फायदा हो रहा है। रूरल अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं करा सकता, किसानों को समय पर पैसा नहीं मिलता इससे किसानों के अन्दर असंतोष रहता है, पंचायत समितियों द्वारा इस प्रकार का प्रबन्ध कर दिये जाने पर किसानों का यह असंतोष भी दूर हो जायगा।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांध बंधाते हैं, एनीकट्स बनाते हैं, ५० एकड़ से नीचे के तालाब पंचायतों को सुपुर्द किये हैं, उनमें से बहुत से तालाब टूटे-फूटे पड़े हैं जिनका बंधवाना, ठीक करवाना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इनके लिये पंचायत समितियों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दे कर इन तालाबों को, एनीकट्स को ठीक करवाया जाय इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे विकेन्द्रीकरण को, गावों के अन्दर ग्राम राज्य व्यवस्था कायम की है, उसको इससे ज्यादा से ज्यादा मजबूती मिलेगी। जैसा कि बैलों के संबंध में कहा गया कि पंचायत समितियों के अन्दर जिस प्रकार से पैसा दिया जाता है और उसमें मुश्किल से दो-तीन हजार रुपये बैलों के मामले में पंचायत समितियों को दिए जाते हैं यह रेवेन्यू तकाबी है इससे पंचायत क्षेत्र में या पंचायत समितियों के क्षेत्र में काश्तकारों को ऋण दिया जाकर उनको अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने का प्रोत्साहन दिया जायगा। मगर जो पैसा जिस पंचायत समिति को दिया जाता है वहां किसी को एक सौ, किसी को दो सौ मिलता है वहां सबको खुश करने की कोशिश की जाती है। इससे न तो कोई आदमी बैल खरीद सकता है, न कुआ खुदवा सकता है सारा पैसा बेकार जाता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कृषि के संबंध में, पैदावार बढ़ाने के संबंध में उनको सहयोग मिल तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन लोगों को बैल खरीदने की आवश्यकता है या कुआ खरीदने की आवश्यकता है, उनको पर्याप्त मात्रा में रकम मिले ताकि उसका दुरुपयोग न हो और उत्पादन भी बढ़े।

जैसा कि हमारा प्रोग्राम है, भूमिहीन लोगों को नई जमीन देकर उत्पादन बढ़ाना है, जगह जगह जमीनें भी दे रहे

(श्री गीरधारीलाल व्यास)
हैं और भूमिहीन होन की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि कुआ खुदवाएं और बैल खरीदें। इसलिए जहां एलाॅटमेंट हम भूमिहीन लोगों को करते हैं, अगर वहां इस प्रकार का भी प्रावधान किया जाय कुए खरीदन का, जमीन खरीदने का तो जल्दी से जल्दी जमीन को अच्छा करके उत्पादन के योग्य बनाया जायगा। इसलिए मेरा सुझाव है इन बातों की ओर ध्यान दिया जाय और अगर आप चाहते हैं कि कृषि की पैदावार बढ़े और वार लेविल पर हम अपने टार्गेट्स अचीव करें तो ऐसी हालत में बिजली के संबंध में, कुओं के संबंध में, बैलों के संबंध में और सिंचाई के साधन जो हम बनाना चाहते हैं तो ग्रामीणों को आवश्यकता के अनुसार ऋण दिया जाय, तो ज्यादा तरक्की हो सकेगी।

श्री सभापति : श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों १९६५-६६ की मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था—राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु० कम कर देने के लिए मेरा कटौती का प्रस्ताव है। मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं उन प्रस्तावों के जरिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। काश्तकारों को कुंओं आदि के लिए जो ऋण आजकल दिया जाता है वह एक तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हर पंचायत क्षेत्र में या पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वे नहीं किया गया है कि फलानी पंचायत समिति में कुए बनाने के लिए कितना रुपया खर्च होगा। इसलिए जो रुपयों की राशि मन्जूर की जाती है वह पर्याप्त मात्रा में न होन से कुए समय पर नहीं बनाए जाते। और दूसरे पम्पिंग सेट्स लगाने के लिये जो लोग लालायित हैं लेकिन पैसा चाहते हैं। कुछ पंचायत समितियों में हमारे यहां पम्पिग सेट्स लगाने की मांग है लेकिन पंचायत समितियों को पर्याप्त मात्रा में ऋण न मिलने से और जो काश्तकार पम्पिग सेट्स लगाना चाहते हैं उनको ऋण न मिलने से और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने से उनको बड़ी तकलीफ होती है। आप जानत हैं कि सावण फसल के लिए किसान चौमासे पर निर्भर रहते हैं। दो बरसात हुई और तीसरी बरसात न होन से जो फसल अच्छी दीखती थी वह खराब हो गई है। इसलिए राज्य सरकार को उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सारी पंचायत समितियों का सर्वे कराना चाहिए। जहां पानी की मात्रा अधिक है और पम्पिग सेट्स लगा सकते हैं उस जगह काश्तकारों को उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त मात्रा में ऋण मिलना चाहिए और जहां कुए बनाने की आवश्यकता हो जितना कुओं में खर्च हो उतना ही ऋण अगर काश्तकारों को मिले तो उपयुक्त होगा। सर्वे करके योजना बनानी चाहिए, कोई कुआ गहरा है, कोई ऊपर है इसलिए समान रूप से ऋण दिया जाना उचित नहीं है। पंचायत समितियों की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए ऋण का बंटवारा होना चाहिए।

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव इस बारे में है कि जो ऋण कहीं समय पर रिलीज नहीं हो पाता है और कुछ जगह जहां ऋण की आवश्यकता है वहां प्राप्त नही होता। इसलिए राज्य सरकार को स्थानीय मांगों के अनुसार ऋण देना चाहिए। जैसे पूर्ववक्ता ने कहा कुछ इलाकों में बैलों के लिए ऋण की आवश्यकता है, ऐसे इलाकों में शिड्यूल्ड कास्ट्स का और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी है, जो ऋण लेकर बैलों को खरीदना चाहते है। आप कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से ऋण लेना चाहिए लेकिन वहां शार्ट–टर्म लोन मिलता है, मीडियम टर्म लोन मिलने का विस्तार नहीं हुआ है। तो ऐसी हालत में पंचायत समिति के जरिए से बैलों की तकावी के रूप में काश्तकार को ऋण मिलना चाहिए ताकि किश्तों द्वारा उनका भुगतान किया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। पंचायत समितियों में विशेष कर ऐसे लोग बहुत हैं जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उनको बहुत भूमि वितरित की गई है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने से वे मजबूरी हालत में जमीन लेकर दूसरे काश्तकारों को देते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गण पूरक-घंटी)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसलिए पंचायत समिति जो ऋण अपने प्रस्ताव के अनुसार मांग करे उसके अनुसार राज्य सरकार को ऋण देना चाहिए। हमारी पंचायत समिति में इस समय सिंचाई के क्षेत्र में काफी ऋण पड़ा है परन्तु जिस तरह से लोग लोन चाहते हैं उनको नहीं मिलता है, जो समय पर वितरण किया जाना चाहिए। पंचायत समितियों में बहुधा ऐसा देखा गया है कि समय पर लोन न मिलने से पंचायत समितियों में ही लोन पड़ा रहता है और उनको फालतू व्याज देना पड़ता है। उसका कारण है कि लोगों को स्थानीय मांग के अनुसार वह लोन वितरित नही होता है। इसलिए जिन पंचायत समितियों में ऋण की बहुत ज्यादा मांग हो उसके अनुसार ही वहां डाईवर्ट करना चाहिए ताकि समय पर रिलीज हो सके और काश्तकारों की स्थानीय मांग की भी पूर्ति की जा सके।

दूसरी बात यह है कि पंचायत समिति की ओर से समय पर ऋण का हिसाब पेश करने पर जोर दिया जाता है। तीन-तीन चार-चार साल तो उनको नोटिस मिलता नहीं है और बाद में पीनल इन्ट्रेस्ट से चुकाना पड़ता है और ऋण न चुकाने की हालत में ड्यौढ़ा ऋण होता है और काश्तकार को जेवर या खेत मोर्टगेज करके ऋण चुकाना पड़ता है।

इसलिये इस रूप में इस तरफ राज्य सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार स्पष्ट आदेश जारी करे कि अगर कोई ऋण दिया जाता है, उसका अगर प्रोपर युटिलाइजेशन हो जाता है, तो महज हिसाब की टेक्निकलिटी के कारण पीनल इन्ट्रेस्ट वसूल नहीं होना चाहिए। वे यह समझते हैं कि सरकार का ऋण लेने से यह स्थिति पैदा होती है। इसलिये राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इरिगेशन वेल्स या प्रोडक्टिव मेजर्स के लिये

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

ऋण दिये जाते हैं उन लोगों को हार्डशिप न हो इनको विशेष ध्यान में रखने की बात है। काश्तकारों को जो ऋण दिया जाता है टैक्निकलिटी के कारण उनको हार्डशिप न हो और उनसे पीनल इन्ट्रेस्ट से वसूल करें यह एम नहीं होना चाहिए। इससे प्रोडक्शन बढेगा और किश्तों में लोन वापिस मिल जावेगा। इससे फूड प्रोब्लम है उसको प्रोडक्शन बढा कर काश्तकार हल करने में मदद करेंगे। यदि ऋण देकर उसकी वसूली में इसी प्रकार की दिक्कतें जारी रहीं तो काश्तकार सरकार से कम लोन लेंगे और वे महाजनों से, बोहरों से ही लोन लेंगे और यह उनकी टेन्डेन्सी बढती जावेगी।

श्री सभापति: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक-था,-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में मैंने चार कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

एक कटौती प्रस्ताव है अल्प आय कर्मचारी वर्ग को अनाज खरीदने के लिये अग्रिम दिये जाने के स्थान पर सस्ते अनाज की दुकानें खोलने की व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये।

दूसरा कटौती प्रस्ताव है स्वर्णकारों को अपर्याप्त सहायता दिये जाने पर चर्चा के लिये।

तीसरा कटौती प्रस्ताव है जे. के. सिन्थेटिक्स को दी जाने वाली रकम के औचित्य पर चर्चा के लिये।

और, चौथा कटौती प्रस्ताव है पंचायत समितियों द्वारा ऋण की राशि का सदुपयोग नहीं किये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु।

इन चार कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, सब से पहले कुछ दो चार शब्द अल्प आय कर्मचारी वर्ग को अनाज खरीदने के लिये अग्रिम ६५ लाख की धन राशि दी गई और उसके लिये सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट प्रस्तुत की, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यह जो राज्य सरकार ने धनराशि लो पेड एम्प्लोइज को अनाज की व्यवस्था सुधारने की दृष्टि से और खाद्यान्न बाजार में जाकर सहूलियत से खरीद सकें इस दृष्टि से ६५ लाख की धन-राशि का प्रावधान किया है, राज्य सरकार शायद यह समझे कि उसने राज्य कर्मचारियों के ऊपर एक बडा भारी अहसान किया है, लेकिन सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो यह ६५ लाख रुपये की व्यवस्था की है इस ६५ लाख की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप राज्य के अल्प आय के कर्मचारियों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। लाभ ही नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राशि जिस मौके पर दी गई उसके कारण राज्य सरकार ने बिना इसकी चिन्ता किये हुए कि बाजार में अनाज की कमी है इस कारण उनको पर्चेजिंग पॉवर और जो यह सोच कर एडवान्स दिया कि अनाज मिल जावेगा, लेकिन खरीदने वाले इतने बढ गये कि उसके कारण कीमतें बढ गयीं और नतीजा यह हुआ कि जिन लो पेड एम्प्लोइज के लिये धन-राशि दी कि वे बाजार में जाकर अनाज खरीद सकें, बाजार में गये तो उनको अनाज नहीं मिला। मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जिन लोगों की छोटी २

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तन्ख्वाहयें हैं उनको ६५ लाख की धन-राशि देने के बजाय राज्य सरकार को चाहिये था कि उनको सस्ता धान सस्ती कीमत पर सहूलियत से उपलब्ध कराती। उनको ६५ लाख नहीं चाहिये, सस्ता धान चाहिये, उनकी मांग यह है। इस मांग को सदन में उठाया है इस दृष्टि से कि राज्य सरकार के कर्मचारियों में बडा भारी असंतोष है, वे चाहते हैं कि सरकार उनको सस्ता और सुलभ अनाज उपलब्ध कराये। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पडता है कि राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सस्ता धान उपलब्ध कराने के लिये कोई भी कदम नहीं उठाया और राज्य सरकार ने यह विचार करके कि राज्य विधान सभा का अधिवेशन आ रहा है, कर्मचारियों में असंतोष बढ रहा है, नोटिस दिये जा रहे हैं, उन्होंने एडवान्स दे दिया। आज आपको राज्य कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहिये कि संकटकालीन स्थिति को देख कर उन्होंने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया। इसी प्रकार विभिन्न दलों के लोगों ने भी अपने आन्दोलन इसी कारण स्थगित कर दिये। लेकिन हालत यह है कि शिष्ट मंडल खाद्य मंत्रीजी से मिलते हैं, कर्मचारियों के प्रतिनिधि-मंडल, पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल, विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मंडल और स्वयं कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल मिलते हैं सब को यह ही कहते हैं कि कोई चिन्ता की बात नहीं; सब कुछ ठीक हो जायगा। जैसी उनकी आदत है जवाब देने की; सब कुछ ठीक हो जायगा, चिन्ता की बात नहीं।

उनकी इस बात पर मुझे एक बात याद आ गयी; लखनऊ के नवाब टहलने के लिये गये। पीछे से नौकर भागा आया कि चलिये साहब घर में आग लग गयी है। "अभी आता हूं, तुम चलो," यह कहा। फिर आया नौकर भागा हुआ कि आधा घर जल गया। उसने कहा चिन्ता नहीं। तीसरी बार, फिर नौकर भागा हुआ आया कि बच्चे जल ये हैं, सारा घर जल गया है, बीबी जल गयी है, घर सारा राख हो गया है, तो कहने लगे कि दो कोडी का मकान जल गया तो जल गया, क्या उसके लिये मैं अपनी चाल छोड दूंगा। उसी तरह से, लखनऊ के नवाब की तरह, आप अपनी चाल पर चलेंगे। उस चाल को छोडने के लिये खाद्य मंत्रीजी चाहे कुछ हो जाय, वे परवाह करेंगे? चाहे धौलपुर में खाद्य की समस्या को लेकर आन्दोलन हो जाय, लोगों को जेल में डाल दिया जाय, जेल चले गये तो चले गये, इससे क्या वे अपने सोचने का तरीका बदल देंगे, काम करने का तरीका बदल देंगे? मैं तो वही काम करता रहूंगा। मैं खाद्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप बाजार में चल जाइये, मैं स्वयम् जाकर आया हूं, इधर से निकल के आया हूं, जनता के लोग मारे-मारे फिर रहे हैं, सिवाय मक्का के दूसरा कोई अनाज बाजार में नहीं। कहीं बाजर में कोई अनाज नहीं है। लोग इधर से उधर भागे फिरते हैं। कोई कहता है कि उधर मिल रहा है, तो उधर जाते हैं लोग। कोई कहता है इधर है, इधर जाते हैं लोग। बडे परेशान हैं। चांदपोल बाजार में चले जाइये, जयपुर की मंडियों में चले जाइये, जयपुर की जनता को, इस राजधानी की जनता को; गेहूं, जौ, चना और खाने का अनाज सिवाय मक्का के और कोई कहीं उपलब्ध नहीं है, कहीं भी यह बाजार में देखने को नहीं आता। जनता कहती है तो कहते हैं कि खाद्य मंत्रीजी से कहो। टैगौर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

थियेटर में आपका सम्मेलन हुआ, व्यापारियों ने प्रतिज्ञा की थी कि निर्धारित रेट पर अनाज उपलब्ध करायेंगे। राज्य के खाद्य मंत्रीजी भी शामिल थे। जयपुर के बाजार में आप जाइये और देखिये कि क्या हाल है। आज जयपुर की जनता को खाने के लिये सिवाय मक्का के और कोई अनाज नहीं मिलता। राजस्थान की राजधानी की यह हालत है। जहां विधान सभा का सेशन चलता हो, राजधानी हो, जहां केबिनेट के सदस्य रहते हों, विधान सभा के सदस्य विराजमान हों, जब यहां नगर में ही यह हालत है तो दूरस्त क्षेत्रों में क्या हालत होगी, यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं। आज इस संकटकाल में एक व्यापक भावना जनता ने दिखायी है, राज्य कर्मचारियों ने दिखायी है, उन्होंने अपने हडतालों के नोटिस वापिस ले लिये हैं, सारी मांगों के सवालों को वापिस ले लिया है, जो उन्होंने देश-भक्ति दिखाई है, जो जोश उमडा है राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को इस संकटकाल के समय प्रेस करना उचित नहीं समझा और सारी मांगों को दबाकर बैठ गये, क्या आप उन सब के लिये कम से कम अनाज की ही व्यवस्था नहीं कर सकते हैं?

हमारे वित्त मंत्री महोदय ६५ लाख रुपये का ऋण देते हैं, वह भी किस समय देते हैं, आज से महीना, डेढ महिना पहले। जिस समय बाजार में फसल आयी उस समय एडवान्स नहीं दिया गया। फसल चली गई तब एडवान्स दिया गया। नाज था तब पैसा नहीं और जब नाज चला गया तब पैसा दिया गया, यह हमारी सरकार की नीति है। उस समय दिया गया जब उसका उपयोग नहीं हो सके। आपने ऐसे समय में राज्य कर्मचारियों को एडवान्स दिया जब कि बाजार में अनाज नहीं। इस तरह से उनको संकट में डाल दिया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आप उस रकम पर सात परसेन्ट व्याज लेंगे। जहां दस इस्टालमेन्ट में पैसा वसूल करने का था अब उसको छः इन्स्टालमेन्ट में वसूल कर रहे हैं। आज जब बाजार में अनाज नहीं राज्य कर्मचारियों को संकट में डाल दिया है। एक तरफ महंगाई बढती चली जा रही है, अनाज मिलता नहीं इस तरह से जो उनको एडवान्स दिया हुआ है वह इधर-उधर कामों में खर्च हो जायगा। देना उसको पडेगा उसकी तन्ख्वाह में से कटौती होगी। उसको अपना खर्चा एडजस्ट करना पडेगा, उसको कितनी कठिनाई होगी यह उसी को अनुभव हो सकता है। बिना आवश्यकता के जिस समय बाजार में धान नहीं ६५ लाख की राशि देकर के आपने उनको संकट में डाल दिया। उन पैसों से जो घर के कार्य में खर्च हो गये उसका घर का बैलेन्स बिगाड दिया, कहीं कहीं तो अनावश्यक खर्चा हो गया। चीज जब मिलती नहीं और घर में पैसा हो तो वह खर्च हो ही जाता है। नाज आजाता तो वह पैसा सुरक्षित था। जिसका रिटर्न मिलने वाला नहीं। ऐसी हालत में मैं खाद्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे राज्य कर्मचारियों की मदद करना चाहते हैं तो उनके लिये सबसीडाइज्ड चीप ग्रेन शोप्स खोलिये, आप हर कहीं से साट सत्तर रुपये क्विन्टल से खरीद कर लाइये और उनको सबसीडाइज्ड रेट पर सप्लाई कीजिये। जो राज्य सरकार इस प्रकार से अपने राज्य कर्मचारियों के लिये नहीं कर सकती, सभापति महोदय, यह राज्य सरकार निकम्मी सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। बड़े आदमियों को, ऊंची तनख्वाह पाने वालों को, जो धनवान आदमी हैं वे तो सौ रुपया क्विन्टल में भी गेहूं खरीद सकते हैं। जयपुर के बाजार में खाद्य मंत्री महोदय जहां आपने ६३ रुपया, ६४ रुपया प्रति क्विन्टल गेहूं का भाव कर रखा है वहां आपको इस भाव में एक भी दाना मिलता नहीं, आपने यह जो रेट्स तय कर कर रखी है केवल कागजों में तय कर रखी है, चीजें उसके अनुसार मिलती हैं या नहीं यह कोई देखने वाला नहीं, इस बात की किसी को चिन्ता नहीं कि कोई भी जाकर इस बात को देखे। जो रेट सरकार ने मुकर्रर की है उसके अनुसार चीज मिलती भी है या नहीं, जो कानून बनाया उसका सही ढंग से क्रियान्वयन होता भी है या नहीं, यह कोई नहीं देखता। आज राजस्थान के अन्दर खाद्य का संकट भयंकर बनता जा रहा है। मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इस संकट कालीन स्थिति का नाजायज फायदा न उठायें। लोगों की देशभक्ति की भावना का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिये। अगर आप जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं तो यह जो खाद्य संकट है वह राज्य सरकार को खा जायेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, मेरे ख्याल से इस सदन में ८ तारीख को खाद्य स्थिति पर बहस होने वाली है। अच्छा हो माननीय सदस्य उस दिन अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि मुझे भी उस दिन कहने का मौका मिलेगा। आज तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : एक तारीख को ही सेशन खत्म हो जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा: आज जो मांग है उसका जवाब वित्त मंत्री जी देंगे इसलिये जो बातें खाद्य के मामले से संबन्धित कही जायेंगी उसका जवाब देना मेरे लिये संभव नहीं है। आठ तारीख को मैं अपनी बात भी कह सकूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: एक तारीख को सेशन स्थगित होने का विचार चल रहा है फिर आठ तारीख का सवाल कहां रहेगा?

श्री नाथूराम मिर्धा: अभी जो एजेन्डा है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, आठ तारीख को खाद्य समस्या पर बहस होगी और बहुत बड़ी बहस होगी। मैं इस समय केवल यह कह रहा हूं कि जो लो पेड एम्प्लोइज हैं जिनको आपने ग्रेन पर्चेज के लिये एडवान्स दिया वह ऐसे मौके पर दिया जिस समय कि अनाज बाजार में उपलब्ध नहीं है। और जो इन्ट्रेस्ट आप वसूल कर रहे हैं वह भी ज्यादा कर रहे हैं और रिपेमेन्ट की जो पहले किश्तें ज्यादा थीं अब उसको कम कर दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। इस वक्त बाजार में अनाज उपलब्ध नहीं। सरकार ने थोथा नाम कमाने के लिये यह एडवान्स कर्मचारियों को दिया है।

(१२.५६ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

अगर सरकार ईमानदारी से यह चाहती है कि लो पेड एम्प्लोइज को रिलीफ मिले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो सरकार को चाहिये कि वह उनके लिये सस्ते रेट पर अनाज सप्लाई करे। मैं वित्त मंत्री महोदय से व खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जनता के लिये मांग नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिये सबसिडाइज्ड रेट पर अनाज दिये जाने की मांग कर रहा हूं जो आपके राज्य का कार्य चलाते हैं।

इसी सिलसिले में मैं बहुत थोडे से शब्दों में एक बात स्वर्णकारों के बारे में कहना चाहूंगा।

(१ म० प०)

१४ लाख रुपया सप्लीमेन्टरी ग्रांट में स्वर्णकारों की मदद की दृष्टि से रखा गया। पर सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राज्य में स्वर्णकारों की हालत बहुत बदतर हो रही है और राजस्थान की सरकार, बावजूद इस सदन में आश्वासन देने के, बावजूद केन्द्रीय सरकार के आश्वासन देने के, बावजूद स्वर्णकारों के प्रतिनिधि मोर्चे को आश्वासन देने के, वक्तव्य देने के, प्रभावी ढंग से यह सरकार कुछ नहीं कर पाई है। बजट में थोड़ी सी रकम की व्यवस्था मात्र करने से यह समस्या हल नहीं होने वाली है।

इस सदन में भी मांग की गई, बाहर भी मांग की गई कि स्वर्णकारों को एक प्रकार से बसाने का सवाल खड़ा है, यह अभी हल नहीं हो पाया है, यह एक भयंकर मसला है। हजारों की संख्या में राज्य के स्वर्णकार बेकार हो गये हैं। उनको अपनी आजीविका के लिये, उनके पुनर्वास के लिये उनको ओटोरिक्शा, भूमि, उद्योग धन्धों के लिये ऋण, एडवान्सेज मिलने चाहिये वे मिलते नहीं। मैं पूछना चाहूंगा राज्य सरकार से वह सदन में आंकड़े बतावे कि राजस्थान में कुल कितने स्वर्णकार थे और गोल्ड कन्ट्रोल ऑर्डर के कारण कितने बेकार हो गये हैं। अब जो बेकार हो गये हैं उनको सरकार या तो जमीनें दें, तो कितनों को उसने जमीनें दीं, कितनों को और उद्योग धन्धों में लगने के लिये लोन दिया, सबसिडी दी, ग्रांट दी; किस प्रकार से उनको बसाने के लिये योजना बनाई, यह सब बतावें। कितनों को राज्य सरकार की सेवाओं में लिया गया, कितनों को एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के मार्फत अन्य नौकरियां दी गयीं। सही ढंग से उनको बसाने की दृष्टि से सरकार ने क्या क्या कदम उठाए; इसका विवरण राज्य सरकार सदन में प्रस्तुत करे।

बजट में थोड़ा बहुत प्रोवीजन करने के अलावा सरकार आज तक कोई प्रभावी ढंग से कुछ नहीं कर पाई है। आज संकटकालीन स्थिति होने से स्वर्णकार चुप हैं, पर वे आपकी इस नीति से बहुत असंतुष्ट हैं। संकटकाल में आपके लिये और संकट उपस्थित करना नहीं चाहते। पर आप इसके लिये कुछ प्रभावी कदम उठावें और प्रभावी ढंग से बसाने का प्रयत्न करें, जमीन दें, सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार ले सकते हैं आप लें, स्मॉल स्केल कॉटेज इन्डस्ट्रीज में उनको लगावें, उसके लिये अनुदान की आवश्यकता हो, सबसिडी की आवश्यकता हो, तो वह दें, ग्रो मोर फूड में आप उनको लगावें। लगाया जा सकता है उनको, आप उनको लगावें।

कल मैंने शास्त्रीजी की घोषणा सुनी। उसके आधार पर कह सकता हूं कि अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है डिफेन्स का, फूड के प्रोडक्शन का। ज्यादा से ज्यादा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक्सचेन्ज कमाने का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट तब हो सकता है जब नई चीजें बना बना कर हम बाहर भेजें। राजस्थान के स्वर्णकारों के पास उनकी अपनी पुरानी परम्परागत कला है। आभूषण बना सकते हैं, मीनाकारी का काम कर सकते हैं, वे अपना सामान बाहर भेज कर फोरिन एक्सचेन्ज कमाने में, एक्सपोर्ट बढाने में मदद कर सकते हैं। उनको इसके लिये हर तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इस पहलू से भी आप इस मसले पर विचार करें।

सभापति महोदया, मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता पर राजस्थान सरकार का ध्यान इस पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके कुछ पैराग्राफ की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है कि पंचायत और पंचायत समितियों की संस्थाओं के लिये पाई गई अनियमितताओं से पता लगता है कि नगरपालिका, पंचायतों और पंचायत समितियों को जो ऋण, तथा सहायता और अनुदान दिये गये हैं उनमें नियमों की बहुत अवहेलना की गई है और की जाती है। काफी लम्बे अर्से तक उनमें ऋण पड़ा रहता है और उनके युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार को नहीं मिलते, गबन होते हैं, तो गबन के मामलों में उचित कार्यवाही करने में उदासीनता बरती जाती है, आदि आदि।

आज पी.ए.सी. कहती है पंचायत समितियों को जो एडवान्सेज दिये जाते हैं, ऋण दिए जाते हैं, अनुदान की राशि दी जाती है उसका समय पर उपयोग नहीं होता, जिस काम के लिये दिया जाता है, उसमें खर्च नहीं होता, होता है तो उचित तरीके से नहीं होता, गबन होता है, लैप्स हो जाते हैं, योजना नहीं बना पाते। यह बहुत बड़ा विषय है। इतने थोड़े समय में यहां मैं अधिक नहीं कह सकता। ४.८० करोड़ की ऐसी राशि बताई है जो अनस्पेन्ट पड़ी रही। मैं कहता हूं आपकी ओर से उनको अनेक प्रकार की सहायता मिलती है, अनुदान भी मिलता है। पर उसका, उस धन-राशि का, उपयोग नहीं होता। उपयोग होता है तो दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग की शिकायत आती है तो आप उस पर कार्यवाही नहीं करते। ओवरऑल सुपरविजन उनके फाइनेन्स के बारे में पंचायत मंत्रीजी की है। अब पंचायत के मंत्री कम ताकतवर नहीं हैं। जो अभी आये हैं, वे कम नहीं हैं। पहले भीखाभाई थे, उनकी नहीं चल सकती थी, पर अब दामोदर लालजी उनसे ज्यादा पॉवरफुल हैं। वे दूसरों से, मैं समझता हूं उनके नहले पर ये दहला लगाने वाले हैं। उनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। करोड़ों की वे धनराशि देते हैं। आपने देखा ४२५ करोड़ के यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं हैं। १६ हजार यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं हैं। ९२४ करोड़ लिखा है, पर ९२४ करोड़ नहीं होगा, ९.२४ करोड़ रुपया होगा। सही उपयोग उससे पहले की रकम का हो गया, उसका प्रमाण-पत्र न हो, पर सप्लीमेन्टरी ग्रांट आप मांग लेते हैं, लोन्स और एडवान्सेज आप और उनको देते जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गलती यह आपकी है। पाव भर लोटे में अगर सेर भर पानी आप डालना चाहेंगे तो पाव भर ही उसमें आवेगा, बाकी का तीन पाव तो बाहर जावेगा। अब उसमें पानी डालने वाला ही बेवकूफ कहलायेगा।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसलिये निवेदन करूंगा कि लोटे जैसी दशा आपकी नहीं हो, इसका ध्यान रखें। इसमें पंचायतों और पंचायत समितियों का दोष नहीं है, उनकी तो जितनी पात्रता है उतना ही ले सकेंगे, ज्यादा देने वाला पागल कहलावेगा, राज्य सरकार सोचे। इसमें किस के बारे में राज्य सरकार ने क्या मापदण्ड बना रखा है? पंचायतों को चूंकि इतना पैसा दिया तो इतने टार्गेट अचीव हो गये; यह बिल्कुल गलत बात है। पंचायतों के कामों को फिजीकल अचीवमेंट्स के आधार पर देखना चाहिए। कितना पैसा उनको दिया इसके आधार पर नहीं देखना चाहिये। यह सोचने का तरीका सरकार का गलत है, दकियानूसी है। इस संबंध में राज्य सरकार को पुनः विचार करना चाहिये। अभी उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जो सरपंच गबन करता है, धन का दुरुपयोग करता है, आपका यह पंचायत विभाग डिसक्वालिफाइड करार देकर उसको नहीं रोक सकता। बारां के सरपंच के बारे में प्रश्न आया था। पंचायत विभाग ने सारे ऑर्डर कर दिये पर कुछ नहीं हुआ। आप उन्हीं को फिर पैसा देते हो। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से, कौल साहब से, मैं अपील करना चाहता हूं कि वे फिर से फाइनेन्स पर ध्यान लगावें। फिर से अपने डिपार्टमेन्ट को अच्छी तरह से देखें, उसे कसें। इधर उधर डिरेलमेन्ट मत होवो। फाइनेन्स को मजबूती से कन्ट्रोल करो। आज राजस्थान के फाइनेन्स विभाग पर प्रोपर कन्ट्रोल नहीं रहा ऐसा लगता है। कोई पैसा खा जावे, कोई अपने घर ले जावे, गाडी खरीद ले मोटर खरीद ले और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट मौन धारण करके बैठा रहे? आपका काम इतना ही नहीं है कि पैसा दे दिया या सप्लीमेन्टरी बजट पेश कर दिया, एडीशनल बजट ले आये। खर्चा हो गया सो हो गया, गलत-सलत उसे पास कराना है। सदन चाहता है आपका उस पर कन्ट्रोल भी रहे; और बहुत से काम हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): और बहुत से काम हैं, क्या हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उनको छोडने की मैंने अपील की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: खोटे कामों को अपनाने की अपील कर रहे हैं आप तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं जे. के. सिन्थेटिक्स के बारे में निवेदन करूंगा। इसको दी गई रकम के बारे में और भी लोगों ने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। ढाबरिया जी ने दिया है। ये तो इस पर खार खाये बैठे हैं। वे काफी बोलना चाहते हैं। मैं अधिक कहकर उनका समय कम करना नहीं चाहता। १६ लाख आप उनको दे रहे हैं। यह राज्य सरकार किस तरह की इन्डस्ट्री को इतनी बडी बडी रकम दे रही है। कुछ थोडा सा विचार इस पर अब करें। संकटकाल की स्थिति है। उस स्थिति में विचार करें। डिफेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत आपने आज महसूस की है, एसेन्शियल ऑफ लाइफ का प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हैं आज, फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और स्टेट की आवश्यक वस्तुएं और आवश्यक उद्योग, जो डिफेन्स के हिसाब से आवश्यक हैं इन तीन बातों को मुख्य रूप से मद्देनजर रखते हुए हमारी प्लानिंग होने वाली है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, इधर उधर बिखेरने को। हमें इन तीन बातों की तरफ सबसे अधिक ध्यान देना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। अब वह वक्त नहीं है कि आप देवस्थान का तीस लाख किसी को दे दें। धन लुटाने के अपने इस तरीके को आपको बदलना होगा अब। ये सारे तरीके गलत हैं। चुनावों के समय कलकत्ते में जाकर इन्डस्ट्रीज़ को आप नीलामी पर लगाओ, इन्डस्ट्री की बोली लगाओ और इस तरह से चुनावों के लिये पैसा लेकर आओ, यह उचित नहीं है, आपने आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है उनको, उनको उद्योग धन्धों में रियायतें देने का आश्वासन दिया है। बिजली की दर कम करने का आश्वासन दिया है, इन्टरेस्ट की रियायत दी है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन दिलाने का, बैंकों से दिलवाने का आपने आश्वासन दिया है। आप अब इन सुपरफ्लूअस चीज़ों को छोड़िये। अब तो डिफेन्स प्रोडक्शन को प्रायोरिटी देनी है, फूड प्रोडक्शन को प्रायोरिटी देनी है, इशेन्सियेलिटीज ऑफ लाइफ इन तीन चीज़ों से सम्बन्धित उद्योग को प्रोत्साहन देना है। आपको अब यह निश्चित नीति घोषित करनी चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की निश्चित घोषणा सरकार इस सदन में करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने चार कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : सभापति महोदया, इस मांग संख्या ४७ के द्वारा जो सरकार ने १ करोड़ ४७ लाख ९५ हजार रुपये की विशेष मांग के लिये इस सदन के सामने यह मांग प्रस्तुत की है इसके बारे में मैंने अपने ५ कटौती के प्रस्ताव दिये हैं और मैं चाहूंगा कि एक एक के बारे में बहुत संक्षेप के अन्दर मैं अपने विचार रखूं।

पहला जो कटौती का प्रस्ताव है वह यह है कि जो अकाल घोषित क्षेत्र थे उसके अन्दर जिस तरह से हमारी राशि का बंटवारा किया गया और जिस काम के लिए उन क्षेत्रों के लिए यह धन-राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई, मैं समझता हूं कि यह तरीका कि जो आपने अकाल क्षेत्र घोषित कर दिया और केवल कलेक्टर के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा उस क्षेत्र के अन्दर आपने २० हजार रुपया ३० हजार रुपया या लाख या दो लाख रुपया तहसीलदार को दे दिया और कह दिया कि आप इसके अन्दर सहायता कार्य कीजिये, कोई भी काम चाहे पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा इनक्षेत्रों में कराया जाये या सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाये या पंचायत समिति के द्वारा कराया जाये, मैं समझता हूं कि इन सभी का तालमेल होना बहुत जरूरी है और जब तक इन सब में तालमेल नहीं होगा तो इसका नतीजा यह होगा कि पंचायत समितियां भी उसी काम के लिए पैसा अलॉट कर देती हैं, तहसीलदार भी उसी काम के लिए अलॉट कर देते हैं और पी. डब्ल्यू. डी. भी उसी काम के लिये पैसा अलॉट कर देती है। नतीजा यह होता है कि दो महीने अकाल क्षेत्र होने के बाद जितना पैसा जिस काम के लिए अलॉट किया जाता है उसमें से ७५ परसेन्ट से ज्यादा रुपया बच जाता है और उस काम पर नहीं लगता। क्योंकि किसी भी एक निर्धारित स्कीम के आधार पर, योजना के आधार पर इन अकाल क्षेत्रों में रकम खर्च नहीं की जाती। बनेड़ा के अन्दर इस समय में कम से कम ५३ गांव ऐसे थे कि जिन्हें अकाल क्षेत्र घोषित किया गया था। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन सारे ५३ गांवों के अन्दर जहां व्यवस्था की गई थी कि कम से कम ६०–६५ हजार रुपया इस अकाल क्षेत्र के लिए दिया हुआ था उसमें से १३ हजार रुपया पीने के पानी के

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कुओं के लिए किया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीने के पानी के मुत्तालिक सारी स्कीमें पंचायत समितियों के पास होती हैं लेकिन यह पैसा तहसीलदार को दिया गया है और ४ महीने तक तो अकाल का काम चला और १३ हजार रुपयों में से सिर्फ ४ हजार रुपये ही काम आये और बाकी का ९ हजार रुपया आज भी तहसीलदार के खजाने में पड़ा है, जबकि अकाल का काम वहां पर बन्द हो गया है और पानी की आज भी इस तरह की जरूरत है कि आज क्योंकि बारिश नहीं हुई है और वहां पर अकाल की स्थिति आज भी मौजूद है और कोटड़ी में देख लें, बनेड़ा में देख लें कि सुबह ४ बजे से ६ बजे तक औरतें यदि कुओं पर चली गईं तो पानी है वर्ना बाद में पानी तक कुओं के अन्दर नहीं है; उन कुओं को गहरा कराया जाना चाहिये था। पर अन्धाधुंध तरीके से जैसा मर्जी में आया उस तरह से पैसा खर्च कर दिया और कुओं पर पैसा खर्च नहीं हुआ। वह सरकार के पास वापिस पैसा जा रहा है। तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह के काम जहां भी किये जायं बहुत ही सुव्यवस्थित योजना बना कर एक ही आधार पर, एक ही ऐसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिये कि जिससे यह सारा का सारा पैसा खर्च कराया जाये, तो इस तरह का काम जो इन अकाल क्षेत्रों के अन्दर किया जाता है, मैं समझता हूं, कि इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए आइन्दा जब भी इस तरह का काम किया जाये तो योजना बना कर किया जाना चाहिए।

मेरा जो दूसरा प्रस्ताव है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों को जिस तरह से ग्रेन का पैसा दिया जाता है- अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था और अभी जनसंघ के हमारे जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह पंचायतों की क्षमता नहीं है, पंचायत समितियों की क्षमता नहीं है कि इनको पैसा दिया जाता है, वह बेकार जाता है। माननीय सदस्य क्योंकि एक म्युनिसिपल एरिया में हैं इसलिए उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि गांवों के अन्दर पंचायतें और पंचायत समितियां काम कर रही हैं, उनका काम किस ढंग से हो रहा है। मैं समझता हूं कि वह कहेंगे कि जनलेखा समिति के कुछ यहां पर उदाहरण भी पढे गये जिसमें कहा है कि पंचायतें काम ठीक नहीं करती हैं, उनके पैसे का हिसाब नहीं है। मैं यह पूछूं कि आज भी जो जयपुर में म्युनिसिपेलिटी है, उदयपुर में है, बड़े बड़े शहरों की म्युनिसिपेलिटीज जिनको सरकार ने करोड़ों रुपया उधार दिया है क्या उनके यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं? क्या उन लोगों ने उनका सही उपयोग किया है, क्या गबन के मुकदमें म्युनिसिपैलिटीज में नहीं चल रहे हैं? अगर मैं इतना बड़ा पंचायती इंस्टीट्यूशन है जिसमें २६ जिला परिषदें, २३२ पंचायत समितियां और ७५०० पंचायतें हैं, हो सकता है उसमें अगर १२ परसेन्ट या १५ परसेन्ट या २० परसेन्ट भी ऐसी पंचायत समितियां हों और पंचायतें हों कि जिनके कामों में गलतियां हों तो इसका मतलब यह नहीं है कि ८०-९० परसेन्ट जो अच्छा काम कर रही हैं उनको भी पैसा नहीं दिया जाये।

माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार को इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस काम को करने के लिए पंचायत समितियों और पंचायतों के अन्दर जो एक सरकारी विभाग है, एक गैर-सरकारी विभाग है उनके

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)

काम करने के नियम और नीति निर्धारित कर दिये गये हैं उसी आधार पर अगर पैसे के खर्च करने का काम किया जाये तो मैं नहीं समझता कि क्यों इस प्रकार की गड़बड़ियां पंचायत समितियों में हों और मैं इसके लिए कहना चाहता हूं कि यह गड़बड़ियां होने का कारण उन्हीं पंचायत समितियों में या पंचायतों में है कि जहां चुने गये लोग जो राजकीय पार्टी के मेम्बर हैं और वह वहां पर जाकर नाजायज तौर से पंचायत समितियों के विकास अधिकारी हैं उनको दबा कर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने कामों में पैसों को खर्च करते हैं, वहां गड़बड़ियां हैं लेकिन दूसरी जगह ऐसा नहीं है . . . .

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पंचायत समितियों के प्रस्ताव से पैसे खर्च होते हैं फिर मिनिस्टर कहां होते हैं ?

श्री उमरावसिंह डाबरिया : मैंने तो मिनिस्टरों का नाम ही नहीं लिया। दोनों कानों को खोलकर सुनें।

श्री वीरेन्द्रनाथ हांडा : अगर हवाई हमला हो गया तो क्या करेंगे ?

श्री उमरावसिंह डाबरिया : अगर हवाई हमला हो गया तो साइरन की आवाज भी नहीं सुनेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों तरफ के कान खोल कर सुना करो।

बनेड़ा पंचायत समिति, जिसमें १९५९ से लेकर ६० तक जो महानुभाव वहां पर प्रधान थे उन्होंने जिस तरह की वहां पर गड़बड़ियां कीं उनके लिए मैंने एक बार नहीं पचासों बार कहा है कि इस समय की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको वित्त मंत्रीजी मंगाकर देख लें। उसमें कहा है कि बैलेन्स शीट में ७३ हजार रुपये का घोटाला है। लकिन उसके पर कोई विचार नहीं किया गया। उसका कारण यह है कि क्योंकि वहां के प्रधान इनकी पार्टी का आदमी था। इसलिए फिर भी प्रधान बनाया गया और आज भी वहां पर जूतेमारी पंचायत समिति की मीटिंग में होती है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने टेलीफोन कर दिया कि इस विकास अधिकारी का ट्रांसफर कर दो. . . .

श्री बालकृष्ण कौल : कहां का ?

श्री उमरावसिंह डाबरिया : बनेड़ा पंचायत समिति की १९५९-६० की ऑडिट रिपोर्ट मंगाकर देखें ७३ हजार रुपये का घोटाला है और उसके लिए ३ विकास अधिकारी आये। उन्होंने कॉन्फीडेंशियल रिपोर्ट अपने डिपार्टमेन्ट को भेजी लेकिन आज दिन तक कोई आपने एक्शन नहीं लिया। उसके ऊपर आपने कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो विकास अधिकारी उस समय थे उनका भी आपके कुछ लोगों से संबंध है। इसलिए उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सका और वह ७३ हजार रुपये का घोटाला आज भी मौजूद है। उस पंचायत समिति का अकाउन्ट आज तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि पंचायतें और पंचायत समितियों के अन्दर राजनीति को मत लाइये और शुद्ध तरीके से वहां पर काम होने दीजिये, ताकि गांवों के लोगों का भला हो सके, सुधार हो सके और डवलपमेन्ट हो सके।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव है आपके कोटा की नाइलोन फैक्टरी को १९ लाख रुपया देने के बारे में। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार जब कभी भी यहां पर कहती है इन्डस्ट्रीज़ के बारे में तो हमको इतना बड़ा सब्ज़बाग दिखाते हैं कि जैसे राजस्थान इंडस्ट्रीज़ के मामले में हिन्दुस्तान के बहुत से प्रांतों से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे राजस्थान का इंडस्ट्रीयल डवलपमेन्ट बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा हमारे वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आखिर यह १९ लाख रुपया आप दे रहे हैं किस कारण से दे रहे हैं? डवलपमेन्ट आप फैक्टरी का करना चाहते हैं। क्या डवलपमेन्ट होगा, कहीं इसमें नहीं बताया। इस फैक्ट्री को मैंने देखा है कोटा में जाकर। कितने आदमी काम करते हैं, क्या क्या, किस किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है इस फैक्टरी में।

यह फैक्टरी नाइलोन का थ्रेड बनाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सुपरफाइन थ्रेड नहीं है। मीडियम क्वालिटी का थ्रेड है। जिसको कपड़ा, हैंडलूम, पॉवरलूम या दूसरी तरह का हल्का कपड़ा, कहीं पर भी जाकर बनाया जा सकता है। अगर कोई सुपरफाइन तरीके का कपड़ा यहां इस फैक्टरी में बनाया जाता तो भी मैं समझता हूं कि इस तरह के लग्ज़ूरियस प्रोडक्शन करने की आज लड़ाई के समय में देश को आवश्यकता नहीं है। हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि हम मोटे से मोटा कपड़ा पहन कर अपनी जिन्दगी को चलायें लेकिन रुपया बचायें और उसे हमारे डिफेन्स के कामों में, सुरक्षा के कामों में, देश की आजादी को बचाये रखने के कामों में खर्च करें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इसको १९ लाख रुपया इसलिए देने जा रहे हैं क्योंकि यहां पर एक फैक्टरी खोली जाएगी। अगर आज फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इसी के स्थान पर यह कहते कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया हमारे यहां पर एक आर्म्स की फैक्टरी खोलने जा रही है और उसके हम १९ लाख के शेयर खरीद रहे हैं। अगर हमारे यहां के फौजी सिपाहियों की सुविधा के लिए १९ लाख रुपये की अच्छी फैक्टरी, अच्छे सामान का प्रोडक्शन करने के लिए खोल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उपयुक्त हो सकता था। आप १९ लाख किस के लिए दे रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और वही राज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह सेठ वही हैं जिन्होंने हमारे मुख्य मंत्री और फूड मिनिस्टर को दुनियां की सैर कराई और उन्होंने यह भी कहा था कि हम उनको ऊन के लिए भेड़ पालने के लिए जैसलमेर में बहुत बड़ी ज़मीन देंगे। इन्हीं सेठ को आप यह १९ लाख रुपया देने जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपने दूसरी इंडस्ट्री को रुपया दिया। मैंने पहले बजट सेशन में भी कहा था कि करीब दो करोड़ रुपया आपने उदयपुर के जिन्क स्मेलटर कारखाने को दिया है। उस समय जब मैंने यह कहा था तो हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब जिनकी कुर्सी के नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, झट उछल पड़े कि यह झूठ बात है। वह इन्डस्ट्री प्रोडक्शन करने वाली नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिंक स्मेल्टर कारखाने को जाकर देखें कभी प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। उसकी मशीनें बम्बई पोर्ट पर पड़ी हुई हैं जिनका डेमरेज लग रहा है, लेकिन उसकी उन मशीनों को छुड़ाने की

Page No 61

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

शक्ति नहीं है। वह कहता है कि पांच करोड़ रुपया और दो नहीं तो यह आपका तीस लाख रुपया चला जाएगा।

मैं कहना चाहता हूं कि आप यह सारा रुपया पूंजीपतियों को देना चाहते हैं और राजस्थान में जिन जिन इंडस्ट्रीज को जब जब ऐसी बड़ी रकम उधार दी गई है तो या तो वह १९५९ में या १९६२ में या १९६५ में दी जाएगी क्योंकि एक साल के बाद चुनाव आने वाले हैं। और चुनावों में ही यह समझौता पूंजीपतियों से यह सरकार और सरकार के बड़े अधिकारी जो पैसा उधार देते हैं, अपनी पार्टी को चलाने के लिए, चन्दा इकट्ठा करने के लिये, देते हैं। इसलिए इस तरह की बड़ी बड़ी रकमें इन कैपिटलिस्टों को दी जाती हैं। यह भी उन कैपिटलिस्टों को दी जाती हैं तो क्या उनको १९ लाख की कमी है। इन लोगों के पास करोड़ों रुपया ब्लैक मार्केट का पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया दूसरी तरह से कमाया हुआ है और हो सकता है कि ईमानदारी से कमाया हुआ भी १९ लाख से ज्यादा ही होगा। उनको आप सरकार के पक्ष में करने के लिए, पार्टी के पक्ष में करने के लिए यह १९ लाख रुपया देना चाहते हैं। आप दूसरी रकम साढ़े चार लाख रुपया देना चाहते हैं कमानी ब्रदर्स को और इसलिए देना चाहते हैं कि वे एक इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं, उदयपुर में और उस इन्डस्ट्री के लिए एग्रीकल्चरल लैंड उन्होंने ली है। उस एग्रीकल्चरल लैंड का पैसा चुकाने के लिए कमानी ब्रदर्स के पास साढ़े चार लाख रुपया नहीं है। मैं अध्यक्ष (सभापति) महोदया, आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वक्त हमारे इस धन की सुरक्षा करने की जिम्मदारी भी ले सकती हैं कि इस तरह का व्यक्ति जो इन्डस्ट्री लगाने के लिए जाता है, जो इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार है और उसके पास जमीन का पैसा देने के लिए रुपया नहीं है, उस जमीन को एक्वायर करने का पैसा नहीं है और उसको हमारी सरकार पैसा देना चाहती है, तो वह आदमी क्या इन्डस्ट्री लगाएगा ? किस तरह से मशीनें लगाएगा, किस तरह से एम्पलोईज़ को पैसा चुकाएगा, जबकि उसके पास प्राइमरी काम के लिये, जमीन के लिए, साढे चार लाख रुपया नहीं है ? वह रुपया हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब देना चाहते हैं और किस काम के लिए कि एग्रीकल्चरल लैंड, जिसके ऊपर कि आज जो अनाज की समस्या है, वहां अनाज पैदा हो जाता किन्तु उस एग्रीकल्चरल जमीन पर से एग्रीकल्चरिस्ट्स को वहां से उजाड़ कर उस एग्रीकल्चरल जमीन को आप उस आदमी को देना चाहते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। उदयपुर में चाहिए जितनी जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो पड़त जमीन है, बिलानाम है और उस जमीन पर इंडस्ट्री लागायी जा सकती है। सरकार उस जमीन को इंडस्ट्री के लिए दे सकती है, उसको अलाँट कर सकती है, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर वह जमीन दे सकती है। लेकिन यह तो आज की सरकार की नियत बन गई है एग्रीकल्चरिस्ट्स को उजाड़ कर उनकी जमीनों को इन पूंजीपतियों को देना। ऐसी जमीनों का साढ़े चार लाख रुपया मुआवजा चुकाने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कमानी ब्रदर्स को देना चाहते हैं जिसका आपने बंगला देखा होगा सिविल लाइन्स में, मैं समझता हूं कि उसमें जो बाग लगा हुआ है उसकी कीमत साढ़े चार लाख से ज्यादा हो सकती है। उसके मेंटीनेंस का खर्चा साढ़े चार लाख से ज्यादा हो सकता है, पर हमारी सरकार की आदत है कि पैसे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

वालों को पैसा दो। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इस प्रकार राजनैतिक समझौता करने के लिए ऐसे पूंजीपतियों को पैसा हमारी सरकार देती है लेकिन इससे हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और प्रान्त इसमें डूब जाएगा। आपने अभी लिस्ट दी थी कि हमने इतनी इंडस्ट्रीज को रुपया दिया था उसमें से इतनी इंडस्ट्रीज तो दिवालिया हो गई हैं · · ·

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसका तो बारह प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बैठिए, बैठिए। आप, यह जो चापलूसी करने वाले लोग हैं सरकार के उन्होंने पढ़ लिया होगा कि बारह......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह जो अनर्गल बकने वाले लोग हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसके अन्दर लिखा है कि उसका बारह प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। यह तो पहले लिखा है। उसके आगे लिखा है कि समय पर भुगतान करने की अवस्था में नौ प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की चतुराई इसमें नहीं है कि उन्होंने बारह प्रतिशत पहले लिख दिया जब कि ब्याज नौ प्रतिशत ही लिया जाएगा। अगर किस्त टाइम पर नहीं दी गई तो उस हालत में बारह प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। तो जिन लोगों को आपने रुपया दिया है, क्या वे दिवालिया हैं कि समय पर किश्त नहीं देंगे ? आपके तो नौ प्रतिशत ही हाथ लगने वाला है। यही नहीं, अध्यक्ष (सभापति) महोदया, दूसरी बात इसमें यह लिखी है कि धौलपुर ग्लास फैक्ट्री को डेढ़ लाख रुपया दिया जाएगा। इसमें डेढ़ लाख का तो ऋण है और डेढ़ लाख रुपये के ग्लास फैक्ट्री के हमारी सरकार शेयर भी खरीदना चाहती है। इस तरह से इस ग्लास फैक्ट्री को तीन लाख रुपये देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि हमको इस सदन में वित्त मंत्री महोदय बतावें कि उस फैक्ट्री में आज तक कितना इन्वेस्टमेन्ट हुआ है। शुरू में इन्वेस्टमेन्ट कितना था और डेली प्रोडक्शन कितना है और डेली इन्कम कितनी है। और डेली की नहीं बता सकते तो साल की इन्कम बता दें। इसी धौलपुर ग्लास फैक्ट्री जिसमें तीन लाख रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी सालाना आमदनी कितनी है, यह हमारी सरकार बतावे। मैं बताना चाहता हूं कि यह फैक्ट्री लोस में चल रही है, फिर भी आप इन्वेस्टमेन्ट करना चाहते हैं।

इसमें पांचवां मेरा जो कटौती प्रस्ताव है अब उसके बारे में कहना चाहता हूं। मैंने यह कटौती प्रस्ताव इसलिये दिये हैं कि सरकार एक सिद्धांत तय करे। अगर वह सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं कि ये ४ लाख रुपये दिये जायं। उदयपुर में उपद्रव हुए और उसके अन्दर जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको ऋण देने के लिए ये चार लाख रुपये इस सरकार के खजाने से देने की इजाजत इस हाउस से चाहते हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उसके डिटेल में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है कि ये उपद्रव कैसे हुए, उस के पीछे किन का हाथ था, या क्या हुआ, यह मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बड़ी ही सीधी बात कहना चाहता हूं कि दो; वहां की जनता के लोग थे जिनमें आपस में झगड़ा हो गया और उस झगड़े को लेकर कुछ उपद्रव

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

वहां घर हो गया और उस उपद्रव में जिनका नुकसान हुआ है उनको सरकार चार लाख रुपये देना चाहती है। क्या फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि इस तरह के उपद्रव उदयपुर से पहले राजस्थान में किसी हिस्से में हुए या नहीं हुए और अगर हुए तो उनको कोई मुआवजा दिया या नहीं दिया? आज भी आप देखिये कि इस लड़ाई में जोधपुर, बाड़मेर और उसके इलाके में हमारी जनता की फसलें नष्ट हो गई, मकान नष्ट हो गये और दूसरी चीजें नष्ट हो गई तो सरकार उनको कितना मुआवजा देने जा रही है? उसके लिये सप्लीमेंन्ट्री डिमाण्ड नहीं है, पर हमारे मुख्य मंत्रीजी की कॉन्स्टीट्युएन्सी उदयपुर के अन्दर नुकसान हुआ और वह भी किन लोगों का नुकसान हुआ? नुकसान मेरा हुआ और योगेन्द्रनाथ हाण्डा को रुपया चुकाया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): धन्यवाद।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: तो मैं यह कहना चाहता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कि आप यदि ईमानदारी से यह पैसा देना चाहते हैं तो इस सदन के तीन माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाइये। उस कमेटी को उदयपुर भेजा जाये जो वहां पर हुए नुकसान का अन्दाजा लगाये और उस अन्दाजे के आधार पर जो नीति निर्धारित की है नुकसान के भुगतान की कि इतने परसेन्टेज रुपया दिया जाय उसको वह रुपया दिया जाय, तो मैं मान सकता हूं कि ठीक बात है। मुसलमानों को जो कि वहां के रहने वाले बोहरे लोग हैं, जो कि हर चुनाव में ८ हजार वोट माननीय मुख्य मंत्रीजी को देते हैं उन लोगों को चुकाने के लिए चार लाख रुपये इस राजस्थान के खजाने से देने की बात अगर करें तो वह नीति और सिद्धान्त के खिलाफ है। अगर आप ऐसी नीति निर्धारित करते हैं तो मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हजारों......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): जिन मुसलमानों के मकान जलाये गये थे, उनकी दुकानें लूटली गई थीं, उनको बरबाद कर दिया गया था, उनको सरकार अगर मुआवजा देती है तो आप मुसलमानों से नाराज होते हैं। मुसलमान आप को बुरे लगते हैं।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया: मैंने खास तौर पर कहा है कि आप नीति के आधार पर सदन के तीन माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें, चाहे वे उधर ही बैठने वाले लोग हों, उनकी कमेटी भी बना दी जाय तो मुझे उसमें भी ऐतराज नहीं है, पर इस सदन के तीन माननीय सदस्यों की कमेटी बनायें जो वहां पर नुकसान हुआ है उसका अन्दाजा लगाये और उसके आधार पर वह दिया जाय। यह न हो कि गुलाम अब्बास ने होटल का बता दिया नुकसान कि २० हजार का नुकसान हो गया और उसका मुआवजा दे दिया गया, उसको ऋण दे दिया गया। इस तरह के लोगों को अगर आपने पैसा देकर पनपाने की कोशिश की, इस तरह से उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की गई तो, आये दिन वे गांव में उपद्रव करायेंगे और आज चार लाख दे रहे हैं तो कल १० लाख भी देना पड़ सकता है। इसलिये कोई भी प्रश्न सरकार के द्वारा कराना चाहते हैं उसके पीछे नियम होना चाहिए, नीति होनी चाहिए, सिद्धान्त होना चाहिए और उसके आधार पर दें। कौनसा आपने किसान के यहां आग लग गई, घर के घर बरबाद हो गये, फसलें

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

नष्ट हो गई, चारा नष्ट हो गया, दो परसेंट से ज्यादा मुआवजा दिया। उनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन उदयपुर में जरूर देंगे क्योंकि सरकार उदयपुर वालों की है, चीफ मिनिस्टर साहब उदयपुर के, चीफ सेक्रेटरी साहब उदयपुर के, तो फिर क्यों नहीं पैसा दिया जायेगा? आज आप उदयपुर के लोगों को सिद्धान्त से पैसे देने की बात इस सदन से मन्जूर करायें और यह सिद्धान्त मन्जूर करायें कि आयन्दा भी जहां पर किसी तरह से जनता के दो वर्गों में झगड़ा होने पर जो नुकसान होगा तो उनको मुआवजा दिया जायेगा। इस नीति की घोषणा इस सदन में सरकार द्वारा होनी चाहिये। उसके बाद मुझे कोई एतराज नहीं है कि चार लाख दें या १० लाख दें, लेकिन एक नीति निर्धारित करके।

माननीय सभानेत्री, मैंने जो पांच कट मोशन्स दिये हैं वे इसलिये दिये हैं कि सरकार आज एमर्जेन्सी का नाम लेती है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम पर संकट कालीन स्थिति है, हमको एक एक पैसा बचाना चाहिए और हम भी कहते हैं कि पैसा बचाओ। नाइलोन फैक्ट्री और कमानी ब्रदर्स को १९ लाख और ४५ लाख रुपया इस वक्त में देने की जरूरत नहीं है। ये हमारे देश के करोड़ पति हैं। ये उन ३०० आदमियों में से हैं जो हिन्दुस्तान के बहुत बड़े आदमी गिने जाते हैं। उन ३०० आदमियों में इन दो आदमियों की भी गिनती है। इसलिये आप कृपा करके ४७ करोड जनता में से, राजस्थान की रहने वाली २ करोड़ १० लाख जनता में से दो आदमियों की परवाह मत करो। उनके बाल-बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन गरीब आदमी, हरिजन, किसान, मजदूर, मध्यवर्ग के जो लोग हैं उनकी परवाह करें, उनके लिये इन पैसों का उपयोग करें, तो मैं समझता हूं कि इमर्जेन्सी में ताकत मिलेगी। इस तरह का पैसा इन पैसे वालों को देना मैं समझता हूं कि इनके लिये उपयुक्त नहीं है। इसलिए माननीय सभानेत्री, मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, ये जो आपने मुद्दे मन्जूरी के लिए रखे हैं उनको इस इमर्जेन्सी के ख्याल को लेते हुए विड्रा करें; और चाहे आपने उनसे वायदा भी किया हो, आपने उनसे मुआवजे की बात भी कही हो या और तरीके से हाथ मिलाने की बात कही हो, तो भी आप करोड़पतियों को पैसा देने की बात न करें। जागीरदारों को मुआवजा देने की बात पर आप लोग बोलते थे कि करोड़पतियों को पैसा दिया जा रहा है। हम लोग नहीं बोलते हैं। उन जागीरदारों से ज्यादा आज के ये करोड़पति हैं। वे आज उनसे ज्यादा शोषण करते हैं देश के मजदूरों का। इसलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों को जिनके पास में छिपा हुआ मनी-पड़ा है, जो अपने एशोआराम के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, वे इन्डस्ट्री की जमीन के लिए सरकार से पैसा चाहते हैं। ऐसे लोगों को यह पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। मैं पुरजोर शब्दों के साथ माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी का सवाल उठा कर इस पैसे की कटौती करें बचत करें। कहीं नहीं लिखा है कि यह रुपया आप कहां से लेंगे। बजट जब बनाया था तो एक लाख रुपया उद्योगपतियों को उधार देने की बात कही थी, लेकिन जब सप्लीमेन्ट्री बजट बना तो उसमें २४ लाख रुपया घुसा दिया कि २४ लाख रुपया इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि बजट के समय समझौता नहीं किया।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बजट बनाते समय यह वायदा नहीं किया था कि ६५ का इलेक्शन सामने दीख रहा है, इस पर बात करलो, वह बात उस वक्त नहीं की थी और अब की है और इसको पूरा करने के लिए सप्लीमेन्ट्री बजट भी ले आये। टैक्स भी आप लगायेंगे और पैसा भी गरीब लोगों से वसूल करेंगे। उनसे आप कहेंगे कि इमर्जेन्सी है इसलिए पैसा देना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी है इसलिए करोड़पतियों को पैसा मत दो। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

कि इस मामले का पुरजोर शब्दों के साथ विरोध किया जाना चाहिये और जितना भी पैसा देने का सवाल करोड़पतियों के लिए सरकार ने किया है, उसका विरोध होना चाहिए। इसकी मन्जूरी सरकार को इस सदन के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए।

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, आज इस मामले के सिलसिले में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यह खर्चा तो करना है ६५-६६ में, लेकिन इस खर्चे की पूर्ति कहां से हो उसके लिए स्पष्ट यह लिख दिया गया है कि किन जरियों से किया जायगा फिलहाल कहना कठिन है, तो मैं समझता हूं कि यह भी ऐसी बात है जिसकी तरफ सरकार इस बात को, मैं समझ सकता था और सदन समझ सकता था कि कोई अचानक पिछले एक महीने के अन्दर की स्थिति हमारे सामने आई है उसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च हो जाय तो कोई चिन्ता की बात नहीं है, लेकिन जहां पर कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार की सूझ-बूझ इस बात की नहीं है कि इस पैसे की पूर्ति किस तरह से की जायेगी और उस वक्त अगर यह बताया जाय कि इस तरह के ऋणों के लिए कि जिन ऋणों के लिये या तो सम्माननीय वित्त मंत्रीजी इस बात को बतलायें कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता है, इसके बिना जो है सरकार को इस तरह का नुकसान या हानि होगी, तब समझ में आ सकता है कि यह एक्सेस डिमान्ड या यह जो खर्चा हुआ है उसमें कोई सामन्जस्य है, उसकी कोई उपयोगिता है, लेकिन आज यह स्पष्ट देखने में आता है कि इस सरकार को सूझता नहीं है, कमी कहां से पूरी हो सकती है। जो कर्जा और दूसरी चीजें देते हैं उस पर कोई नियंत्रण नहीं है इस वित्त विभाग का। वह यह कहने की हालत में नहीं है कि रुपया आयेगा कहां से, देंगे कहां से? दिलचस्पी की बात कैसे उठाई जा सकती है ऋण के बारे में जो सरकार से मिलता है और पॉलिसीज के बारे में जिसके अनुसार दिया जाता है, उसके बारे में जहां तक ऋण की समस्या है जरूरतबन्दों को देने की उसके लिये जो नियम हैं उनको तोड़ा-मरोड़ा जाता है और उनका दुरुपयोग होता है। मिसाल के लिये चेयरमेन महोदया, मैं कह सकता हूं यह एक ही मिसाल मैं पहले भी देता रहा हूं और आज भी दे रहा हूं और वह यह है कि आज लोगों को खाना, कपड़ा और रहने का स्थान देने की सबसे बड़ी जरूरत है और रहने की सुविधा देने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने यह तय किया है कि गरीब लोगों को मकान बनाने के लिये ऋण दिया जाय और लोगों के मकान बनें। लेकिन मकान बनाने के लिये

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ऋण के रुपये लैप्स होते हैं । स्लम दूर करने के लिये जो रुपये दिये जाते हैं वे भी लैप्स होते हैं । कर्जा लेनेवालों की हालत क्या है ? जो कर्जा सरकार से मिलता है और उसके लिये जो नियम बने हुए हैं उनकी अवहेलना होती है, तोड़-मरोड़ होती है, कोई देखने वाला नहीं है । कोई जानने वाला नहीं हो ऐसी बात नहीं है बल्कि जो लोग उपयोग करते हैं वे गरीब नहीं दूसरे ही लोग हैं; सरकार के जो बड़ बड़े ऑफिसर हैं वे ले लेते हैं जिनको जरूरत है उनके लिये कर्जा नहीं है बल्कि वे लोग उसको बचाकर रखते हैं और खुद ले लेना अपना पैदायशी हक मानते हैं । कर्जे के लिये जो भी कागज आया उसको दबा कर रख लेते हैं । जयपुर में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं होगा जिसने ऋण लेकर मकान नहीं बनाया हो । ऋण तो लिया होगा २० हजार का और मकान बनाया होगा डेढ़ लाख रुपयों की लागत का । इस सरकार में जो लोग ईमानदारी से चलते हैं, जिनके पास ब्लैक का पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को पैसा दें तो २० हजार रुपये कर्ज के लेकर वे लोग अपनी छोटीसी कुटिया बनालें और आवास की समस्या हल हो सके और ईमानदार लोगों का काम हो जाय । लेकिन २० हजार का कर्जा लेकर जो डेढ लाख का मकान बनाते हैं या ३० हजार का कर्जा लेकर २ लाख का मकान बनाते हैं उनको कोई हक नहीं है कि वे इस ऋण को प्राप्त करें । मंत्रीजी ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर जांच करने का वायदा किया था लेकिन सरकार ऐसे लोगों की जांच करवा नहीं सकती, क्योंकि कानून को उन लोगों ने इस ढंग से तोड़ा है कि उनका कोई कुछ कर नहीं सकता । असरवाले लोग ही जब कानून तोड़ते हैं तो उनकी जांच करवायेगा कौन ? उनकी जांच यह सदन ही करवा सकता है । मैं अपील करूंगा कि कोई ऐसी मशीनरी सदन को बनानी चाहिये जो ऋण के रुपये, ब्याज और कानून को जज करे और उसके बाद जिन्होंने मकान बनाने में इतने रुपये लगाये हैं उनका चालान करप्शन एक्ट की धारा ५ के नीचे किया जाय और उनसे पूछा जाय कि तुमने २० हजार रुपयों का कर्जा लिया और तुम्हारी हैसियत ऐसी नहीं थी कि डेढ़ लाख रुपय लगाते । तुम ये डेढ लाख रुपये कहां से लाय । उनको बताना पड़ेगा । एक्ट स्पष्ट है । लेकिन हम और आप उनका चालान नहीं कर सकते या पूछ नहीं सकते । सरकार कहे तो पूछा जा सकता है लेकिन इमर्जेन्सी के नाम पर सरकार ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी । मैं कहता हूं इस इमर्जेन्सी में तो और भी ज्यादा जरूरत इस बात की है कि करप्शन नहीं हो । आज जिस दौर से हिन्दुस्तान निकल रहा है, जिस ढंग से हम फंस रहे हैं उस परिस्थिति में जन मानस को बल देना है तो बेईमानी और करप्शन को हमें खत्म करना होगा ।

(करतल ध्वनि)

खुद को समर्पण करना चाहिये जिन्होंने चोरी की है और जो हकूमत राज्य करती है उसको भी आज के दिन इस चीज को करने की बहुत जरूरत है जिससे कि हम लोगों में ताकत आ जाय और मजबूत हो जायं । मैं और जोरदार ढंग से कहना चाहता हूं इन सारी बातों को ।

हम मकान का नक्शा बनवाते हैं २० हजार रुपय कर्ज के मिल रहे हैं इसलिये । नियम यह है कि जब प्लिन्थ लेवल तक आ जाय तब कर्जा इतना दिया जाय, रूफ तक आ जाय तब इतना दिया जाय । लेकिन जब

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
प्लिन्थ लेवल पर ही इतने रुपये लग गये, २० हजार या ३० हजार प्लिन्थ पर ही लग गये, नक्शा देखते ही कह सकते हैं कि इस मकान पर तो डेढ लाख या दो लाख रुपये लगेंगे । २० हजार का कर्जा लेने वाला इतने लम्बे-चौड़े प्लिन्थ वाला मकान कैसे बना पायेगा, यह म्युनिसिपल कमेटी नहीं देखती, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट नहीं देखता । किसी एम. एल. ए. ने कह दिया कि प्लिन्थ लेवल पर आ गया तो उसको रुपये दे दिये । जिसको रुपयों की जरूरत नहीं थी उसको रुपये देकर आप इस समस्या को उलझा रहे हैं । इस तरह का बर्ताव आप करते रहोगे तो गरीब कभी खामोश नहीं रहेंगे । इस तरह की सरकार की हरेक स्कीम कामयाब नहीं होती । हमारे ऊपर बैठने वाले, हमारे पर राज्य करने वाले इस तरह दुरुपयोग करें हमारे ऋण का यह बात सदन में. . .

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : राज्य करने वालों से आपका क्या मतलब है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम सब शामिल है । मैं आपसे नहीं कहता ।

श्री परसराम मदेरणा : पिछले अधिवेशन में भी आपने यह मुद्दा उठाया था, उस समय मैंने कहा था कि स्पेसिफिक केसेज आप बताइयें जिन्होंने २० हजार का लोन लेकर २ लाख का मकान बना लिया है, आप उनके नाम बताइये, हम जांच करवायेंगे . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : विद्यारत्न भटनागर के पास नहीं है क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं शुक्रगुजार हूं । आपने पूछा है तो नोट करिये मैं लिखाता हूं । २० हजार का लोन होता था लेकिन ३० हजार रुपये मिसेज कौल को सवर्यूलर को खत्म करके दिये गये अजमेर में । मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो उन्होंने बिल्डिंग बनवाया है वह डेढ लाख रुपयों का है । उनको कोई हक नहीं था ३० हजार रुपये लेने का ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं । बात तो गैर-मुनासिब है जिसका नाम उन्होंने यहां पर इस्तेमाल किया है मिसेज कौल यहां पर मौजूद नहीं हैं लेकिन जितना मैं जानता हूं उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं हाउस को । मिसेज कौल का इतिहास आप जान जायेंगे तो ज्यादा अच्छा है ।

मिसेज कौल सन् १९४७ से सर्विस में गजेटेड ऑफिसर हैं और आज भी उनको करीब हजार के तनख्वाह मिलती है । वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने बाप की इकलौती लड़की थी । उनको यह ख्याल हुआ कि अपना मकान होना चाहिये. . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदया, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर. .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बैठ जाइये, Let him say.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह क्रम क्या इसी प्रकार चलेगा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पर्सनल एक्सप्लेनेशन का हक है उनको ।

Page No 68

श्री बालकृष्ण कौल: सभापति महोदया, वह गवनमेन्ट सर्वेन्ट हैं। उनको जितना हक था कर्जा लेने का वह लो इन्कम ग्रुप में नहीं था, मिडिल इन्कम ग्रुप में था। उन्होंने मिडिल ग्रुप से चार हजार का कर्जा लिया, बाकी अपनी तनख्वाह पर लिया है, जिसका कि वह इन्ट्रेस्ट देती हैं और जिसको उन्हें छत्तीस इन्स्टालमेन्ट में पूरा उतारना है। वह करीब करीब ३५ हजार रुपये का कर्जा है। मैंने अभी आपसे निवेदन किया, मिसेज कौल खुद कमाने वाली हैं, आज से कमा रही हैं एक अर्से से कमा रही हैं और अच्छी तनख्वाह पा रही हैं। उस चीज पर आपको कोई ऐतराज था या कोई शंका थी तो आप डिपार्टमेन्ट को लिखते और उनकी सारी हालत से वाकफियत करते कि उनकी हैसियत व्यक्तिगत कैसी है और क्या नहीं है। इसलिए यह कहना कि साहब उन्होंने एक लाख रुपया ले लिया, एक लाख रुपये का बंगला बना लिया, या सवा लाख का बंगला बना लिया या ढाई लाख का बंगला बना लिया। तो यह भी उनको जानना चाहिए माननीय सदस्य को कि उनकी व्यक्तिगत हैसियत क्या है? केवल इसलिए कि वह मेरी बीवी हैं, मेरी पत्नी हैं, मुझ पर कीचड़ उछालने के लिए उनका नाम लेें। तो मैं निवदन करूंगा इस सदन से कि जब हम अपनी बात रखते हैं तो कम से कम हर एक के एन्टीसिडेन्ट्स को जानना चाहिए, उसके इतिहास को जानना चाहिए और उसकी हैसियत को जानना चाहिए, और खास कर उस शख्स के लिए, जिसका यहां अस्तित्व नहीं है, जिसकी पहुंच नहीं है यहां पर, लांछन लगाना मेरे लिहाज से एक गलत चीज है और मैं समझता हूं कि कोई शोभा की बात नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: सभापति महोदया....

श्री परसराम मवेरणा: इसका एक्स्प्लेनेशन दे दिया है। दूसरी बातें बता दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: बैठिये, बैठिये। पहले एक का तो जवाब दे दीजिये।

श्री उमरावसिंह डाबरिया (बनेड़ा): मैं आपको एक हफ्ते में लिस्ट दूंगा उसकी आप जांच करना। मैं यह लिस्ट दूंगा कि कितने ओवरसियर, कितने सेक्रेटरी और कितने लोगों ने बंगले बनाये हैं . और जो बंगले बनाये हैं वह कितने एस्टीमेट के बनाये हैं। उसकी जांच करके आप सदन की मेज पर रखना, तब मैं आपको जवाब दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: सभापति महोदया, इसका तो मुझे अफसोस है कि मिसेज कौल का यहां पर उल्लेख किया गया। लेकिन यह बात भी ठीक है कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठित स्थानों पर होते हैं उनके बारे में जनता के अन्दर जरूर फैलता है और वह हमारे कानों में पहुंचता है। मैंने आपके कोई सीक्रेट कागज नहीं देखे हैं या ऑफिस के जो लोग हैं जिन्होंने सीक्रेसी मेन्टेन करने की कसम खाई हुई है, उन लोगों से मेरी बात नहीं हुई है। जो फेक्ट्स सामने आये हैं मैंने रखे हैं। उसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मेरा तर्क सिर्फ इतना है, उसका जवाब आप दें, वैसे मैं वित्त मंत्री की हैसियत से आपकी बीवी की हैसियत ज्यादा मानता हूं। मुझे इसमें ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात का नहीं है कि मिसेज कौल को कर्जा स्वीकृत हुआ? ऐतराज इस बात का है

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
कि जो व्यक्ति डेढ़ लाख रुपये का मकान बना सकता है, उसको सरकार से तीस हजार रुपये पाने का कोई हक नहीं। मेरा तर्क यह है कि जब नक्शे की तजवीज सामने आई तो उससे मालूम हुआ होगा कि डेढ़ लाख का मकान बनने वाला है। जो व्यक्ति डेढ़ लाख अपने पास से इन्वेस्ट कर सकता है उसको मैं समझता हूं, आवास की समस्या को हल करने के लिए जो ऋण की व्यवस्था है उसमें से ऋण लेने का कोई हक हासिल नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे ऐतराज करने का यों अधिकार है कि बाई वर्च्यू ऑफ सर्विस उनको अपनी तनख्वाह पर ऋण लेने का अधिकार है। उनके साथ यह कोई इनायत नहीं है, कोई रूल्स को कर्ब (Curb) नहीं किया गया है। एल. आई. जी. या एम. आई. जी. कोई ऐसा ऋण नहीं है कि जिसके द्वारा सरकार कोई सब्सीडाइज करती हो। आज आप ऋण के लिए कहते हैं तो कल को आप कहेंगे कि उन्हें तनख्वाह लेने का अधिकार नहीं है। उन्हें ऋण लेने का अधिकार है और सर्विस में होने के कारण अधिकार है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो डेढ़ लाख का मकान बना सकता है उसको यह लेने का अधिकार नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौल साहब, जो व्यक्ति डेढ़ लाख का मकान बना ले उसको ३५ हजार का कर्जा नहीं देना चाहिए। किसी गरीब को मकान बनाने के लिए आप दीजिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मॉडल) : जो डेढ लाख का मकान बना सकता है उसको आप ऋण दें और जो गरीब है वह अगर एप्लाई करे तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें।

श्री बालकृष्ण कौल : यह तनख्वाह के ऊपर है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऐसे व्यक्ति को १ लाख ५ हजार लेने का अधिकार नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : सभापति महोदया, अगर. . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें "अगर-मगर" लगाने का सवाल नहीं होता है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं वित्त मंत्री के नाते यह अर्ज करता हूं कि हर व्यक्ति को तनख्वाह के ऊपर ऋण लेने का अधिकार है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अगर इस तरह करते हैं तो जो सरमायेदार हैं वे कर्ज लेंगे और गरीबों को नहीं मिलेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस सदन में कहा था कि आप सूची बना कर दे दीजिए।

श्री बालकृष्ण कौल : हर कर्मचारी को नियमों के अनुसार अधिकार हैं और जिसको अधिकार है वह ३५, ३६ हजार तक ले सकता है।

एक माननीय सदस्य : एक किसान को कुए के लिए पांच-छः हजार मिलता है लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता है और जो डेढ लाख रुपया खर्च कर सकता है उसको आप ३५ हजार देते हैं।

Page No 70

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस समय देश में संकटकाल है, कौल साहब । आपको ३५ हजार इसी समय वापिस कर देना चाहिए और एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए, एक वित्त मंत्री होने के कारण ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन पूंजी-पतियों ने सिविल डिफेन्स फंड में एक पैसा नहीं दिया और मजदूरों ने अपनी एक दिन की तनख्वाह दी है । छोटे-छोटे कर्मचारियों ने और मजदूरों ने डिफेन्स फंड में एक दिन की तनख्वाह दी है और इन पूंजीपतियों ने एक पैसा नहीं दिया है और उनको आप लोन देना चाहते हैं जो बगीचे पर लाखों रुपया खर्च करते हैं और अपने एशो-आराम पर खर्चा करते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह प्रश्न एक उसूल का प्रश्न है । यह उसूल का प्रश्न होते हुए भी हमारे वित्त मंत्री को अधिकार है, यह उनके अधिकार की बात है कि वह कह दें—मैं फाइल नहीं रखता हूं । मेरे पास फाइल नहीं है, और यह मेरे अधिकार की बात नहीं है । जो सर्वेण्ट्स हैं उनको कर्जा लेने का हक है और उस आधार पर उनको आप डिफेण्ड करते हैं । मैं जानना चाहता हूं, मैं औचित्य को जानना चाहता हूं । आप बतलाइये, मैं यही नहीं, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मकान का प्रश्न है, इसके अन्दर मकान के लिए जमीन लेने का प्रश्न है, इस मकान के लिए कर्ज लेने का प्रश्न है—मैं कह सकता हूं कि कलेक्टर मुखर्जी के पास पैसा नहीं था, इसलिए पैसे के लिए स्पेशल ऑर्डर यहां से पहुंचा तब तीस हजार रुपया दिया गया । वह स्पेशल ऑर्डर किया गया । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इन्क्वायरी कराई जाय तो इस इन्क्वायरी से यह मालूम होगा, इस केस के कागज, जिस तरह कैरों के कागज जिस तरह जल्दी जल्दी बढे थे सिनेमा के मामले में, उसी तरह जल्दी जल्दी बढ कर मकान बन कर तैयार हो गया । इसके बारे में इन्क्वायरी हो, कर्जा देने के बारे में और मकान का नक्शा पास करने के बारे में, और दूसरी बातों में मालूम होगा कि कागज फुदक-फुदक कर आगे बढे, इसमें असर की बात थी और असर के बिना यह हो नहीं सकता था । यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं ।

आपने अभी एक लिस्ट की चर्चा की । मैं उस लिस्ट के सिलसिले में कहना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपका वायदा था इस सदन को । इस सदन में यह मांग की गई थी कि जिन्होंने कर्जा लिया है उसकी एक लिस्ट दे दीजिए । हमने इस उसूल की बात को माना है कि जो कर्ज की व्यवस्था है यह आवास की समस्या को हल करने के लिये है और जो सरकारी नौकर हैं उनका नौकर होना इस बात का सबूत है कि वह कर्ज को लेकर नहीं भाग जायगा । लेकिन जो मकान बनाने की समस्या है उसके लिए जो उसूल की वजह से कर्ज मिला है सेण्ट्रल गवर्नमेंट से वह यह है कि उसके पीछे यह भावना है कि जो ईमानदार हैं, जो गरीब हैं, जो छोटी छोटी जगहों पर काम करते हैं, जिनके पास में हराम का पैसा आता नहीं है वह खुद के रहने के लिये मकान बना सकें और उस मकान में अपने बच्चों को रख सकें । जिसको तीस हजार रुपये का मकान बनाना है उसको सरकार के द्वारा बीस

Page No 71

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हजार मुहैय्या कर दिया जाय ताकि एक ढंग से मकान खड़ा हो जाय और उसमें आराम से उसके बच्चे रहें। यह सर्वेण्ट्स के लिए सुविधा है। उसके संबंध में भी मैं बताऊं कि जो १९४७ के पहले के सरकारी नौकरी में हैं, उनकी बात रहने दी जाय तो १९४७ के समय से जो क्लर्क हैं, उनके बारे में मैं बता सकता हूं कि उनके मकान आधे खड़े हो रहे हैं लेकिन उनको कर्जा नहीं मिलता है। कर्जा नहीं मिलता है और चार-चार दफा दबाया जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को उघाड़ने की जरूरत है और खासतौर से इस एमर्जेन्सी के टाइम में उघाड़ने की जरूरत ज्यादा है। हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि जिस पर्पज के लिए, जिस मकसद के लिए रुपया मिला है वह उसमें यूटीलाइज हुआ है या नहीं, कानूनी ढंग से उनको आप डिफेण्ड मत कीजिये। आज राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की स्थिति है कि लोगों के पास रहने के लिए झौंपड़ी नहीं है, आज जयपुर में भी लोग खाली जगहों में पड़े हुए हैं। पटरियों पर लोग पड़े रहते हैं और बीस आदमियों के ऊपर से ट्रक चला जाता है। इसके बावजूद भी लोग जयपुर में इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करते हैं और बड़े बड़े बंगले बनवाते हैं। जो हम पर टैक्स लगने से रुपया आता है और जो रुपया सेण्ट्रल से कर्ज का आता है उसको आपने पामाल कर रखा है। उस रुपये को आप उन लोगों पर लगाना चाहते हैं जो एशो-आराम की जिन्दगी बसर करते हैं, जिनके बंगलों में चलें तो पांव रपट जायं। उनके लिए आप इस पैसे को लगाना चाहते हैं। यह गलत चीज है। इसलिए इस कर्ज की व्यवस्था के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। हम तो कर्ज से लदते जायं और जो एक्स्प्लॉइट करने वाली क्लास है वह उसका फायदा उठावे। मैं नहीं कहता कि उनमें सब बेईमान हैं। उनमें जो ईमानदार हैं वह अलग बैठे हुए हैं। वह देख रहे हैं, यह नगरी, उज्जैन की नगरी कहां से उठ रही है, यह विकास का रुपया कहां जा रहा है? वह बहुत परेशान हैं और उन गरीबों की कोई नहीं सुनता है। कम से कम इस डेमोक्रेसी में यह तय होना चाहिए। आज सारा सदन एक तरफ यह कहता है कि रुपया नहीं दिलाना चाहिए; आप कहते हैं कि रुपया लगाया जाना चाहिए। डेमोक्रेसी में हम लोगों का यह पूरा हक है कि हम आपसे कहें कि और मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आप हमारी राय को नहीं मानते हैं तो यह डेमोक्रेसी का अच्छा तरीका नहीं है। यह कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यह तो ओटोक्रेसी है और आपका यह तरीका एक ओटोक्रेटिक तरीका है। अगर आपको डेमोक्रेसी को ठीक तरह से चलाना है तो आपको जनता के प्रतिनिधियों की राय पर चलना होगा।

(२.०० म. प.)

मैं और भी कई बातें कहूंगा, मगर इससे आप यह अर्थ न निकालें कि मेरा मकसद किसी पर एटेक करने का हो। मेरा इरादा किसी पर एटेक करने का नहीं है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने अपनी एक थ्योरी बनाई है और वह यह कि क्या क्या योजना बनाई जावे, कहां कहां

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

किस तरह से धनराशि लगाई जावे, इसके लिये इतनी बड़ी पूंजी और सरकार हमने आपको दे रखी है उसके जरिये आप उसको खर्च करें, लेकिन आप उसका दुरुपयोग नहीं करावें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी माली हालत कितनी खराब है। १९ करोड़ रुपयों का एकाउन्ट का पता नहीं। अगर कोई बनिये की दुकान का मामला होता तो बनिया दो पाई के लिए दो पैसे की अगरबत्ती, अगरबत्ती नहीं मोमबत्ती जला डालता है, मगर अपना हिसाब पूरा करता। मगर यह कोई बनिये की दुकान नहीं, यह सरकार है। यहां पर ९ करोड़ रुपयों का पंचायतों में ऐसा है जिसका हिसाब नहीं, उसको कोई देखने वाला नहीं और न कोई सुनने वाला है। सब देखते हैं कि यह तो राज्य का पैसा है पड़ा रहने दो। अगर राज्य में ऐसा नहीं हो तो राज्य फिर वहां राज्य ही क्या हुआ। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि चुने हुए लोग चले जावेंगे तो फिर आप किसको पकड़ेंगे, किससे पैसा वसूल करेंगे? इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वे चले जायेंगे तो आप किसको रोवेंगे, आपका पैसा कौन देगा, कैसे वसूल होगा? आप उसका युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते? जब आपके वहां पर बी. डी. ओ, एकाउन्टेन्ट, ओवरसियर आदि कई प्रकार के नौकर रख रखे हैं फिर भी इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेन्ट होते हुये भी वे युटीलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे सकते ह; मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि बगैर युटिलाइशन सर्टिफिकेट के आप यहां पर आते क्यों है? आप यह कहते हैं कि यह रकम तो हमने उनको दे दी। मैं आपसे कहूंगा कि आपने एक लाख के बजाय १९ लाख दे दिये और आपको यह मालूम नहीं कि वह पैसा ठीक तरह से खर्च होता है या नहीं। यह तो वह मिसाल है जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आदमी रोजाना चार रुपये कमाता और ६ रुपये खर्च करता था। उसकी बीवी ने उससे पूछा कि दो रुपये ज्यादा खर्च करते हो, यह तो बताओ कि यह ज्यादा रुपया कहां से लाते हो, उसने कहा कि अपनी ऐसी-तैसी कराके लाता हूं। कमाल होगया। यह भी कोई उत्तर देने का तरीका है कि अपनी-ऐसी तैसी करा कर लाता हूं। इसी तरह से आप भी यह नहीं बताते कि यह दो रुपया ज्यादा खर्च किया जाता है वह कहां से आता है। यह आपको हमें बताना चाहिये, जो आप नहीं बता रहे हैं और उसी प्रकार का उत्तर देते हैं जैसा मैंने अभी आपको मिसाल दी।

अब मैं आपने जो मांग की है १४ लाख ९५ हजार की उस पर, आपने मेसर्स हाई टेक प्रेसिशन, धौलपुर को रुपये दिये हैं। इसके सम्बन्ध में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या पहले सरकार ने इसके लिये कोई कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने यह राय जाहिर की थी कि यह ग्लास फैक्ट्री यहां पर नहीं लगाई जाए और किसी दूसरी जगह पर लगाई जावे और आपने उसकी राय को नहीं माना और आपने इस जगह पर फैक्ट्री खोली जहां पर आज एक दूसरी ग्लास फैक्ट्री है। आज आप उसी हाई टेक प्रेसिशन धौलपुर को १ लाख ५० हजार दे रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि यह बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। मैं इसके लिये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यह आपका रुपया उनसे कभी भी किसी भी हालत में वसूल होने वाला नहीं है, यह रुपया आपको वापस नहीं मिलने वाला है और मेरा यह दावा है कि आपका यह रुपया

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
जो आप इस फैक्ट्री को दे रहे हैं, अवश्य ही डूबेगा। यह कम्पनी कभी उठ नहीं सकेगी।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कभी इस कम्पनी में क्या क्या सामान लगा हुआ है और कितना सामान लगा हुआ है, यह जाकर देखा भी है? मैं कहूंगा कि आप ने नहीं देखा होगा। आप इसको १॥ लाख रुपया किस बात के लिये देरहे हैं, यह भी मैं जानता हूं। आप मुझसे पूछिये कि इसको यह १॥ लाख रुपया क्यों दिया जारहा है? मैं आपको बताता हूं कि इसको क्यों दिया जा रहा है। एक विशेष तौर से आपका आदमी है जिसको इस कम्पनी ने नौकर रखा है और जिस आदमी को रखा है रेडियो में वह एक्सपर्ट है, उसको ७५० रुपया माहवार में नौकर रख लिया है, उसके कारण देरहे हैं। इससे पहले आपने रिजेक्ट कर दिया था। क्या यह कोई गवर्नमेन्ट का कन्सर्न है जिसको गवर्नमेन्ट १॥ लाख रुपया दे रही है या क्या यह कन्सर्न फायदे में चल रहा है? मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें ७५) ७५) रुपयों के डाइरेक्टर हैं। क्या सरकार ने इस बात की पूरी जांच करली है कि यह कम्पनी किसी जर्मन कम्पनी से एसोसियेटेड है इस कम्पनी ने जर्मनी से सामान मंगा लिया है और वह सामान आगया है? क्या आज उसमें घाटा हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि जिसमें इतना घाटा हो और जिस कम्पनी में घाटे के समय भी कोई घाटे के एकाउन्ट्स नहीं आते हों और जिसकी पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, सारी जगह इर्रेगुलेरिटी है। मगर फिर भी आप उसको रुपये दे रहे हैं महज इसलिये कि उसने आपके आदमी को ७५० रु० में नौकर रख दिया। मैं आपको फिर भी दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आपके रुपये कभी भी वसूल नहीं होने वाले हैं, ये आपके रुपये अवश्य डूबेंगे आप देख लेना।

श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ) : आप उस व्यक्ति का नाम बतावें जिसको नौकर रखा गया है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो यह पूछ कर बैठ जाते हैं और हम लडते रहते हैं। इन बातों के कोई जवाब तो आप उनसे दिलाते नहीं हैं फिर फिजूल हमें लडाते हैं। मैं नाम भी बता दूंगा।

मैं आपसे दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि आप अभी इस १॥ लाख की बकाया देने के लिये आज ही इसको राइट ऑफ कर दीजिये. यह मेरी समझ में आया है, मगर आज यह हालत उस कम्पनी की है वह रुपया दे नहीं सकेगी। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य इस बात का बडा विरोध करते हैं और हर बात में कांग्रेस के चन्दे की बात कहते हैं और कहते हैं कि इसके लिए रुपया दूसरों को दिलाते हैं, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के हिसाब-किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस प्रोग्रेस पर है। कोई पैसा दे जावे तो ले लेते हैं, मगर आपकी तरफ से कोई बेईमानी होती है तो उसे जेल में भेज देते हैं।

एक माननीय सदस्य : कन्ट्रोल किस का है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: कन्ट्रोल कांग्रेस का है और किसका है।

इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की बातें कहना हलकेपन की बात है। आप कांग्रेस को चन्दे की बात कहते हैं इसमें तो और भी कई तरीके हैं। कौन क्या

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कर जाता है और कांग्रेस को बदनाम करते हैं। कांग्रेस का खुला प्रोग्राम है। उसके काम और उसकी कुर्बानियें सारे देश के सामने साफ हैं, इसमें छिपाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार का लांछन लगाते हैं और हर समय इस प्रकार की बातें कहते हैं इससे हलकापन आता है।

अब रहा कर्जे का प्रश्न। आप कहते हैं कि १२।। परसेण्ट इण्ट्रेस्ट मिलता है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आज ऋण के कानून बने हुए हैं। आपने ऋण देने के लिए कानून बना रखे हैं कि इससे ज्यादा कर्जा किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह १२।। परसेण्ट इन्ट्रेस्ट पर आप इतनी बडी रकम देते हैं किसको, जिसका दिवाला निकलने वाला है। वह व्यक्ति रुपया उठावे और अपना दिवाला निकाले, यदि वह १२।। परसेन्ट के बजाय २५ परसेंट भी ब्याज दे तो भी उसको रुपया नहीं देना चाहिए। इतना ब्याज वही देता है जिसकी सारे बाजार में कोई साख नहीं। जिसकी साख नहीं होती है वही ज्यादा ब्याज देता है। १२।। परसेंट ब्याज लिखित देकर रुपया लेता है। वह जो १२।। पर्सेंट ब्याज देता है वह या तो दिवाला निकाला हुआ होता है या दिवाला यदि निकला नहीं है तो निकलने वाला है। तो वह ११ लाख १८ हजार आपसे क्यों बढ़वा रहा है? आज इस ब्याज पर कामानी को रुपया देना गलत है। मैं यह कहूंगा कि इससे तो अगर किसी जरुरतमन्द को दिया हो तो वही ब्याज उससे लेना चाहिए जो बाजार में ईमानदारी का हो और जिसकी साख हो उससे लिया जाता है। आज १२।। परसेंट का इन्ट्रेस्ट वह देता है जो दिवालिया हो या जिसको दूसरी जगह से कहीं से रुपया नहीं मिलता हो। पर सरकार आज उसको कर्जा देती है। यह कमानी ऐसा आदमी है जिसकी कोई वक्त नहीं। हम अपने रुपयों को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, जो १२।। परसेंट का ब्याज देता है और जो एक उस बनिये की तरह से है जिसके कोई आल-औलाद नहीं हो वह अपने रुपये ब्याज के लोभ में आकर देता है। मैं यह कहूंगा कि उस बनिये की तरह से हमारा चलना बिल्कुल गलत है। मैं यह कहता हूं कि यह जनता का पैसा है और हम जनता के चुने हुए हैं। इसलिए मैं जनता के नाम पर आपसे अपील करता हूं कि सही ढंग से रुपयों का इन्वेस्टमेंट करें और सही व्यक्ति पर लगाने की जरूरत है।

किसान को तो आप ऐसी-तैसी कर देते हैं, एक दफा अगर उसने तकावी ले ली तो जैसे आपके जाल में फंस गया, हाय हाय, लाव-लाव करते हैं आप, इधर कोऑपरेटिव वाले, उधर तहसील वाले किसान की छाती पर बैठे रहते हैं, गरीब किसान को बिलकुल नहीं बख्शा जाता। दूसरी तरफ ये बडे बडे पूंजीपति आपका ड्यू रुपया, आपका ड्यू इन्ट्रेस्ट दो दो महीने तक दबा कर बैठ जाते हैं, उनसे आप कुछ नहीं कहते, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको अपना यह तौर-तरीका बदलना होगा। यदि आप इस तरह से चले तो देश का बडा भारी नुकसान होगा। आज की मौजूदा गम्भीर परिस्थितियों में सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाहियां करना गलत होगा। इसलिए मैं चाहूंगा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि सही तरीके से हमारे हुक्काम काम करें इस प्रकार का जरिया निकालिये । जो रुपया हमारा इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास है उसको तो निकाल लेंगे और आगे से हमारा रुपया सही पॉलिसी पर देंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मानिकचन्द सुराणा !

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : मेरा कटौती प्रस्ताव है !

श्रीमती सभानेत्री : आपका और ज्वाला-प्रसादजी का एक ही है । आप बोलना चाहते हैं तो बोलें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्षाजी, आज सदन में जो ऋण के मामले में डिमाण्ड रखी गई है उसमें मेरा कटौती प्रस्ताव है। मैं उसका और सरकार का इसलिये विरोध करता हूं कि राजस्थान सरकार बनने के बाद आज तक सरकार ने नहीं बताया कि कितना करोड़ रुपया पूंजीपतियों को दिया गया, कितना करोड़ रुपया पंचायत समितियों को और कितना करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिये जिनकी सरकार की गारन्टी है, उनको दिया गया। मैं यह मान कर चलता हूं कि दो अरब के लगभग यह रुपया है, जब से राजस्थान बना, जयपुर और दूसरी स्टेट्स का रुपया पूंजीपतियों में बाकी या वह डेढ, दो अरब रुपया है जो लोगों में बाकी है, फिर भी राजस्थान सरकार ऋण के बजट में और सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स रखती है । इससे पहले सरकार को चाहिये कि पिछले सालों में जो ऋण दिये गये हैं उनका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, यह इस सदन को बताये।

(२.१२ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

राजस्थान सरकार को यह बताना चाहिये कि जिन स्टेटों ने ऋण दिये, उनके ऋणों का क्या हाल है, यह हाउस के सामने आज तक नहीं बताया है। हम कांग्रेस में हैं इसलिये वोट के मामले में कुछ नहीं कर सकते। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब देखें कि पार्टी व्हिप इश्यू नहीं कर तो पता चल जाय कि ऋणों के बारे में जो यह सप्लीमेंटरी डिमाण्ड आई है उसके खिलाफ किस प्रकार वोट पड़ें। पर क्योंकि आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मुंह बन्द है, मजबूर हैं, हाथ ऊंचा करना पड़ेगा मजबूरी में। सभापति महोदय, यदि सरकार इस प्रकार के ऋण के लिये सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड रखती कि मिलिटरी वालों के फायदे के लिये, पुलिस वालों के घर वालों के लिये, बहुत कारखाना खोल रही है, उनके लड़कों और उनकी स्त्रियों के लिये कोई भलाई की इस प्रकार की चीज करने के लिये यह मांग रख रही है जिससे सरकार को ऋण की जरूरत हो, हाउस से उस ऋण को प्राप्त करने के लिये सप्लीमेंटरी डिमाण्ड लाती तो यह स्वागत की बात होती। पर ये सरकार ने धौलपुर की फैक्टरी के लिये ऋण की सप्लीमेंटरी डिमाण्ड रखी है, जिसने पहले का पैसा नहीं दिया। दूसरे ऋण सरकार ने दिये हैं, जितनी राजस्थान की इन्डस्ट्रीज हैं इन्डस्ट्रीज को ऋण दिये गये हैं, स्टेटों के वक्त में, जयपुर स्टेट के वक्त में जयपुर स्पिनिंग मिल में ऋण दिया फिर राजस्थान सरकार ने ऋण दिया। आज उनके शेयरों का क्या भाव है, यह देख कर सरकार को ऋण देना चाहिये, पर यह सरकार नहीं देखती। सरकार

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

तो यह देखती है कि यह पूंजीपति है, हमारी खुशामद करता है, इससे हमें फायदा होगा। उसी पूंजीपति को ऋण दिया जाता है। यही हाल सीमेंट फैक्टरी का है। सीमेंट के कट्टे का शुरू में ३॥ रुपया भाव था आज उसका ८॥ रुपया का भाव है, सरकार को कितना फायदा हुआ, यह आज तक नहीं बताया गया। गंगानगर, उदयपुर, कोटा में, किशनगढ़ में फैक्टरियां हैं, हमारे दोस्त एम.एल.ए. हैं वे बराबर सरकार को कहते रहते हैं, मैं यह मान कर चलता हूं कि विरोधी सही बातें कहते हैं, हम मानते नहीं। हम लोग गलत काम करते हैं इसलिये वे कहते हैं, जो पूंजीपति खुशामद करते हैं, वह पूंजीपति हमारे लिये काम कर देते हैं, हमको कुछ मदद दे देते हैं, इसलिये उस पूंजीपति को मदद दी जाती है सरकार की तरफ से।

इसलिये फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहना है कि सप्लीमेंटरी डिमाण्ड में जो पूंजीपतियों के लिये डिमाण्ड आई है वह नहीं रखनी चाहिये। जो मिलिटरी के बहादुर मारे गये हैं उनके लिये आप इस प्रकार की कोई डिमाण्ड रखिये। राजस्थान के हजारों मिलिटरी मेन लड़ाई में हैं, कई लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके बच्चे दर दर फिरते हैं, उनके लिये सोचिये, उनकी स्त्रियों के लिये सोचिये, पर आप उनके लिये नहीं सोचते।

दूसरे दुनिया के देशों में देखिये कोई मिलिटरी मेन लड़ाई में मरता है तो क्या होता है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): दूसरी कन्ट्रीज में क्या होता है, कुछ नजीर बताओ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): रूस की बता देंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : रूस की बता दूंगा।

जो सैनिक लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए उनको एक हजार रुपया दे दिया, २५ बीघा जमीन दे दी ; जमीन भी कहां दी ? हनुमानगढ़ में। एक विधवा स्त्री और उसके दो छोटे बच्चे हनुमानगढ़ जायेंगे। जहां उनके मकान हैं, जहां उनके रिश्तेदार हैं वहीं उनको जमीम दी जानी चाहिये। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है, उनसे जमीन ले कर सैनिकों की विधवाओं को सरकार जमीन देगी तब तो सरकार की बहादुरी है। वहां न देकर देती है हनुमानगढ़ में, वहां कौन जायगा? मुझे तो जयपुर से बैराठ जाने में मौत सी आती है तो विधवा स्त्री और छोटे बच्चे कैसे हनुमानगढ़ जायेंगे? तो सरकार थोथा प्रोपेगेन्डा करती है, वह फालतू बात है, फलां जगह इतना इकट्ठा किया जा रहा है मिलिटरी के सैनिक मारे गये उनके लिये, प्रोपेगेन्डा से कुछ नहीं। तो मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिये कि जहां के वे लोग रहने वाले हैं वहीं उनको जमीनें खरीद कर सरकार उन्हें दे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: डिमांड पर बोल रहे हैं या और विषय ले लिया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपका यह प्रश्न अनुचित है, सदन इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वे एक महान विषय पर बोल रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं यह पूछना चाहूंगा सरकार से कि आप लोन इतने देते

(श्री मुक्तिलाल मोदी)
हैं, पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कितनों के आये हैं ?

जो लोन लेते हैं वे यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं । उसकी इन्क्वायरीज दो–दो, तीन–तीन, चार–चार वर्ष में नहीं होती हैं । आपकी इन्क्वयारी का जो ढंग है पंचायत समितियों द्वारा और जिला परिषद द्वारा, वह बिलकुल गलत है । उसके अन्दर इतना स्टाफ बैठा है रेवेन्यू के जो पॉवर्स थे वे तहसीलदार से बी०डी०ओ० ने ले लिए हैं, बी० डी० ओ०, आर० ए० एस० ऑफिसर है उसको ज्यादा पॉवर लेनी चाहिए जिससे लोन वसूल किया जाकर दूसरे लोगों को दिया जाय, परन्तु जितना लोन दिया गया है वह अगर काम में आता; यदि उसका कुआ बनता, बांध के लिए दिया होता और बांध बनता तब तो मानता कि राजस्थान जो एग्रीकल्चर की बात करता है वह सबसे आगे बढता । पंचायती राज होने के बाद जो सब–कमेटी बनी उसके अंदर भी मैंने विरोध किया कि इतनी पॉवर्स पंचायती राज को दे रहे हैं वे नहीं देनी चाहियें। आज जितना लोन पंचायतों के अंदर दे रहे हैं उसका यदि उपयोग हो तो बडी खुशी की बात है परंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जो स्टैंडिंग कमेटी लोन के काम को फाइनल करती है उसको बदलना चाहिए। मेरा कहना है कि आज जो लोन का तरीका पंचायत समितियों में है वह गलत है, वह जनरल मीटिंग के अंदर में पास होना चाहिए। कई किसान जो गरीब किसान हैं जो १०-१०, १५-१५ बार जाते हैं तो भी उनको लोन नहीं मिलता है। जो प्रधान चाहता है या जो स्टैंडिंग समिति का अध्यक्ष होता है वह जैसे चाहता है, उसके सदस्य जिसको चाहते हैं, उसको लोन दिया जाता है।

इसके अलावा हम पर दिन पर दिन टैक्स लगाते जा रहे हैं। जैसे जब हमारे दूसरे सदस्य बोलते हैं वे सही बात बोलते हैं, अपने आदमी भी जानते हैं कि जो विरोधी दल के सदस्य बोलते हैं वह ठीक तो है लेकिन क्या करें, अपन को करना पडता है। सरकार ने आदेश दिए थे कि जो जमीन हो तहसीलों के अंदर वह सैनिकों और हरिजनों को दी जानी चाहिए। मगर मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि उनको नहीं दी जाती है और तहसीलदार, बी.डी.ओ. और प्रधान जिसको चाहते हैं उसको दी जाती है, कानून की अवहेलना करते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। आप कोई कानून बनाएं और उसका पूरा पालन न हो, या तो बिल्कुल नहीं बनाएं। हम लोगों को गांव में जाकर यह कहना पडता है कि आज हमने असेम्बली में बैठकर यह कानून बना दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, कई दिनों के बाद तो आज बोलने के लिए खडा हुआ हूं और आपने घंटी बजा दी। तो जब कानून की अवहेलना होती है तो बहुत बुरा लगता है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा): प्रधान जो लोन देते हैं उसका सरकार से क्या संबंध है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो ये सारे के सारे तरीके बदलने चाहिए। दूसरी बात यह है कि सहकारी समितियों के अंदर सरकार गारंटी देती है। सरकार अगर गारंटी नहीं दे तो सहकारी बैंकों से एक पैसा नहीं मिले

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

१० रुपए का शेयर देकर १००) ले लेते हैं। और १००) रुपए का क्या उपयोग होता है, यह सरकार नहीं देखती है। बैंक्स जमीन को मोरगेज कराती हैं। आज सरकार के कितने करोड़ रुपए बकाया हैं, उसका क्या उपयोग हुआ? लोगों के खिलाफ हजारों रुपया बकाया है, वह रुपया क्यों नहीं वसूल होता है, कई इंडस्ट्रीज में लोन पड़ा है। आपको दूसरे देशों से भी लोन आता है वह भी वसूल होगा और केन्द्रीय सरकार भी आपको लोन देती है और वह भी आपसे वसूल करती है, तो रियासतों के समय से लेकर आज तक कितना ऋण बकाया है लोगों के अंदर और उसके बाद कितना ऋण आता है जिसमें से केंद्रीय सरकार ने तो कितना दिया और जो बचे वह ऋण राजस्थान में यूटीलाइज करो नहीं तो किसी को ऋण की आवश्यकता नहीं है। उधर हम पर दिन पर दिन आप टैक्स लगाते हो और भारत सरकार जो किश्त चाहती है वह देनी पड़ती हैं। जो भी काम आप करो वह ऐसा करो कि जनता को हर तरह से सुविधा मिले, परेशानी दूर हो, इसलिए मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है और जितनी डिमांड्स आई हैं उनका विरोध करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सभापति महोदय, वैसे माननीय श्री हांडा बोलने के लिए बहुत उत्सुक हैं इसलिये मैं थोड़ा बोलूंगा। इनका कटौती का प्रस्ताव नहीं है। सभापति महोदय, जो सप्लीमेंटरी बजट के जरिए जिन ग्रान्ट्स पर हम बहस कर रहे हैं, अभी नसीराबाद और बनेड़ा के माननीय महानुभावों ने बहुत कुछ निवेदन किया है। मैं संक्षेप में निवेदन करता हूं कि यह कोई इस वर्ष का तरीका नहीं है कि राज्य सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को १०-१० लाख, १५-१५ लाख और २०-२० लाख रुपए अपने बजट से उधार देना चाहती है और उसकी मन्जूरी इस सदन से चाहे जिस तरह हो प्रतिवर्ष सप्लीमेंटरी बजट के जरिए और बजट में जो दूसरे प्रावधान हैं, उनके जरिए बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको रुपया उधार देने की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि ये तीन चार आइटम्स सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के जरिए हमारे सामने आ रहे हैं इसलिए हमारा ध्यान खास तौर से इन मुद्दों पर केंद्रित हुआ है। यह लोन कमानी इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, जे.के. सिंथेटिक्स, उदयपुर में जो दंगे हुए हैं उनके लिए भी ४ लाख का एडवांस कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि यह सदन इस बात को जानने में दिलचस्पी रखता है कि राज्य सरकार की ऋण देने के बारे में नीति क्या है? एक करोड़ रुपये का फाइनेन्स कोर्पोरेशन आपने राजस्थान में खड़ा किया और उद्योगपतियों को, चाहे वे बड़े हों या छोटे, जो १० लाख से कम उद्योगों में आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहें वे उस कोर्पोरेशन के सामने अपनी दरख्वास्त देते हैं।

उसके नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं और उन नियमों और कानूनों के तहत फाइनेन्स कोर्पोरेशन उनको रुपया उधार देता है और जो लोग दस लाख से ऊपर इन्डस्ट्री के लिये ऋण लेना चाहते हैं भारत सरकार ने उसका फाइनेन्स कोर्पोरेशन खोल रखा है और उसमें से बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण दिया जाता है। आप जे.के. सिन्थेटिक्स को १९ लाख रुपया देना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा उद्योग मंत्रीजी से कि जे.के. सिन्थेटिक्स भारत सरकार से क्यों नहीं लेना चाहती है,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

राजस्थान सरकार से क्यों? कमानी इन्डस्ट्री वाले राजस्थान सरकार से ४।। लाख रुपया लेना चाहते हैं और हिन्दुस्तान की सरकार ने जो फाइनेन्स कोर्पोरेशन बनाया हुआ है उसके पास क्यों नहीं जाते? आप कहते हैं कि हम ९ करोड़ रुपया उधार देंगे। समय पर यदि ऋण की किश्त नहीं चुकायेंगे तो उनको १२।। परसेन्ट इन्ट्रेस्ट देना होगा। आप दो तरह के ब्याज की शर्तें रखते हैं, सरकार को भरोसा नहीं है कि समय पर वापिस चुका पायेंगे या नहीं। इसलिये पीनल इन्ट्रेस्ट इसी के साथ रख दिया गया है कि किश्त नहीं चुकाये तो १२।। परसेन्ट वसूल कर लिया जावेगा।

मेरा कोई कमानी ब्रदर्स,या जे.के.सेन्थिटिक्स से विरोध नहीं है, कोई वैमनस्य भी नहीं है। आप नहीं चाहते कि अन्य यहां उद्योग धन्धे पनपें। हमारे सामने सबसे मोटा प्रश्न यह है कि जो उद्योग धन्धे हैं, क्या सिद्धान्त तय किये हैं? कौनसी इन्डस्ट्री को प्राथमिकता देंगे? इसके लिये सरकार ने क्या निर्णय लिया है? निर्णय नहीं किया है तो क्या सरकार, राज्य सरकार आज भी करने के लिये तैयार है कि राजस्थान की आवश्यकता को तो देखते हुए उनकी प्राथमिकता देखेंगे? कोई उद्योगपति आया, मुनाफा दिखा और इन्डस्ट्री डाल दी। इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियल बढ़ जायगा, आय बढ जावेगी, इस नाम पर राजस्थान सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को रूपया ऋण देने के लिये तैयार हो जाती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रुपया भारत सरकार से उधार दिया जाता है उसके लिये साफ है नियमों के तहत नहीं मिलता, उनके पास या तो मोर्टगेज करने के लिये नहीं है कि उनको २० लाख रुपया मिल सके। जे.के. सिन्थेटिक्स वाले करोड़पति हो सकते हैं लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि वह सरकार से बिना किसी तरह की सम्पत्ति की सुरक्षा दिये हुए राज्य सरकार से लोन प्राप्त कर लें। राज्य सरकार का यह रवैया रहा है कि किसी पूंजिपति से खुश होने के बाद, खुदा से खुदा होने की बात हुई, उसके पास छप्पर फाड़ कर पैसा आता है। जिन्क स्मेल्टर का उद्योगपति करोड़पति है और राजस्थान में करोडों रुपया उसने कमाया। उसको राजस्थान सरकार आंख मींच कर सवा दो करोड़ की गारन्टी दे देगी और अन्दाज नहीं लगाया कि सवा दो करोड़ रुपया जिन्क स्मेलटर वाला बैंक और एल. आई., सी. से ले रहा है उसका उपयोग हुआ या नहीं और उसको यह देने के बावजूद वह जिंक समेल्टर राजस्थान में खड़ा हो जायगा या नहीं; सवा, डेढ़ वर्ष पहले मुख्य मंत्रीजी से सवाल इस सम्बन्ध में किया गया था कि सवा दो करोड़ रुपया जिंक स्मेल्टर वालों को देने के लिये वादा किया या नहीं, तो कहा कि "जी हां"। यह भी कहा कि इतना उत्पादन हो जावेगा। वे तो भाषण देने के आदी हैं। आज मुख्य मंत्रीजी से पूछता हूं कि जिंक स्मेल्टर की गारन्टी चुपके २ मंजूर करली, हम को न बतायें, सवा दो करोड़ की गारन्टी दे दी और ३। करोड़ की गारन्टी दी है। फिर भी वह अधूरा खड़ा है और बडी बडी मशीनरी को बोम्बे पोर्ट पर जंग लग रहा है। न तो उसको भारत सरकार पैसा देती है और न कोई दूसरा पूंजीपति पैसा देता है, न वे उसको पार्टनरशिप में रखना चाहता हैं; आप उनको सवा दो करोड़ की गारन्टी देने की हिम्मत करते हैं—इस प्रकार आपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेन्ट किये हैं समाजवाद के नाम पर,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
पिछडे हुए राजस्थान को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने के नाम पर, लेकिन यह नहीं हो सका कि आप स्वयम् ही स्टेट सेक्टर में ये लगाते। समाजवाद के माने यह हुए कि कोई पूंजीपति आये और दरख्वास्त दे, बस उद्योग खडे हो गये। औद्योगिक नियम हैं, उनको समझने की कोशिश करें तो थोडे समय में क्रान्ति कर सकते हैं। ६० हजार औद्योगिक मजदूर हैं, सन् ६२ तक ४० करोड की लागत लगी है। यह सरकार बीस बीस लाख, चार-चार, पांच-पांच लाख और प्रत्येक वर्ष तीस-तीस लाख रुपया बडे बडे पूंजीपतियों को देती रही है। इस सरकार के तौर-तरीके रुपये उधार देने के बिलकुल गलत हैं। गलत ही नहीं सिद्धान्तहीन तरीके हैं। कांग्रेस के ही अभी मुक्तिलालजी कह रहे थे कि लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हम चन्दा लेते हैं पार्टियों में और पैसा उधार दे देते हैं। इन चीजों पर राज्य का मंत्रि मंडल चलता है, इन चीजों पर पर्दा पड जाय इसलिये आप नियम नहीं बनाते। आपको नियम बनाने चाहिये और प्रायोरिटीज तय करनी चाहिये।

आज संकटकाल से देश और प्रान्त गुजर रहा है। हमारा प्रान्त बोर्डर पर है। आज जरूरत इस बात की है कि हम विकास भी करें और देश की रक्षा भी करें। मैं राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि यह रुपया इन पूंजीपतियों को उधार देने के बजाय स्वयम् किसी कारखाने में लगायें तो आमदनी अधिक हो सकती है। बीकानेर जिप्सम में चालीस परसेन्ट शेयर राजस्थान सरकार के हैं। क्यों नहीं राज्य सरकार ११ परसेन्ट शेयर खरीद करके उन रुपयों का अच्छा उपयोग करती है? ११ परसेन्ट के शेयर क्यों नहीं कोर्नर करना चाहती है? बाजार से एक शेयर दो रुपया ज्यादा भी देकर खरीदना पडे तो लाखों रुपयों की आमदनी बढ सकती है और सरकार उस कम्पनी को कन्ट्रोल कर सकती है। जिन्क स्मेल्टर में सवा दो करोड रुपया दिया, जिप्सम में भी वही पूंजीपति है और काम करता है, जे.के.

(२.३८ म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, समानेत्री, पदासीन)

सिन्थेटिक्स में और कमानी उद्योगों में इन्वेस्ट करें और अच्छी चीज में और नये उद्योग में नहीं करेंगे। मैं यह अच्छी तरह से कह सकता हूं कि आगे आने वाले दस वर्षों में यह रुपया रिटर्न होने वाला नहीं है और न ही औद्योगिक विकास में प्रगति होने वाली है।

समानेत्रीजी, राजस्थान सरकार को इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार उद्योगों के माने में यह निश्चय कर ले कि हिन्दुस्तान के करोडपति हों लेकिन यदि वे हमारे दस-बीस लाख पर निर्भर हैं तो ऐसे पूंजीपतियों को आखिरी सलाम ठोकिये और राजस्थान सरकार कोपर, जिंक, आइरन और माइका, इन चारों बडे उद्योगों पर केन्द्रित करे अपनी सारी शक्ति को तो राजस्थान भी भारतवर्ष के नक्शे में कुछ औद्योगिक महत्व रख सकेगा। आइरन स्टील का हमारा कोई उत्पादन नहीं है। यूरोप के छोटे २ क्षेत्रों में जिनका हमारे से चौथाई भी क्षेत्रफल नहीं है काफी पोटेन्शयलिटी है और प्रोड्यूस करते हैं। राजस्थान सरकार को क्यों नहीं उनमें जाना चाहिये? यदि एग्रीकल्चरल फील्ड के लिये चाहिये तो राजस्थान सरकार आज इन उद्योगपतियों को चार-चार लाख रुपया ऋण दे देगी। क्या भारत सरकार को कभी तैयार किया है? १७६० करोड रुपया स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेन्ट किया है उसका कितना परसेन्ट राजस्थान में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
लगा। एक परसेन्ट भी राजस्थान सरकार भारत सरकार से नहीं करा पायी। इसलिए सभानेत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो राजस्थान की सरकार खुद यह करे या भारत सरकार को इस बात के लिये तैयार करे स्टेट इन्वेस्टमेंट का कुछ प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में लगाये और राज्य के उद्योग-धन्धों को फीड करे।

सभापति महोदया, इसके साथ साथ मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि चार लाख रुपया उदयपुर में दंगे हुए उसके लिये देना चाहते हैं, जिन लोगों की क्षति हुई है उनको देना चाहते हैं। मैं यह मानता हूं कि साम्प्रदायिक दंगे देश के लिये बहुत बूरी चीज हैं, हम सब उसको बहुत घृणा की नजर से देखते हैं और आज जिस संकटकाल से हम गुजर रहे हैं, हमारे यहां साम्प्रदायिक शान्ति कायम रहे यह बहुत आवश्यक है। आज इस बात का किसी को ख्याल न हो कि यह हिन्दू है और यह मुसलमान है। साम्प्रदायिक दंगे बहुत भयानक हैं, आज सब अपने आपको पहले भारतीय मानें। मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में इतने साम्प्रदायिक दंगे हुए कहीं भी क्षति-ग्रस्त लोगों को कुछ मिला है। उदयपुर चूंकि मुख्य मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है वहां क्षति हुई है . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, सरकार यदि सिद्धान्त रूप से इस चीज को मान लेती है तो हमें इस बात में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। चीफ मिनिस्टर ने यह किया है तो हमें इसके लिये कॉंग्रेचुलेट करना चाहिये। यह बहुत अच्छी चीज है यदि इसको सिद्धान्त रूप से मान लिया जाय। इस तरह से नहीं होना चाहिये कि एक क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगे होते हैं तो वहां तो मुआवजा दे दिया जाय और दूसरी जगहों के लिये नहीं।

श्री रामकिशन (वैर): इससे पहले सरकार का विवेक कहां गया?

श्री मानिकचन्द सुराणा: मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगा होने के बाद उनका विवेक जागृत होता है तो यह बड़े खेद की बात है। उनको सब क्षेत्र समान समझने चाहिये . .

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): दंगे कराने वाले भी तो ये ही लोग हैं। कांग्रेस का दफ्तर नीचे है ऊपर आग लग रही है, उसको बुझाने की कोशिश नहीं की गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा: दंगा किसने कराया, इसमें किसका हाथ है, मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता और न यह समय ही अनुकूल है कि हम इस समय एक दूसरे पर आरोप लगायें। प्रश्न यह है कि चार लाख रुपया जो आप दे रहे हैं उन लोगों के लिये जो साम्प्रदायिक दंगे में आहत हुए हैं या जिनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अभी दो दिन पहले खडे होकर आपने और हम सब ने उन लोगों के प्रति खड़े होकर श्रद्धान्जली अर्पित की है। कल हम जोधपुर गये वहां पर पाबूपुरा बस्ती को देखा जो बस्ती पाकिस्तान की बमबारी से क्षत-विक्षत होगई। जहां एम. ई. एस. के कर्मचारी रहते थे, मिलिटरी एस्टेब्लिशमेन्ट के कर्मचारी रहते थे, हरिजन रहते थे। वहां की २५ झोपड़ियां बिल्कुल जल गईं, नष्ट होगई, हम वहां पर गये। हमने पता लगाया कि उनको २० रुपया मुआवजा दिया गया प्रति झोपड़ी पर। जब हमने तहसीलदार से जानकारी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की तो उसने कहा हमने १७ लोगों को ७५४ रुपया दिया जिनकी झोंपड़ियां नष्ट हो गई थीं। यह सुनकर हम लोगों का शर्म से सिर नीचे झुक गया . . . .

एक माननीय सदस्य : सरकार का इससे झुकने वाला नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जहां छोटी जाति के लोग रहते हों वे आज भी सीज़ फायर होने के बाद भी उनका सारा परिवार बाहर खन्दकों में पड़ा हुआ है। आज सरकार की हालत यह है कि उन लोगों की जिनकी झोंपड़ियां जल गई हैं पाकिस्तान की बमबारी से उनको बीस रुपया मुआवजा देती है। आज झोंपड़ी बनाने जावें तो कम से कम दो सौ या ढ़ाई सौ पये से कम में एक झोंपड़ी नहीं बन सकती है।

सभापति महोदया, एक तरफ जहां साम्प्रदायिक दंगे में कुछ क्षति हो जाने पर आप चार लाख रुपया मुआवजे का रखते हैं और दूसरी तरफ एक गरीब जिसके पास झोंपड़ी ही रहने का साधन थी उसके नष्ट हो जाने पर आप केवल २० रुपया देते हैं। आपका यह पैमाना किस आधार पर है? इस तरह का पैमाना रखने वाली सरकार पर भरोसा नहीं हो सकता, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लें कि जहां भी कहीं साम्प्रदायिक दंगे होते हैं उनमें जो भी क्षति होगी वह सब सरकार देगी तो हमें कोई ऐंतराज नहीं। उसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं पाबूबारी के रहने वालों के लिये जो आपने बीस रुपया मुआवजे का दिया है मैं चाहता हूं २४ घंटे के भीतर-भीतर इस मुआवजे की रकम बढ़ाने की घोषणा करेंगे और यह जाहिर करेंगे कि आज भी हमारे यहां पर कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है।

इसके साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहूंगा जो आप २५ लाख रुपया पूंजीपतियों को दे रहे हैं उसका दूसरा उपयोग किया जाय . . .

एक माननीय सदस्य : यह तो दे दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "दे दिया" मैं तब तक नहीं मानता जब तक कि उस पर सदन की मोहर नहीं लग जाती। सरकार दे दे तो भी उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है जब तक हम पास नहीं करेंगे। इस सदन का सरकार पर यदि कोई कन्ट्रोल है तो केवल बजट पर है। पार्लियामन्टरी पद्धति में जनतंत्री सरकार पर कन्ट्रोल जो होता है वह बजट के मामले में सदन का होता है। रुपया दिया जा चुका है तो भी मैं समझता हूं कि इसको विचाराधीन मान कर चलना चाहिये उसको दिया जाय या नहीं। यदि मिनिस्टर्स का कमिटमेन्ट है या कोई एग्रीमेन्ट है तो वे अपना जवाब देते हुए बतायेंगे कि वे अमुक प्रकार से कमिटड हैं इसलिये सरकार को यह रुपया देना ही पड़ेगा। देश की परिस्थितियां वाजिब हों या गैर-वाजिब। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका दूसरा उपयोग किया जाना चाहियें।

जिप्सम लिमिटेड में ११ प्रतिशत शयर राज्य सरकार खरीदे, ओपन मार्केट से खरीदकर अपना ५१ प्रतिशत प्रभुत्व पैदा करे। २१ करोड़ की गारन्टी दी हुई हैं जिससे जो मशीनरी आयी है वह बेकार पड़ी हुई है, फैक्टरी नहीं चल सकती तो हमारे सदन ने कानून पास किया हुआ है कि ऐसी फैक्टरीज पर ऐसे एस्टेब्लिशमेन्ट को लेकर सरकार अपना कब्जा कर के उसको

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चला सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को चाहिए कि जो जिंक स्मैलटर की फैक्टरी नहीं चल रही है आप उस पर नियन्त्रण करें; गारन्टी दी हुई है उसका उपयोग करें। आप डिटेल्ड स्टेटमेन्ट पेश करें कि आप इस फैक्टरी को किस लिये रुपया दे रहे हैं; अगर कोई एग्रीमेन्ट हो तो वह बतलाइये। इस फैक्टरी में इतना इन्वेस्टमेन्ट करने पर कितना फायदा होने वाला है। इस सब की जांच डिपार्टमेन्ट की तरफ से करवायी गई तो आप बतलाइये कि इसमें कितना नफा होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है। मैं उस तरह की जांच नहीं चाहता हूं जैसा आपके एड़मिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने जिंक स्मैल्टर की जांच की है पांच करोड़ में यह लग जायगी जहां २१ करोड देना पड़ा। अब भी वह दस करोड़ रुपया और मांग रहे हैं उसके बिना वह एक दिन भी फैक्टरी नहीं चलगी; इस प्रकार की जांच नहीं चाहता।

धौलपुर के मामले में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां आप जाकर फैक्टरी को देखें। हालांकि इससे ताल्लुक श्री मथुरादासजी का है, यह स्टेट अन्डर टेकिंग की कटेगरी में आता है, वहां पर जो ग्लास का प्रोडक्शन किया है वह बिना छत के कमरों के अन्दर पड़ा है। एक भी दिन बारिश हो जाय या ओले पड़ जायं तो लाखों रुपयों का सामान दो घंटे में बरबाद हो सकता है। इस तरह से स्टेट जो अन्डरटेकिंग का मामला है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज़ और स्टेट अन्डरटेकिंग के नाम से आपने इन विभागों को दो मंत्रियों में बांट रखा है। पांच उद्योग तो मथुरादासजी के पास रख छोड़े हैं और प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ श्री हरिश्चन्द्रजी जेब में लिये फिर रहे हैं। कभी किसी को लोन दे दिया कभी किसी को, यह राज्य सरकार का विकास करने का तरीका अव्यवस्थित है। आज राजस्थान में कोई ठीक तरह से औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है इसलिये राजस्थान हिन्दुस्तान के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं ले सकता।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बैगूं) : सभापति महोदया, मांग संख्या ४७-मुख्य शीर्षक-था, राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण-तथा अग्रिम की राशि है उसमें से १०० रुपया कम कर दिया जाय, यह मेरा कटौती का प्रस्ताव है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : सभापति महोदया, मैंने और मानिकचन्दजी सुराणा ने, दोनों ने एक कटौती प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके भेजा था। उनका नाम तो आ गया, किन्तु मुझे बोलने नहीं दिया गया। मुझे बार बार खड़ा होना पड़ता है।

श्रीमती सभानेत्री : आपका नाम सूची म नहीं आया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने और मानिक-चन्दजी ने, दोनों ने, एक ही कट-मोशन पर साथ हस्ताक्षर करके दिये थे।

श्रीमती सभानेत्री : आप बाद में बोल लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहीं लिस्ट से नाम कटते कटते सदन से ही नाम न कट जाय।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बैगूं) सभा-नेत्री महोदया, आज कुओं के गहरा करने के नाम पर धन का दुरुपयोग होता है। पंचायत समितियों में जो कुए गहरे किये जाते हैं उनकी जांच नहीं होती है। इसलिये मेरा निवेदन

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

ह कि रुपया देने से पहले जांच का तरीका निकाला जाय। कुए खोदते ही नहीं, पैसा लगाते नहीं और पैसा ले लेते हैं, ऐसी कई मिसालें बेंगू तहसील में मौजूद हैं, आप चाहें तो जांच कर सकते हैं।

इसके अलावा ६५ लाख रुपया जो अल्प आय वाले कर्मचारियों को ऋण देने के लिये रखा है इसके लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि अल्प आय वाले कर्मचारी किस हैसियत वाले होंगे इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि नाम तो छोटी तन्ख्वाह वालों का रखा जाय और उसका फायदा दूसरे ही लोग उठावें।

उसके अलावा १९ लाख रुपया एक करोड़-पति सेठ को देने के लिये रखा गया है वह नहीं होना चाहिये। यह राशि छोटे लोगों को दी जाय। मैं इसको उचित नहीं समझता।

इसी बजट के साथ साथ यह मांग भी की जा रही है कि मंत्रियों के बारे में ४.१३ हजार रुपया मांगा गया है कारों की खरीद के लिये। आज की संकटकालीन स्थिति में यह नहीं होना चाहिये।

बटालियन के लिये एक करोड़ रुपये की मांग रखी गई है उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसी मांग और भी ज्यादा रखें तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो मंत्रियों के बारे में कारें खरीदने के बारे में रुपयों की मांग की जाती है उसकी रोकथाम होनी चाहिये।

उदयपुर में जो चार लाख रुपया देने का है, उसके लिये मेरा निवदन है कि उसके लिये कमेटी बनाकर जांच करके वह रकम तकसीम की जाय तो ज्यादा अच्छा है।

करोड़ों रुपया टैक्स लगाकर जो वसूल करते हैं तो उस का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये; यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदया, आज सदन में अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६५।६६ पर काफी चर्चा हुई। मैंने भी इस वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिये मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक-था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १००) की कटौती का प्रस्ताव किया है।

सबसे पहला मेरा कटौती का प्ररताव है उदयपुर में हुए दंगों के संबंध में। सभापति महोदया, वैसे आम तौर से सदन में दबी दबी आवाज में हर चीज की चर्चा की गई पर खुल कर नहीं बताया गया कि उदयपुर की समस्या है क्या? और न ही इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने तथा गृहमंत्री ने तथा अन्य किसी मंत्री ने इस बात के लिये किसी सदस्य को इन्टरप्ट किया कि हकीकत क्या है?

माननीय सदस्यों के सम्मुख में मेरे पास आये हुए कुछ पत्रों के अंश पढ़ कर सुनाऊंगा और इसके बाद में इस बात की कोशिश करूंगा कि वास्तव में इस दंगे के लिये जिम्मेदार कौन हैं और जिनके लिये चार लाख की बात कह रहे हैं वह क्या है?

इन पत्रों में सुखाड़ियाजी ने यह कहा बताया है कि मैं उदयपुर से तमाम गुन्डों को

(श्री अब्दुल जब्बार)
खत्म करके रहूंगा । ये हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के शब्द हैं ।

इसी तरह से इन पत्रों में यह भी बताया गया है कि मैडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को डॉक्टरों द्वारा यह कहा गया कि पुलिस की गोली से बचना और उधर पुलिस से कहा गया कि वह विद्यार्थियों को पीटें । हमें रेडियो और अखबार और बड़े बड़े एडीटोरियल भी पढ़ने को, सुनने को मिले जिसमें यह था कि विद्यार्थियों न झगड़ा किया ।

अब गिरफ्तारियां भी किस की होती हैं ? राजस्थान के एम. एल. ए. को जेल भेजा गया, कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसीडेन्ट को भेजा गया, 'मशाल' अखबार के सम्पादक को भजा गया, और इस तरह जिन लोगों का इस झगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं उनको जेलों में भेजा गया । इन चीजों से मालूम होता है कि दंगों की बुनियाद क्या है ? इन लोगों को लेकर कुछ नेताओं की भी कहानियां सुनीं । सबसे अधिक अफसोस सरकार के कर्मचारियों के रवैये पर होता है । माल लूट रहे हैं, पुलिस खड़ी देख रही है । अब बरामदगी के बारे में न सरकार ने कोई स्टेटमेन्ट दिया न बरामद करने की चिन्ता थी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : Please speak on the point.

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा कट-मोशन इसी पर है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : चार लाख रुपया दंगों में हुई हानि के कम्पेन्सेशन में उदयपुर वालों को दिला रहे हैं उसके संबंध में है यह ।

श्री अब्दुल जब्बार : उदयपुर में गलत तफतीश के संबंध में मेरा कट मोशन है । इस दंगे में चालीस लाख का नुकसान हुआ है यह मैं मुझे प्राप्त उनेक पत्रों के आधार पर निवेदन कर रहा हूं । सरकार की मशीनरी के सामने साईकिलों की दुकानें जलाई गई, कपड़ा लूटा गया और सामान निकाल निकाल कर जलाया गया

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : कब की बात है ?

श्री अब्दुल जब्बार : तारीख बता दूं । उदयपुर के दंगे के वक्त की बात है । बोहरा कम्युनिटी की जो एक्शन कमेटी बनी उसने बताया है कि चालीस लाख का नुकसान हुआ है जब कि आप चार लाख का नुकसान मानते हैं । आपने ऋण देने का ऐलान किया, अनुदान भी दिया । पैसा नहीं देने का सवाल नहीं है, पर रिवाज का सवाल है, आप रिवाज डालना चाहते हैं । मैं इसमें फिर दोषी ठहराता हूं सरकार को ही ।

व्यक्ति मरे हैं । सरकार की गोलियों से मरे हैं, केस बनाने के लिये मुझे यहां तक मालूम हुआ है कि संगीनों का एक हिस्सा उनके जिस्म में घुसेड़ा गया है । सदन अन्दाज लगा सकता है कि सरकार ने तफतीश करने में कितनी जबर्दस्त भूल की है । पुलिस आज तक सही क्रिमिनल को सामने नहीं ला सकी है । दयानतदारी से सरकार ने तफतीश नहीं करवाई है । अब इसमें चाहे मुख्य मंत्रीजी हों, चाहे आचार्यजी हों । इन्होंने अपनी बहुत बड़ी कमजोरी का सुबूत दिया है । पूरे वाकयात पर पर्दा डाल दिया है । मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश नहीं की । क्यों शर्म आती है इन मंत्रियों को जो पुलिस का विभाग

(श्री अब्दुल जब्बार)

अपने हाथ में लिये हुए हैं । सही ढंग से उनको तफतीश करानी चाहिये थी । इस तरह से तो यह कल उदयपुर में हुआ, परसों और जगहों पर हो सकता है । लोगों को पकड़ कर छोड़ देना । पकड़ें तो ऐसों को जिन पर चार्ज नहीं लगा पाते और इस प्रकार के दंगों क बाद सरकार कम्पेन्सेट करना चाहती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का क्या क्राइटेरिया है इसके लिये ?

(३.०० म.प.)

४० लाख रुपये का नुकसान हुआ । आखिर कोई पठान होते, राजपूत होते जो कि लड़ाकू कौम होती हैं तो मान लिया जाता कि वहां पर दंगा हुआ, लेकिन वहां सभी लोगों को पता है कि क्यों दंगा हुआ ? यदि कोई इसके लिए कहे कि क्लेरीफिकेशन दो तो मैं क्लेरीफिकेशन भी देने के लिए तैयार हूं । सरकार उदयपुर के दंगों के मामले में बिलकुल निकम्मी साबित हुई है और जो व्यक्ति इसमें इन्टरेस्टेड हैं वह भी इसके लिए पर्दा डालने की कोशिश में हैं । वर्ना आज कॉलेज के कितने विद्यार्थी गिरफ्तार हुए यह कोई बताने के लिए तैयार नहीं है । इसका कारण एक यह भी है कि उदयपुर की राजनीति इससे भरी पड़ी है । विद्यार्थियों के बल पर वहां पर पार्टियां चलती हैं, विद्यार्थियों के बल पर ही वहां की कांग्रेस के गढ़ बने हुए हैं । लादू पहलवान का नाम हम सुनते आये थे कि उदयपुर में एक बहुत ही नोटोरियस एलीमेन्ट है, लादू पहलवान उसमें शरीक होते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता ह और सुनने को मिलता है कि यह लादू पहलवान कोई तो आचार्य जी का बतलाते हैं और कोई सुखाड़िया जी का आदमी बतलाते हैं । अब आप ही देखिये कि मंत्रियों के साथ में इनका रिश्ता जोड़ा जाये और कहा जाये तो कैसे माना जा सकता कि यह दंगे अधिकारियों की बिना नॉलेज के हुए हों । उदयपुर के दंगों को कम्पन्सेट करने के लिए ४ लाख रुपये की बात आई है ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ४० लाख रुपयों का नुकसान हुआ और सरकार ऐलान करती है कि हम ४ लाख रुपये देंगे । मैं इसको बिलकुल गैरवाजिब समझता हूं । या तो आपको देने का नाम नहीं करना चाहिए और यदि देने की भाषा बोलते हैं तो जितना उनका नुकसान हुआ है वह पूरा का पूरा उनको देना चाहिए । लोन जब आप दे रहे हैं तो कम्पन्सेशन का सवाल पैदा नहीं होता है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । ४ लाख रुपये न देकर जो ४० लाख का नुकसान हुआ है वह पूरा कम्पन्सेट होना चाहिए । मैंने अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा मांग की है कि सरकार सही बताये कि उदयपुर में रॉइट्स करने वाले कौन थ ? यह नहीं कि आज मुझे पकड़ा और छोड़ दिया । ४ दिन रखा और कह दिया कि जाओ भाग जाओ । यह तरीका गवर्नमेन्ट के बिलकुल वहां नाकाबिल होने का है । इसलिए मैंने मेरे कटौती प्रस्ताव के द्वारा जो सरकार को जागृत किया है उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में सख्त से सख्त कदम उठायेगी ।

इसके बाद में मेरा और कटौती का प्रस्ताव है इस मांग के ऊपर और वह है मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक-था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १०० रु० कम कर दिया जाये (निम्बा-

(श्री अब्दुल जब्बार)
हेड़ा पंचायत समिति द्वारा कुओं की तकाबी तथा सत्तखन्डा रपट पर चर्चा करने के लिए)।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो उदयपुर में दंगे हुए और आपकी पार्टी के कुछ लोगों को पकड़ा था उस संबंध में कुछ नहीं कहा कि वह जायज था या नाजायज था।

श्री अबदुल जब्बार : वह मैंने बता दिया कि श्री जोर्वासिह को पकड़ा, उदयपुर कारपोरेशन के वाइस-प्रेसीडन्ट श्री भानुप्रसाद शास्त्री को पकड़ा। जबकि यह तथ्य सामने आया कि श्री भानुप्रसाद और श्री जोर्वासिह दोनों कलेक्टर की जीप में हालात को देखते हुए चल रहे थे, वह कोई पत्थर नही फैंक रहे थे ऐसी सूरत में उनको गिरफ्तार किया। जैसा कि जस्टिस श्री आनन्द नारायण मुल्ला का फैसला है कि If there is any organised gang of goondas, that is of Indian Police. मैं बहुत एप्रीशियेट करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुन्दर फैसला दिया। मैं आपको यहां सदन में खड़ा हो करके बताना चाहता हूं कि आपके हैडकॉन्सटेबल जा जाक गांवों में लोगों के ऊपर डाके डालते हैं और लूटकर चले जाते हैं, उनसे पैसा ले आते हैं और उनकी शिकायतें होती हैं तो डी० एस० पी० बारां मिस्टर खोकरदास इसकी इन्क्वायरी करते हैं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : This is absolutely out of point.

श्री अब्दुल जब्बार : आउट ऑफ पाइन्ट नहीं है। यह इस प्रकार की बात साफ तौर से जाहिर करती है कि पुलिस का डिसिप्लिन वर्स्ट पोसीबल है और मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे एस० पी० हैं जो कहते हैं कि हम तो अपने दिन पूरे करते हैं। ठीक तो यह हो कि ऐसे लोगों को फ्रन्ट पर भेज दो ताकि यहां दिन काटने से तो अच्छा है कि वहां पर बहादुरी से लड़ें और गोली लगकर वहां शहीद हो जायें ताकि हमारी पुलिस का करेक्टर और मोरेल खत्म नहीं हो। इसलिए जो मानिकचन्दजी ने कहा था कि मैंने उदयपुर के गिरफतार शुदा आदमियों के लिए नहीं कहा है, मैंने साफ तौर से कहा है कि आप कलर दे रहे हैं। अगर मैंने डाका डाला है या मैं दूकान लूटता हूं तो I must be arrested then and there.

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव पंचायत समितियों को ऋण देने के बारे में है। सभापति महोदया, मैं पंचायतों के लिए कई दफा कह चुका हूं कि वह पवित्र संस्था है जिसको अपवित्र किया जाता है पार्टी के इन्फ्लुएन्स में आकर। डाकू तो चेलेन्ज करके डाका डालते हैं, बन्दूक से छाती खोलकर धन ले जाते हैं और हमारे यहां पंचायतें और पंचायत समितियों के प्रधान और सरपंच दिन-दहाड़े सरकार की आंखों के सामने डाका डालते हैं और सरकार फिर मखमल की चादर लगाकर कहती है कि कितने खूबसूरत हैं। उनकी तमाम बुराइयों को दबाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था है कि पंचायत समितियों को रपट बनाने के लिए पैसा देते हैं, कुओं के लिए तकाबी देते हैं। तकाबी किस को दी जाती है जो कि प्रधान को गाली दे सकते हैं। बेचारे भील लोग, चमार लोग पैसों के लिए तरसते हैं। वह दिन भर मारे मारे इधर उधर-फिरते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई पैसा नहीं देता और सीधे मुंह उनको जवाब नहीं मिलता है।

(श्री अब्दुल जब्बार)

अगर वित्त मंत्री जी चाहें तो नोट कर लें कुछ भील लोग रहते हैं निम्बाहेड़ा में कोटड़ीकलां गांव में। उन गांव वालों को आज तक, हिन्दुस्तान आजाद हुआ, एक पैसा भी नहीं दिया है। न तो उनको खेती करने के लिए दिया है और न मकान बनाने के लिए और न कुए बनाने के लिए, और तो और उनको जमीन तक भी नहीं दी है। निम्बाहेड़ा और चित्तौड़ के बीच में सतखण्डा में एक नहर निकली है वहां पर एक रपट बनाई है १४ हजार रुपये में। मेरा ख्याल है कि सीता स्वयंवर हुआ था और धनुष रख दिया गया था और उसकी जिस तरह से गुलाई थी उसी तरह से रपट बना दी है। न बैलगाड़ी उतर सकती है और न चल सकती है। जब से बना है एक भी गाड़ी नहीं गई · · ·

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं यह जानना चाहूंगा कि आप इससे क्या बताना चाहते हैं ? पंचायत समितियों को क्या ऋण नहीं दिया जाये ?

श्री अब्दुल जब्बार : मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार बड़े ही खुले दिल से पैसा दे रही है लेकिन आप कभी यह भी कोशिश करते हैं कि यह देखें कि पैसा कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है। आप कभी चैक करते हैं कि पैसा कहां जा रहा है। पिछले साल सन् ६४ में निम्बाहेड़ा में कैली पंचायत समिति में गम्भीरी प्रोजेक्ट का इफेक्टेड एरिया आता है वहां पर एक कॉजवे बनाया गया और वह आधा बह गया है। आप ईरिगेशन विभाग के आदमियों से पूछें कि यह कैसे हुआ ? सतखण्डा की जांच करायें। पंचायत समिति के प्रधान, बी०डी०ओ० और जिसको ठेका दिया गया उनको चार्जशीट दी जाये। राज्य का पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। मेहनत से पैसा कमाया जाता है और इसीलिए हम टीका टिप्पणी करते हैं। सरकार पैसा देती है उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होता। जब आप पैसों के मामले में इतने सख्त हैं कि राज्य कर्मचारियों को पैसा देते हैं तो उनसे ७ परसेन्ट ब्याज वसूल करते हैं। मैं वित्त मंत्रीजी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों के ऊपर इतना जुल्म नहीं करें। अगर आपको साढ़े पैंसठ हजार रुपया ब्याज का कमाना है जो राज्य कर्मचारियों को पैसा दे रहे हैं तो पैसा और ब्याज कमाने के तो और भी बहुत से तरीके हैं। उन लोगों को ब्याज से पैसा देंगे वह भी अनाज के लिए, मुझे शर्म आती है। सरकार उनको राहत देने के बजाय और दुखी करना चाहती है। इस तरह से हम धन के लिए इस बात की कोशिश करते हैं कि कुछ ब्याज कमायें वहां पंचायत समितियां इसका दुरुपयोग कर रही हैं। साथ साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो व्यक्ति, जो समाज या जो राष्ट्र या जो खानदान दूसरों के टुकड़ों पर, कर्जे पर, दूसरे के धन पर अपने अस्तित्व को कायम रखना चाहता है वह कभी भी संसार में तरक्की करते हुए हमने नहीं देखा है। वह बर्बाद होने वाला कुटुम्ब है, वह बर्बाद होने वाला देश और राष्ट्र है। ऐसी सूरत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उधार देते हैं · · · ·

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : तो क्या किसी को ऋण न दें।

श्री अब्दुल जब्बार : आप उधार देते हैं लेकिन उधार के तरीके को आप अमली

(श्री अब्दुल जब्बार)

जामा नहीं पहनाते हैं। आप तकावी में रुपया देते हैं कुए खुदवाने के लिए, आपकी पंचायत समितियों के जो प्रोग्रेस असिस्टेंट हैं वे बड़े चालाक लोग हैं, वहीं बैठे २ ही फिगर बनाते हैं। ये लोग कभी प्रत्यक्ष में जाकर नहीं देखते। वह सारा पैसा बनियों के खाते में जमा होता है। किसान के यहां पर तो एक गड्ढा भी नहीं खुदता है, कुओं के लिए मिला सारा पैसा पूंजीपतियों के यहां जमा होता है। अगर आपको इंस्टांसेज चाहिएं तो मैं आपको इंस्टांसेज दूंगा। एक आदमी को दस हजार रुपया मिलता है लेकिन पांच रुपये का प्रसाद भी उसके घर नहीं जाता है। यही हालत बैंकों में, कोआॅपरेटिव बैंकों में है। अगर मंत्री महोदय इसमें इंटरेस्टेड हों तो मैं उनको बताऊंगा। आप कोआॅपरेटिव बैंक में जाकर चैक करलें आपको पता चल जाएगा, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको उसके लूपहोल्स बताऊंगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि पंचायत समितियों को आप कुओं के लिए पैसा न दें, उनको कुएं बना दें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जो रुपया तकावी के लिए दिया जाता है उसका फायदा तमाम नेताओं को मिलता है; मैं दुबारा दोहराता हूं कि इसका तमाम फायदा नेता लोग उठाते हैं।

इसके बाद में दूसरी बात सुनारों के सम्बन्ध में कहूंगा। यह तो मुझे बड़े ही उसके साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार इच्छुक है इस बात की कि जिन स्वर्णकारों से रोजी छीनी है, जिन स्वर्णकारों से उनका धन्धा छीना है उनकी हालत बिगड़ने नहीं देंगे। जिन स्वर्णकारों का हथौड़ी-छैनी चला कर पेट भरने का अधिकार है, जाति और धन्धे से जो उनका अधिकार है उसको हम छीनते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं छीनी लो। सरकार ने ऐलान किया कि हम तुमको धन-राशि देंगे, सरकार ने ऐलान किया कि हम तुमको जमीनें देंगे, लेकिन जमीनों का पता नहीं है। निम्बाहेड़ा में सुनारों के लिए कलेक्टर कहता है कि दस बीघा जमीन दी जाए तो तहसीलदार सात बीघा ही देता है। किसी को जमीन देते हैं तो पटवारी नापता नहीं है। किसी को जमीन अलाॅट हुई तो उस पर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि यह तो रिजर्व हो गई है या और कोई बात हो गई है। इस तरह की बातें निम्बाहेड़ा में हुई हैं। आपने कितने स्वर्णकारों को जमीन दी है? आप कह देंगे कि इतनों को आबाद किया है लेकिन यह तो खाली रिकार्ड है। साथ साथ मैं आपके सामने एक पत्र जालोर का पढ़कर सुनाता हूं जब कि हमारे कृषि मंत्री वहां ....

श्री बालकृष्ण कौल : यह मेज पर रखनी पड़ेगी।

श्री अब्दुल जब्बार : कृषि मंत्रीजी ....

श्री बालकृष्ण कौल : यह जो चिट्ठी पढ़ेंगे तो मेज पर रखनी पड़ेगी।

श्री अब्दुल जब्बार : वहां पर जमीन के लिए कितनी परेशानी होती है यह मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कोआॅपरेटिव सोसायटी भी बना ली और उसके लिए रजिस्टर भी खरीदे जिसके बिल की काॅपी भी उन्होंने मुझे दिखाई है। लेकिन आज तक, इतने लम्बे समय के बाद भी, तहसीलदार उनको जमीन नहीं दे रहा है। उन्होंने लिखा है—

Page No 90

(श्री अब्दुल जब्बार)

"उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मौजा जालौर बी, खसरा ५६० काबिल काश्त भूमि है जिसमें हम नीचे लिखे आदमी कोआॅपरेटिव सोसायटी बनाना चाहते हैं।

लालचन्द वगैरा वगैरा"

ऐसी कई दरख्वास्तें पेश की गईं। जालौर में कई दरख्वास्तें टिकट लगी हुई तहसीलदार के सामने पेश की गईं लेकिन उनको फेंक दिया जाता है। स्वर्णकारों को बसाने के लिए लाखों रुपया सप्लीमेंट्री बजट में लेना चाहते हैं। मेरी समझ में तो आपके कानून-कायदे, आपकी मिनिस्ट्री, केबिनेट तक ही महदूद रह जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके कानून-कायदे आप तक ही महदूद रहते हैं, आपके नीचे के अधिकारी उनकी मजाक उड़ाते हैं, उस वक्त हमारा खून इतना गर्म हो जाता है कि हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यह विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके कानून-कायदों की आपके नीचे के अधिकारी कोई परवाह नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि अलॉटमेंट रूल्स के तहत दो माईल के एरिया के बाहर अलॉटमेंट का कमेटी को अधिकार है, लेकिन आपका तहसीलदार ज्यादती करता है। कानून का कानून पंगु और लंगड़ा है।

तहसील अलॉटमेंट कमेटी का चेयरमेन तहसीलदार है, मेम्बर एम. एल. ए. प्रधान बी. डी. ओ. हैं लेकिन जब तक तहसीलदार मीटिंग कॉल नहीं करता है मीटिंग नहीं होती है। जब तक तहसीलदार मीटिंग नहीं बुलाता है अलॉटमेंट कमेटी कुछ नहीं कर सकती है। तहसीलदार भी तो गवर्नमेन्ट की मशीनरी है। पटवारियों ने इसके अन्दर कितने हजार रुपये कमाए हैं लेकिन एण्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट कान में तेल डाले बैठा है। मेरे हाथ में हाथ मारो मैं कितने केसेज बताता हूं। आप उनकी जांच करिए, उनको कठघरे में खड़ा करिए, उनको सजा दीजिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जालौर के स्वर्णकारों को जिनकी कोआॅपरेटिव सोसायटीज बन गई हैं उनको जमीन देने की कार्यवाही करें। साथ साथ स्वर्णकारों की राजस्थान में स्थिति बहुत बुरी है। उनसे कहा जाता है कि जमीन देंगे, धन देंगे लेकिन उनको कुछ नहीं दिया जाता है। जब लोन के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि प्रमाण-पत्र लाओ। जब उसके पास सर्टीफिकेट है तो फिर उसको देखकर ही लोन क्यों नहीं दे दिया जाता? और मेरा यह भी निवेदन है कि लोन को कैश में न देकर चीजों में ही दें। अगर किसी को भैंस के लिए लोन देना है तो उसको रुपया न देकर भैंस खरीदवा दें। अगर किसी को कुआ बनाना है तो उसको कुआ बनवा दें। लेकिन उसको कैश में रुपया न दें। मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ पूरा ध्यान दीजिए, मेरी तो अन्दरूनी भावना यही है सरकार इस तरफ पूरा ध्यान नहीं देती है तो हम जैसे नवजवानों को दूसरा कदम उठाना पड़ेगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हांडा।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा): अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार नहीं कर सकती तो उसको बोर्डर पर भेज दें, उसे गोली से खत्म कर देंगे। यह खत्म किससे कराना चाहते हैं? पाकिस्तान से?

श्री अब्दुल जब्बार : क्या?

श्री गोविन्दसिंह : आपने अभी कहा कि बोर्डर पर भेज दो उस सरकारी कर्मचारी को, वहां गोली से खत्म कर देंगे। तो आप क्या उसे पाकिस्तान की गोली से मरवाना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल जब्बार : मेरी बात को आप समझे नहीं हैं। मेरा कहना यह था कि अगर आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो उसको बोर्डर पर भेज दें वहां मैदान में लड़ते हुए उसकी सुस्ती दूर होगी।

श्री गोविन्दसिंह : आप उसे किस की गोली मरवाना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल जब्बार : अभी हमारे माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको इसका साईकलोजिकल इफेक्ट बताता हूं ....

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : आपको गलतफहमी हो गई है, आप कहने में चूक गए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य इनको लोबी में लेजाकर कृपया समझा दें। मुझे यहां बोलने दें।

श्री अब्दुल जब्बार:आप इस बात को

श्री योगन्द्रनाथ हांडा : आपके हाथ जोड़ता हूं, आप इन्हें लोबी में ले जाकर समझा दें।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : माननीय सभापति महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : चूंकि आपका समय था जब आप समय पर उपस्थित नहीं थे इसलिए अब आप नहीं बोल सकेंगे। भविष्य में आप समय का ध्यान रखें। श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभानेत्री महोदया, राज्य तथा संघीय ऋण के लिए जो विराट राशि इस १९२९.८४ लाख के अन्दर सम्मिलित हैं उसमें जो मुद्दे हैं उनमें एक ओर तो स्टेट द्वारा खर्च किया जा चुका है कुछ इंडस्ट्रीज को लोन देकर तथा उदयपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में कुछ रुपया देकर वहां और कुछ कर्मचारियों को जो कर्जा दिया गया था उसको वापिस लिया जाकर उसके कर्जा दिये जाने को एप्रोप्रियेट किया जा रहा है।

जहां तक इन इन्डस्ट्रीज को लोन और पैसा दिये जाने का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि उसका समर्थन मैं नहीं कर सकता, लेकिन जहां कर्मचारियों को यह पैसा देकर वापस वसूल करने का जो वित्त मंत्रीजी कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में मुझे दुःख है कि एक पैसा भी वापिस नहीं लिया जाना चाहिए। यह कर्जा उनको उस समय दिया गया था और एडवान्स के अन्दर नाज खरीदने के लिए दिया गया था, उस समय जो भाव राजस्थान के अन्दर थे आज संकटकाल में भाव उससे कहीं अधिक बढ़े हैं। आज इस समय उनके पॉकेट्स को कम करना इस इमर्जेन्सी के अन्दर जब कि वे अटूट सेवा दे रहे हैं वे, तन-मन-धन से ओवरटाइम वर्क कर रहे हैं, चाहे क्लर्क हों, यू० डी० सी० हों, चाहे सुपरिन्टेन्डेन्ट हों, चाहे वे फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे वे दूसरे कर्मचारी हों, लेकिन इस समय जो देशभक्ति का जज्बा कारखानों के मजदूरों ने दिखाया है और इस प्रकार से काम करने वाले क्लार्कों ने दिखाया है उसको

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

महेनजर रखते हुए आज सरकार को उनको और अधिक राशि देनी चाहिए कि वे एडवान्सेस के अन्दर जो कर्जा लेते या नाज खरीद लेते और वे इस संकट के समय जुटे रहते? इसलिए उन सारे प्रकार के लोनों को लिखने के पत्रों देने की आवश्यकता है। इस संकटकाल में जिसका जस्टिफिकेशन राज्य सरकार के पास है नहीं, वहां इस पैसे के वापिस लिये जाने पर मुझे, मन्त्री जी, अत्यन्त खेद है।

माननीय महोदय, अन्न के सम्बन्ध में कोई डिबेट होने वाली है उस समय में और बातों के ऊपर प्रकाश डालूंगा, लेकिन मैं इतना अर्ज कर दूं कि राज्य कर्मचारियों से सरकार [illegible] परसेन्ट ब्याज चार्ज करती है यह भी एक खेद का विषय है। माथुर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें सेन्ट-परसेन्ट न्यूट्रेलाइजेशन माथुर कमेटी ने रिकमण्ड किया है। कान्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स के आंकड़े १८५ के ऊपर खड़े हुए लगभग रहे हैं। माथुर कमेटी के सेन्ट-परसेन्ट न्यूट्रेलाइजेशन के हिसाब से राज्य सरकार ने अपने तीन विभागों में मिनिमम वेजेज का डिक्लेरेशन किया है। १९ विभागों को डिक्लेरेशन का कैबिनेट डिसीजन के बाद म्युनिसिपैलिटी का बजट के जरिये किया गया है। इस सारी मंहगाई के बारे में और कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स के बढ़ते हुए आंकड़ों के दौरान के अन्दर बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि केवल ३.०१ रुपये की मंहगाई राज्य के कर्मचारियों और दूसरी राज्य की इन्स्टीट्यूशन्स और इन्डस्ट्रीज के अन्दर काम करने वाले लोगों को दिया गया है। सभापति जी महोदय, कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स पिछले ५-६ महीनों के अन्दर ही केवल १२-१६ प्वाइन्ट उसके आंकड़े बढे हैं। ऐसी दशा के अन्दर वित्त मंत्री महोदय एक ओर तो ३ करोड़ रुपये की लागत से एस्टेब्लिश्ड नाइलोन फैक्ट्री जे० के० की, कोटा के अन्दर जिसकी बैलेन्स-शीट के अन्दर २० लाख से अधिक का प्रोफिट दिखाया गया है, जिसकी बैलेन्स-शीट के अन्दर प्रो[illegible] कमेटी [illegible] दिखाया गया है, उसको १९ लाख [illegible] जस्टीफाई करें और [illegible] के अन्दर इस नाइलोन फैक्ट्री के लिए [illegible] एशिया के अन्दर अपने प्रकार की नाइलोन फैक्ट्री है, जिस नाइलोन फैक्ट्री के सम्बन्ध में यह कहा जाय कि वह सारे भारतवर्ष के अन्दर केवल एक नाइलोन फैक्ट्री है और जिसका प्रोफिट कोशेन्ट देश की किसी भी फैक्ट्री से ज्यादा है उसको इस संकटकाल की स्थिति में पैसा दें और मजदूर और सफेदपोश इन्सान के बेटे, जो अपना खून देश की रक्षा के लिए दे रहे हैं तो क्या जस्टीफिकेशन है वित्त मंत्री महोदय के पास कि १९ लाख रुपया ३ करोड़ की लागत से एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री को दे दें?

सभापति जी : [illegible] स्मेल्टर [illegible] मशीनरी [illegible] रही है। ढाई करोड़ की [illegible] फैक्ट्री है। केवल इतनी ही बात होती तो मेरे से पहले आने वाले माननीय सदस्यों का कह देना ही काफी था लेकिन [illegible] बात नहीं है [illegible] इसके साथ में एक कमिटमेन्ट भी जुड़ा हुआ था कि गांधीसागर के अन्दर जो हमारा इलेक्ट्रिसीटी का पोटेन्शियल था उसमें से एक बहुत बड़ा कोटा हमने इस जिंक स्मेल्टर के लिये रिजर्व किया था, १९ करोड़ से एस्टेब्लिश्ड बिनाइल फैक्ट्री जो कॉस्टिक सोडा का प्रोडक्शन करता है उसको १ रुपये

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पेस के ऊपर बिजली दे देते हैं और लेड फैक्ट्री का कोशिन्ट ६० परसेन्ट से बढ़ाकर ९० परसेंट कर देते हैं। बहुत सी सफाई दी गई है लेकिन उस समय यह क्यों नहीं कहा कि राज्य सरकार गांधीसागर डैम के अन्दर से जो जिंक स्मेल्टर का हमारा हिस्सा था उस हिस्से को हमने भरतराम चरतराम को बेच दिया, क्योंकि जिंक स्मेल्टर [illegible] रहे। जिंक स्मेल्टर के [illegible] ६६ से ९० परसेंट [illegible] कोशिन्ट [illegible] सारे राज्य को संकट में डाल दिया। सीकर के कारखाने बन्द, जयपुर के कारखाने बन्द, [illegible] राजस्थान [illegible] रतनगढ़ से जयपुर [illegible] काम [illegible] जिसके [illegible] दूसरी तरफ जो जिंक स्मेल्टर [illegible] बिजली को [illegible]

सभानेत्री महोदया, इमर्जेन्सी का तकाजा है कि देश की स्थिति को देखा जाय और इसमें एक पैसे की भी स्वीकृति सदन न दे और कर्मचारियों के लिये और ज्यादा ग्रान्ट मंजूर करे या कम से कम हरेक राज्य सरकार के कर्मचारियों को इतना धन दिया जाय कि जिस समय मोटा अनाज आये उस समय मौके पर काम करने वाले लोगों को लगन से काम करने के लिए और अपने [illegible] के लिए [illegible] परिवारों को, उन लोगों के परिवारों को [illegible] एडवांस दिया जाय [illegible] मैं सभानेत्री महोदया, [illegible] एलान है और बड़े गौर से हमने [illegible] में पढ़ा है, राज्य के राजस्व मंत्री के [illegible] को बड़े गौर से पढ़ा है कि राजस्थान के अन्दर प्राथमिकता फौजियों को, स्वर्णकारों को, हरिजनों को और भूमिहीनों को धरती के एलॉटमेन्ट में दी जायगी। मैं प्रश्न पूछता हूं कि वे एक रिपोर्ट रखें सदन की मेज पर कि इस घोषणा के बाद कितने फौजियों को, कितने स्वर्णकारों को, हरिजनों को और भूमिहीनों को राजस्थान के अन्दर धरती का एलॉटमेन्ट किया गया है? राजस्थान केनाल में १० हजार जागीरदारों को धरती एलाट हो गई। सारी राजस्थान केनाल का नाम जागीरदार केनाल पड़ गया है लेकिन वहां पर स्वर्णकारों को, फौजियों को, हरिजनों को, भूमिहीनों को धरती एलॉट नहीं हुई। सूरतगढ़ ब्रांच चालू हो गई, सूरतगढ़ ब्रांच का पानी खेतों के अन्दर लगातार बह रहा है। उस पानी को लाने वाले कौन हैं? वे १० हजार जागीरदार। क्या सरकार ने जाकर देखा है, खेती कर रहे हैं और वह पानी खेतों में लग रहा है? क्या सरकार ने जाकर देखा है कि उस पानी से अन्न पैदा होता है। जागीरदार बैठे हुए हैं जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में और पानी वहां आवारा फिर रहा है। देश के प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री [illegible] लोगों को भविष्यवाणी कर [illegible] योजना को बदल देना है तो मुख्य अंग चौथी पंचवर्षीय योजना के रह जायगे। एक अंग

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हमारे देश के डिफेन्स को मजबूत करना है। उसके लिये हथियार पैदा करने हैं, उसके लिये सैनिक पैदा करने हैं। दूसरा अंग है कि हमको कृषि की उपज बढ़ानी है। वह उपज बढ़ाने की स्थिति के लिए स्वर्णकारों, फौजियों, हरिजनों, भूमिहीन किसानों को धरती एलॉट करने के सम्बन्ध में राज्य की इतनी दुर्लक्षपूर्ण नीति है।

सभापति महोदया, यह तो एक खेद की बात थी कि वह कलाकार जो मंगल-सूत्र बनाता था, जो कंगन बनाता था, जो सुहाग की बिन्दिया बनाता था, इस राज्य की नीति ने उस कलाकार के हाथ में हल पकड़वा दिया, भैंस दे दी डेरी फार्म खोलने के लिये। एक छड़ी देकर भेड़ों के पीछे लगा दिया उस कलाकार को जिसने भारत की अमूल्य निधियों की रचना की, देश का गौरव प्राप्त किया उसको आपने ५० बीघा धरती देने का कह कर मजाक किया और वह मजाक भी पूरा नहीं किया। किसी भी स्वर्णकार को धरती एलॉट नहीं कर सके। डेढ़ साल पहले मैं डूंगरपुर गया था। वहां पर १५० कलाकारों को डेरी फार्म खोलने के लिये एक भैंस दी जिसके एक थन था और तीन थन गायब थे, तीन थन मरे हुए थे, चौथा थन कायम था। वहां पर २०० स्वर्णकारों को कहा गया कि इस एक थनवाली भैंस का दूध निकालो और पियो। । मैं फोटो नहीं लाया वरना आपको दिखाता ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : इसको सच मत मानना।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : बंडल ... हो लेकिन पूरा नहीं दिखा रहे हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बंडल मैं नहीं दिखाता हुजूर आप दिखाते हैं, राज्य की नीतियां बंडल दिखा रही है, लेकिन अब यह हट जाने वाला है ...

श्री नाथूराम मिर्धा : जोर से बोलने से ही हटे तो कभी का हट गया होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके सामने जोर से बोलने से भी क्या है, बेहया हैं, नूर बढ़ता जारहा है। आपका नूर कम नहीं होगा चाहे धीरें बोलें, चाहे जोर से बोलें।

सभापति महोदया, मैं उदयपुर के साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि हमें अपने सेक्युलेरिज्म पर गौरव है। यह एक महान् निधि है जो हमारे प्रजातंत्र को कायम रखेगी। जब हम अपने बहादुर सिपाहियों का नाम लेते हैं, जब असगरअली का, अब्दुल हमीद का नाम लेते हैं या अपने अय्यूब का नाम लेते हैं तो मस्तक गौरव से उठ जाता है। मुझे खेद है कि आज जब भुट्टो ने यू. एन. ओ. में इस बात को कह दिया है कि पाकिस्तान अपनी फौजें पीछे हटाने को तैयार नहीं है, उस समय इस सदन के माननीय सदस्यों ने चार लाख रुपयों की राशि जो अल्प संख्यकों को उनके नुक्सान के बाद दी गई उसकी आलोचना की। बहुत संभव है किसी प्रिविलेज्ड आदमी को १५०) रु० के नुक्सान पर ३० हजार रुपये उसको प्राप्त हो गये हों, लेकिन सभानेत्री महोदया, यह समय नहीं था जब हम इस चीज की कटु आलोचना करते। यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह तथ्य सारा राजस्थान जानता है। जब मीड़ ने आक्रमण किया उस समय

(श्री योगेन्द्रनाथ झांडा)

दुकानों पर हिन्दू और मुसलमान शब्द लिखे और जब भीड़ आगे बढ़ी तब हिन्दू या मुसलमान की मिलकियत के हिसाब से सामान निकाल कर बाहर रखा और विशेष रूप से वहां पर इस प्रकार का दंगा हुआ। यह बात छिपी नहीं है कि पुलिस अधिकारियों ने वर्ग विशेष के साथ रियायत बरती और आगे बढ़ती हुई भीड़ जब पीछा कर रही थी तब वे व्यक्ति जब थाने में आये तो थानेदार ने उनको धक्का देकर बाहर धकेल दिया और पिटने दिया। मैं इस गंभीर स्थिति के लज्जा-जनक इतिहास को नहीं दोहराना चाहता लेकिन मैं नम्र निवेदन आपके जरिये कर देना चाहता हूं सदन से कि ४ लाख रुपये नुकसान पूर्ति के लिये दे दिये तो देश के लिये यह गौरव की बात है। यह कोई पाकिस्तान नहीं है जो तीन तीन लाख रिफ्यूजीज की फौज बनाकर हिन्दुस्तान में दाखिल करदे। आज वैस्ट बंगाल में क्या पोजीशन है ? यदि हमारा देश चाहे तो दोनों तरफ से हम उनको कुचल कर रख सकते हैं। एक तरफ आसाम से और दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल से फौजें बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी विदेशी नीति स्पष्ट है। हमने इसलिये पाकिस्तान पर हमला किया कि हम उसके लिये मजबूर हो गये। हम दूसरों की एक इंच भूमि भी नहीं प्राप्त करना चाहते बल्कि पड़ौसी के साथ हम प्रेम से रहना चाहते हैं। सभानेत्री महोदया, यह सबक है जो पाकिस्तान को सीखना चाहिये। उदयपुर में मुसलमानों की क्षति हुई तो हमने उनको ४ लाख रुपये दिये उसके लिये हमें गौरवान्वित होना चाहिये न कि उसकी आलोचना की जानी चाहिये।

सभानेत्री महोदया, अंत में मैं अर्ज करूंगा कि इन तीन इन्डस्ट्रीज को, जिनमें कमानी कोरपोरेशन भी शामिल है जो १९ लाख की धन राशि दी गई है यह राशि यदि उनको दे दी गई है तो इस सदन की आज्ञा के अनुसार उनसे बाइज्जत वापिस ले लें।

यह जो साढ़े सात लाख रुपयों की राशि एग्रीकल्चर लैंड के लिये दी गई है, मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस सरकार की क्या नीति है ? क्या बंडलबाजी है ? एक अस्पताल जो इन्श्योरेन्स कोरपोरेशन की तरफ से बन रहा था उसके लिये जमीन १०) गज के हिसाब से खरीदी गई। वह अस्पताल मंजूरशुदा था। राजस्व विभाग ने अपने आदेश से उस अस्पताल की जमीन को एग्रीकल्चर लैंड में कनवर्ट कर दिया। उदयपुर में साढ़े चार लाख रुपये पिग आयरन को लैंड खरीद ने के लिये दे दिये, यह सरकार की कैसी नीति है काजी का बेटा गुनाह करे तो उसको लंबा लिटाकर उस पर रोटियों का पूल लगाकर बांट दे। फत्ता का बेटा जुर्म करे तो उसको स्टूल पर खड़ा करके पूल रोटियों का बनाकर बांट दें। आज देश में समाजवादी कहलाने वाली सरकार एक केमिकल फार्मुला के मुताबिक काम कर रही है। पूंजीपतियों से चन्दा लो और पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिये लोन्स एडवान्स करदो। यह केमिकल प्रोसैस है। पहले गवर्नमेंट मनी को पब्लिक मनी में कनवर्ट कर दो, फिर पब्लिक में मनी प्राइवेट मनी में कनवर्ट करदो, उसके बाद प्राइवेट मनी को पार्टी मनी में कनवर्ट कर दो और पार्टी मनी में अपने अपने पोर्शन्स रख दो। यह आपका केमिकल प्रोसेस है, यह चलने वाला नहीं है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

: आपने जो अधिकारियों को बंगले बनवाने के लिये लोन्स दिये हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । दो लाख की कोठी बनाई सरकारी अधिकारी ने । मकान बनाया और सरकार को किराये पर दे दिया । आप खुद तो कहीं दूसरे मकान में रह रहे हैं और सरकार से लोन लेकर बनाये हुए मकान में सरकार की ऑफिस चल रही है किराये पर । फिर लोन लेने की क्या तुक थी ? यह लोन क्या प्रोफिटीयरिंग करने के लिये लिया गया था ?

एक माननीय सदस्य : ऐसे मकान बनाने वाले कौन हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑफिसर्स ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : चीफ सेक्रेटरी, श्री भगवतसिंह मेहता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौन नहीं है ? किसने मकान बनाया और उसका पोर्शन सबलेट नहीं कर रखा है ? किराये पर नहीं रख रखा है ? या किराये पर दे रखी है या सरकार के ऑफिस के लिये दे रखी है । माननीय मंत्रीजी चमक उठे थे जब एक सदस्य ने बताया कि ३५ हजार रुपया उनकी पत्नी ने कर्जा लिया । कोई गुनाह नहीं किया । उनकी श्रीमती कमाती हैं, यह गर्व की बात है, लेकिन डेढ़ लाख का मकान बनाते हैं तो इस राष्ट्रीय संकट के समय थोड़ा देश पर तरस खाया होता और पैसे वापिस कर दें तो अच्छा होता ।

श्री विद्यारतन, एस. ई., पी. डब्लू. डी. के बारे में प्रश्न भी रखा गया था । कोटा के अन्दर उन्होंने मूर्तियों की चोरी की, मुकदमा दब गया । आज मोती डूंगरी रोड़ पर उनका मकान बना है, आप चैकिंग करिये, डेढ़ लाख रुपय का डेकोरेशन है । उस मकान को बाहर से देखिये; आज उसके कीमती जंगलात देखिये, फाइनरी देखिये, उसका ड्राइंग रूम देखिये . . . .

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप को चाय पीने बुलाया था क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गोकुललाल मेहता ही लीजिये । मैं किस किस का नाम लूं ? एक थानेदार गंगानगर से रिटायर होकर, मूछों पर ताव देकर आदर्श कोलोनी में २ लाख रुपये का मकान बनाते हैं ।

वक्त आ गया है, हुक्मरानों । आप पूछो, आपका पैसा यह क्यों खाते जा रहे हैं ? जिनके पास यह पैसा है-वह मंत्री हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई हो, अधिकारी हो, ऑफिसर हो . . . . .

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मिनिस्टर हों ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मिनिस्टर हों । वक्त आ गया है, देश को आज धन की जरूरत है । आज देश का प्रधान मंत्री यह कहता है कि भूखे रह कर भी लड़ना पड़ेगा । इसलिये यह पूंजी बाहर लानी पडेगी । यह जनता का खून चूस कर इकट्ठा किया हुआ धन, यह करप्शन और नेपोटिज्म के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन, यह ब्लेक मनी जो आम जनता को और देश के बच्चों को डस रहा है, यह दूसरे खाते का धन और यह इनफ्लेटेड फाइनेन्सिंग आज देश का तकाजा है और इसलिए आज नहीं छोड़ने वाले इस धन को चाहे बंडल कीजिये और चाहे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बंडलबाजी कीजिये; अब यह नहीं चलेगा। और आज जनता के धन को खींच कर निकाल कर लाना है। यह जो फोरिन एक्सचेंज के जखीरे पड़े हुए हैं लोगों के पास। कह देते हैं कि ढाई लाख की मदद देते हैं। क्या मदद दे दी ? दस हजार का अगर फोरिन एक्सचेंज दे देते तो वह दस लाख के बराबर होता।

मैं बधाई दूंगा बीकानेर के महाराजा को, यह तारीफ की बात है कि उन्होंने पचहत्तर हजार का फोरिन एक्सचेंज निकाल कर दे दिया। यह क्या तारीफ की बात है कि अरबों का फोरिन एक्सचेंज पड़ा हुआ है, अरबों रुपये के जवाहरात बेचे हैं और आपको केवल डेढ लाख रुपट्टी दे डाली और आपके गोल्ड बोंड्स की बिक्री का मजाक उड़ायें।

सभानेत्री महोदया, लोगों के पास में ऐसा धन नहीं रहना चाहिए। लोगों के पास यह नाजायज फोरिन एक्सचेंज नहीं रहना चाहिए। यह पी. लोन्स और एडवान्सेज भी उनके लिए नहीं होने चाहिए। यह पी. लोन्स और एडवान्सेज देश के वीर सैनिकों के बच्चों के लिए चाहिए। आज से पहले इस देश के सिपाहियों की कद्र नहीं की कई, देश के उन सिपाहियों ने देश की रक्षा करके देश के गौरव को रखा है, उनके लिए यह पी. लोन्स और एडवान्सेज चाहिए, यह उनके लिए चाहिए जिन की छाती गोलियों से छलनी हो रही हैं। एक घायल कप्तान अम्बाला आता है और अपने बाप की आंखों में आंसू देख कर कहता है कि मेरी छाती पर गोली लगी है, मेरी पीठ पर गोली नहीं लगी है। आज उनके परिवारों के लिये यह धन चाहिए। आज देश को धन की जरूरत है इसलिए यह पी. लोन्स, एडवान्सेज देना बन्द कर दीजिये और लखपतियों को मकान बनाने के लिए धन मत दीजिये। आज वक्त आ गया है, इस चीज को आप समझें वरना हुक्मरानों ! जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने (श्री बालकृष्ण कौल ने) डिमाण्ड रखी थी।

श्री बालकृष्ण कौल : वे अपने विभाग के लिए कह दें। जो कुछ उनको कहना है वह पहले कह दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): सभानेत्री महोदया, वैसे तो यह मांग वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत की थी; क्योंकि सदन के माननीय सदस्यों ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे या इस पर जो बहस की उनका मुख्यतया उत्तर वित्त मंत्री जी देंगे। लेकिन खास तौर से जो कुछ मामले मेरे विभाग से सम्बन्धित हैं और क्योंकि इस मांग में उनका प्रावधान भी शरीक है, इसलिए जो कुछ बातें उस सिलसिले में सदन के माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, मैं समझता हूं, संक्षेप में उनको कुछ जानकारी मैं अपनी तरफ से दे दूं। इस मद में कई कर्जों, जो भारत सरकार से राज्य सरकार को मिले और राज्य सरकार ने लोगों को दिये, उनका इस मद में जिक्र है। खास तौर से इसमें ३५ लाख की वह व्यवस्था भी है जो कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिया।

किसानों के द्वारा खास तौर से खेती-बाड़ी का उत्पादन बढ़ाने के सिलसिले में यह ३५ लाख रुपये का जो एग्रीकल्चर में एक माइनर इरिगेशन का हेड है, इस सिलसिले में एक नया एडीशन हुआ जो बजट के पास करने के बाद

Page No 98

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में हमारे सामने आया और वह राशि हमने पंचायत समितियों को दी । इस मद में, कई माननीय सदस्यों ने कहा, यह रुपया जो कुछ मिला है, एक तो वह कम मिला है, दूसरे यह कहा कि जो कुछ रुपया पंचायत समितियों की मार्फत जाता है उसका उपयोग नहीं होता है, वह ठीक तरह से रुपया काम में नहीं आता है और जिस पर्पज़ के लिए दिया जाता है उसमें ठीक प्रकार से खर्च नहीं होता है ।

माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं वैसे तो हम कृषि के उत्पादन के सिलसिले में जितना भी धन लोगों को दे सकें उतना ही धन लेने की लोगों की क्षमता है और ज्यादा से ज्यादा लोग कूए बनाने में, पम्पिंग सेट्स लगाने में-इन सारी चीजों को करने में आज काफी रुचि ले रहे हैं, काफी रुपये की इस तरह से राज्य के अलग अलग हिस्सों से राज्य सरकार के सामने मांग आती है । लेकिन धन की एक सीमा है और सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के इस माइनर इरिगेशन के हैड के नीचे, जिसका कि कृषि विभाग से सम्बन्ध है, जो प्रावधान है और जिस राशि के बारे में यहां पर बहस हुई है, मैं आपके जरिये, सभानेत्री महोदया, सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी योजना में हमने कुल सवा तीन करोड़ रुपये का प्रावधान इस माइनर इरिगेशन के हैड के नीचे, कृषि विभाग के नीचे रख कर खर्च करने का सोचा है । लेकिन मैं आपको बताऊं और इस बात को सुन कर खुशी होनी चाहिए सदन को कि इस साल के आखिर तक यह ३५ लाख रुपया, जिसको आप स्वीकार करने जा रहे हैं, इसको कुल मिला कर इस वर्ष के एण्ड तक राज्य में खर्च करेंगे, इसमें पम्पिंग सेट्स लगाने का मामला है, नये कूए बनाने का मामला है, ट्यूब वैल्स का मामला है, एनीकट बनाने का मामला भी इसमें शरीक है, कुछ छोटे–छोटे टैंक बनाने का मामला भी इसमें है, जिसमें कुछ लोग श्रमदान के रूप में अपना हिस्सा देते हैं और कुछ कृषि विभाग सब्सीडी के रूप में देता है, इस प्रकार पूरा प्रावधान, जो इस मद में है, को इस योजना के एण्ड तक, जैसा हमने सोचा है, लगा देंगे और इस मद में खर्च करेंगे, करीब सवा छः करोड़ रुपये की धनराशि हम माइनर इरिगेशन के हैड में राजस्थान में खर्च करेंगे, जहां कि हमने सवा तीन करोड़ खर्च करने को सोचा था वहां हम सवा छः करोड़ खर्च करने जा रहे हैं । आज यह जरूरी है, क्योंकि देश में जो खाद्यान्न की समस्या है उसको हल करने के लिए जो किसान कूओं के ऊपर पम्पिंग सैट्स लगाते हैं, नये कूए बनाते हैं और इस कारण जो जमीन का नया रकबा सिंचाई में आता है उससे निश्चित रूप से देश के अन्दर अन्न का उत्पादन बढ़ता है । इसलिए एनीक[illegible] के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में जि[illegible]ना हमने सोचा था खर्च करने का, बावजूद उ[illegible] धन को खर्च करने के बाद भी जो हमारे यहां पंचायत समितियां हैं, २३२ पंचायत समितियां हैं, और उनके अन्दर जो चुने हुए लोग हैं, हमारे प्रधान लोग हैं और जो काफी बड़ी एजेंसी है वह काफी बड़े पैमाने पर धन [illegible] करने की क्षमता रखती है और उनकी मांगें हमारे सामने आती हैं ।

सभानेत्री महोदया, मैं आपको मार्फत सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि रुपये की मांग ज्यादा होने पर भी हमने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमारे सामने एक तरीका रखा है कि किस तरह से इस रुपये का ज्यादा से ज्यादा उपयोग राजस्थान के उन इलाकों में हो जहां इरिगेशन की पोटेंशियलिटी काफी ज्यादा है, जहां कि राजस्थान के दस जिलों के अन्दर हमने सघन खेती के कार्यक्रम को हाथ में लिया है, उन जिलों के अन्दर से कुछ पंचायत समितियों को एक साल में लेते हैं और कुछ को दूसरी साल में लेते हैं। इस तरह से हमने एक फेज प्रोग्राम बनाया है जिसमें उस इन्टेन्सिव एरियाज का हम काफी ध्यान रखते हैं और खास तौर से उन एरियाज में, जहां जहां नई पॉवर लाइन पैदा हो रही है उसके फलस्वरूप वह इन्टेन्सिव एरियाज में शामिल हैं और इसलिए रुपये का प्रावधान ज्यादा और प्रिफरेंशियल रूप में देने की बात सोचते हैं। इसलिए जो कुछ रिजल्ट पॉवर के देने से, पम्पिग सैट्स लगाने से, कुए खोदने से हो सकता है, उसमें उत्पादन बढ़ सकता है। जहां जिन कुओं में ज्यादा पानी निकलने की गुंजाइश है, उन एरियाज को, खास तौर से इन्टेन्सिव एरियाज जो हैं, पोटेन्शियल एरियाज हैं, इनमें ऋण को पंचायत समितियों को देने में प्रायोरिटी देते हैं।

इसके अलावा यह कहना कि पंचायत राज्य के जरिये धन का दुरुपयोग होता है, जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ९ करोड़ रुपये का यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट आना बाकी है, दूसरे माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि काम ठीक तरह से नहीं करते हैं और पंचायत समितियां धन का दुरुपयोग करती हैं।

अगर मैं आज यह कहूं कि कहीं पर धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है तो यह बात भी ठीक नहीं होगी, लेकिन आखिर हम लोग विभिन्न दलों के लोग हैं और विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि पंचायत राज्य का चुनाव का तरीका आपने सदन के नीचे बनाया और उसके नीचे प्रधान और सरपंच चुने जाते हैं और उनका इस सदन में बैठने वाले लोगों से भी अच्छा तालमेल बैठता है। कई सदन के सदस्य प्रधान हैं। उनका अच्छा समन्वय है और उनका सभी अर्थ में काम होता है। पंचायत समितियों में प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के जवाब होते हैं और सभी बातों की वहां पर चर्चा होती है।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : आपका मतलब यह है कि उनके लिये कुछ न कहा जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह कहूंगा कि कोई बात को बड़ा-चढ़ा कर नहीं कही जावे। बड़ा-चढ़ा कर कहने से हम उस पंचायती राज्य की नींव को कमजोर करते हैं। हम पंचायती राज्य की नींव को मजबूत करना चाहते हैं इसलिये कोई बात आप कहें, कहिये मगर उसको बड़ा-चढ़ा कर न कहें। हो सकता आपका ताल मेल किसी सरपंच से या प्रधान से नहीं बैठता या जिस प्रधान को आप चाहते हैं और जो आपकी पार्टी का नहीं आता है और दूसरी पार्टी का प्रधान या सरपंच आ जाता है जिससे आपकी नाराजगी हो सकती है, जो आपके आदमी नहीं हों। पंचायती राज में चुने हुए लोग होते हैं और जो प्रक्रिया बनी हुई है उसके अनुसार काम करते हैं। इसके अलावा जितनी भी समितियें हैं उनमें सदन के कई सदस्य हैं जैसे लैंड अलोटमन्ट कमेटी है उसमें सदन के सदस्य मेम्बर हैं। एग्रीकल्चरल सब-कमेटी है। वहां पर सारी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चीजों को तय करते हैं। इसलिये इसमें यह कहना कि कांग्रेस के लोग हैं वे गड़बड़ी करते हैं या प्रधान हैं वे गड़बड़ी करते हैं, उचित नहीं है। यह नहीं कि आपके पसन्द के लोग ही अच्छा काम करते हों और दूसरे, चाहे वे कांग्रेस के लोग हों या दूसरे प्रधान हों, ठीक काम नहीं करते। यह दृष्टिकोण है जो मदद करने वाला नहीं है। यह न तो पंचायती राज को न सदन को मदद करने वाला है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पंचायत समितियों में इतना एरियर है, उसमें बहुत गड़बड़ी है, युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आये हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ६० परसेन्ट ओवरसियरों की पंचायत समितियों में कमी है। आम तौर से ओवरसियरों की कमी है, सिंचाई में ओवरसियरों की कमी है, पी. डब्ल्यू. डी. में ओवरसियरों की कमी है और पंचायत समितियों में भी ओवरसियरों की कमी है। इसलिये कोई भी काम पंचायत समिति या सरपंच करवा लेते हैं उसका युटिलिटी सर्टिफिकेट बनने में देर होती है क्योंकि प्रोसेज बहुत लम्बा है।

श्री दयाचन्द सोन : पंचायतों में बहुत गड़बड़ियां है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको मैंने बहुत शांति से सुना है। आप बैठ जाइये। मुझे सब मालूम है। इसमें कई तरह के विवाद पैदा होते हैं और कई मामले एग्जिक्यूटिव इंजीनियर तक जाते हैं। इसलिये कोई पंचायत समिति में युटिलिटी सर्टिफिकेट आने में देर हुई हो इस वजह से यह कहना कि वहां पर धन का दुरुपयोग हुआ है, उचित नहीं है। मैं यह कहूंगा कि इतने बड़े फैलाव के बाद लोगों को काम करने की कैपेसिटी म और ज्यादा रुपया खर्च करने का माद्दा पैदा हो गया है। इसलिये यह कहना कि वहां पर बडी गड़बड़ियें हैं, कोई देखता नहीं है। मैं यह कहूंगा कि बकायदा वहां ऑडिट पार्टी जाती है और एकाउन्ट्स का इन्सपेक्शन करती है और ऑडिट के ओब्जेक्शन्स होते हैं उसके जवाब दिये जाते हैं। इसलिये यह कहना कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनके खिलाफ सुनने वाला नहीं है, यह गलत है। युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आये तो धन का दुरुपयोग हो गया। मैं यह कहता हूं कि यह सच्चाई के परे है। मैं यह भी नहीं कहता कि सभी ठीक हैं और कहीं पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो उनको सजा दी जाती है और बहुत से लोगों को सजा दी गई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : आपने ऐसा नहीं किया तभी तो हम कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको मालूम नहीं है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं आपको बताया चाहता हूं कि आपके दोस्त अयोध्याप्रसाद के बैलेन्स शीट में ७३ हजार रुपया बकाया है। वे आपके दोस्त हैं। आपका नाम लेकर जिन्दा रहते हैं और आज भी नागौर जिले में हैं, आपका हाथ उनके सिर पर है। अगर आप उसको जेल में भेज दें तब जानें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके कहने से ही अगर सारे जेल में चले जाते हैं तो आप तो मुझे भी कहेंगे कि अध्योप्रसाद के बजाय जेल में चले जाओ।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : आपको भी, अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे तो, जेल में जाना होगा। आप भी तो कोई लॉर्ड साहब नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको कष्ट हाथी को जेल में भेजने के समय हुआ था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप भी....

(घंटी--शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में जवाब दिया। सारा एमाउन्ट पंचायत के माध्यम से दिया जाना चाहिये। लेकिन यह तो आप सदन को बतावेंगे कि प्लानिंग कमिशन ने ओब्जर्वेशन दिया है वह यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो पंचायतों को रुपया दिया गया उसका ३६ प्रतिशत मिसयूज हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : किसने कहा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्लानिंग कमीशन ने कहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो जुबानी बात कहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अखबार में निकला है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अखबार में सब छपते हैं वे सही होते हैं क्या ? अगर आप ऐसा समझते हैं तो यह आपकी गलतफहमी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपको अखबार का कटिंग दे दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर ऐसी बात प्लानिंग कमीशन ने कही हो तो फिर क्या आप इस्तीफा दे देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे सामने लावें तो जानूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्लानिंग कमीशन ने यह साफ कहा है कि ३६ परसेन्ट धन का पंचायतों में तीसरी पंच वर्षीय योजना में दुरुपयोग हुआ है।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : दूसरे काम में खर्च हुआ है। एग्रीकल्चर का पैसा किसी दूसरे काम में खर्च किया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आपकी या तो अज्ञानता है या आपकी जानकारी में नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अज्ञानता आपकी या मेरी है ?

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि पहले आप मंत्री महोदय को सुन लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप थोड़ा सा सब्र रख कर सुन लें।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : आप सही बात करेंगे तो सुनेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज !

(कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे--शोरगुल--व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऑर्डर तो है ही।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस सदन में गलत बात को नहीं कहने दिया जावेगा।

श्रीमती सभापेत्री : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पहले आप इन्हें सुनलें और पीछे अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लें। यह कोई तरीका नहीं है कि पांच-पांच सदस्य उठ कर इस तरह से बोलने लग जावें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न के जवाब का सवाल नहीं है। प्रश्न यही है कि यह रिपोर्ट अखबारों में छपी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ना करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने या तो इसको पढ़ी नहीं है या यह आपके नोलेज में नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर आपके नोलेज में लाई जावे तो आप जवाब देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह दावा करना कि इधर बैठने वाले सभी झूंठ बोलते हैं और उधर बैठने वाले सभी हरिश्चन्द्र के अवतार हैं.....

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह है कि आपने देखा नहीं है।

(घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य अगर तथ्यों से कोई बात कहें तो जवाब भी दिया जा सकता है। अगर इस प्रकार की बातें बिना किसी तथ्य के कही जावें और हम ना करें तो आपको उससे नाराज नहीं होना चाहिये।

(४.०० म. प.)

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह तो माइनर ईरिगेशन और पंचायती राज के द्वारा मिस्यूज के बारे में कहा गया उसकी स्थिति है। एक जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ६५ लाख रुपया लोन के रूप में ६ महीने में वसूल करने के नाम पर गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को दिया कि वह ६ महीने में वसूल होगा, एक महीने की तनख्वाह राज्य सरकार के कर्मचारी को लोन के रूप में दे दी जिसे ६ महीने में वापिस ले लें ताकि वे लोग अनाज खरीद कर अपना काम चला सकें। उस व्यवस्था के बजाय उन्होंने सुझाव रखा कि अव्वल तो लोन देना ही गलत, उन्होंने कहा कि बजाय लोन देने के सरकार को उन्हें सस्ता अनाज दे देना चाहिये था और घाटा सरकार को भुगतना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य सुझाव रखते हैं तो उस सुझाव की प्रेक्टिकेबिलिटी पर तो विचार करें। आज राजस्थान के कोने कोने में गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स बिखरे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में वे लोग रह रहे हैं, गांवों में स्कूलों के मास्टर हैं, चौकियों में कॉन्स्टेबल्स हैं, पटवारी हैं, दूसरे कर्मचारी गांव गांव में हैं, तहसीलों पर, सब-तहसीलों पर गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस् रहते हैं। रेल्वे के लोग हैं, दूसरे महकमों के लोग हैं, कहीं दो तो कहीं चार रहते हैं, तो क्या सब महकमों के लोगों के लिये सरकार सब जगह अलग अलग दुकानें खोले और सब्सीडाइज्ड रेट्स पर दें। यदि यह कहें कि ज्यादा राज्य

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कर्मचारी जहां रहते हैं वहां पर दें, कुछ के लिये नहीं दिया जाय तो यह डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो इस प्रकार की बात करना फिज़िबल नहीं है कि अलग अलग जगहों पर राज्य कर्मचारी रहते हैं उनको अनाज दें। यह इम्प्रेक्टिकेबल बात है, सरकार ने इस पर सोचा है। ज्यादा प्राइस इन्डेक्स बढ़ता है तो मंहगाई भत्ते का प्रावधान है। हां, जहां बल्क में लोग रहते हैं, जहां एम्प्लोयर के जरिये एम्प्लोय किये जाते हैं वहां गल्ले के स्टॉक के वितरण की व्यवस्था करते हैं और दूसरों से व्यवस्था करवाते हैं, उनकी सोसायटीज आदि के जरिये वितरण करवाते हैं और राज्य कर्मचारियों को जहां तक फेसिलिटीज दी जा सकती हैं वे दी जाती हैं।

एक माननीय सदस्य, रायसिंहनगर से या गंगानगर से आते हैं, रायसिंहनगर से ही आते हैं शायद, उन्होंने कहा कि कर्जा दे दिया पर वसूल क्यों किया, एमर्जेन्सी का समय है। फौजों का नाम तो, सभी खड़े होते हैं तो पहले लेते हैं जैसे सारा वे ही उनके हक में सोचते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ६ किश्तों में ऐसा कर्जा वसूल किया जायगा। एक यह दलील दी कि ऐसे बेमौके लोन दिया कि खाद्यान्नों के भावों में ऊंचाई कर दी। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा कार्य सोच-विचार कर किया गया, जिस समय फसल आती है उस वक्त दिया जाय तो ऊंचे भाव होंगे। जिस वक्त मार्केट में अनाज ठीक तरह से आ रहा था उस वक्त दिया। बहुत सो ने कोर्स ग्रेन खरीदा, निश्चित तौर से राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन हैं उनसे बात करके राज्य सरकार ने यह निश्चित तौर से फेसेलिटी दी थी। तो यह उसके साथ जोड़ना कौनसे नवाब साहब का कहा कि मकान जलता रहा और थोड़ी देर में आने की धीरे-धीरे बात करते रहे। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह खाद्य समस्या केवल राजस्थान की ही समस्या नहीं है, सारे देश की समस्या है। सारे देश के सूबों की हालत को राजस्थान की हालत से कम्पेयर कर लीजिये, राजस्थान में फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से, प्योरिटी के लिहाज से, इन सारे मसलों और राजस्थान की स्थितियों को देश के दूसरे सूबों से कम्पेयर कर लीजिये कि राजस्थान कहां स्टेन्ड करता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान देश की सब स्टेट्स में पहली या दूसरी स्टेट्स में से है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कोई नवाब की बात कही कि मकान जल रहा था और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं और मकान जल गया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के फूड डिपार्टमेन्ट में कोई कागज ऐसा नहीं है जो तीन दिन में इस सेक्रेटेरियेट से डिस्पोज ऑफ हो कर नहीं निकलता। राजस्थान के किसी कलेक्टर, अधिकारी, जनता को जहां तक उनके सवाल के जवाब का प्रश्न है जल्दी से जल्दी दिया जाता है; तो किसी नवाब की बात कह रहे थे वे किसी पुरानी मनगढ़ंत बात को कर रहे थे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान का फूड डिपार्टमेन्ट जिस जल्दी से, जिस एक्स्पीडिशेन्सी से कार्य करना चाहिये उसी तरह कर रहा है। हां शोर्टेज है, कोई जादू से हल निकाल लें, भगवान् का या मुहम्मद साहब का सक्सेसर आ जाय और हल निकाल

Page No 104

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ले तो नहीं कह सकता। इस समस्या का हल तो देश का उत्पादन बढ़ाने से ही होगा। खेती में ज्यादा एरिया को कवर कर लेने से नहीं, पर एकड़ यील्ड बढ़ाने से इस समस्या का हल होगा। इन्क्रीज्ड बर्थ रेट, रिड्यूस्ड डेथ रेट, यह सारी हिन्दुस्तान की ही समस्याएं नहीं सारे चीन, अफ्रीका, दूसरे देश, सारा ईस्टर्न वर्ल्ड है, जिसे अमेरिका वाले बैकवर्ड रीजन कहते हैं, वहां यह हालत है कि ८० तक अगर यही हालत रही तो इस सारी इधर की दुनियां को बड़ी मुश्किल में पड़ना होगा। और जादू-मन्तर फूड मिनिस्टर नाथूराम के पास नहीं है। उसका जादू मन्त्र तो इस सदन में बैठने वाले सभी को सोचना होगा। कभी इधर का टोरा मार दिया और कभी उधर का टोरा मार दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है, बहुत गम्भीरता से सोच विचार करना पड़ेगा।

बाकी जो दूसरे ...ई हैं उन पर वित्त मंत्रीजी निवेदन करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि तो-मरोड़ कर ऐसी समस्या नहीं बतानी चाहिये कि बिलकुल सचाई से परे चले जायं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): समानेत्री महोदया, खाद्य मंत्रीजी ने मेरा बोझा बहुत हल्का कर दिया। पंचायत, एग्रीकल्चर पर जो कट मोशन थे उनका आपने जवाब दे दिया। इतना और निवेदन कर दूं कि जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है, माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें रुपयों का कुछ और इजाफा हो जाय जिससे पंचायतों को कुओं के लिये, पम्पों के वितरण के लिये और ज्यादा कर दिया जाय ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। जहां तक उनकी दलील है, उनकी बात है, मुनासिब है। राज्य सरकार को यह देखना है कि प्लानिंग बजट है उसमें किस तरह कहां कटौती की जा सकती है, कहां बढ़ाया जा सकता है, आपका सुझाव नया बजट बनेगा उस वक्त गौर के साथ देखा जायगा।

जहां तक कुछ माननीय सदस्यों ने आज एक लम्बी-चौड़ी बहस की, एक उसका सैन्टर था वह इन्डस्ट्रीज को रुपया देने का था। मैं यह अर्ज कर दूं कि यह पॉलिसी मेटर है, किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है। मैं सदन के सम्मुख यह रखना चाहता हूं कि आप सोचिये इस सरकार की क्या नीति है, इसकी नीति को मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, आपकी ही मिक्स्ड इकोनोमी है। वे साहबान जो इस नीति को मानते हैं उनको तो इस पर आक्षेप नहीं करना चाहिये। पर मैं समझ सकता हूं जो माननीय सदस्य रायसिंहनगर से तशरीफ लाये हैं, उनकी नीति है वह सारी स्टेट एन्टरप्राइज की नीति है, उसके लिहाज से उन्होंने जो जिस भाषा में कहा और जिस भाषा का वे हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उससे मुझे कोई आश्चर्य या दुःख नहीं हुआ, पर आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं हमारी स्टेट एन्टरप्राइज की और प्राइवेट एन्टरप्राइज की नीति है। प्राइवेट एन्टरप्राइज को आकर्षित करने के लिये हम उनको कुछ प्रलोभन देते हैं। आप यह समझिये कि अगर यह देश, यह सदन इस नीति को बदल दे और वह नीति ले ले जो रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य की है तो प्राइवेट एन्टरप्राइजेज को नहीं बढ़ाये, न प्रोत्साहन दें पर जब हमारी नीति यह है कि प्राइवेट एन्टरप्राइजेज भी हों और स्टेट एन्टरप्राइजेज भी हों, तब तक हमें यह करना पड़ेगा। मैं

Page No 105

(श्री बालकृष्ण कौल)

कोई प्राइवेट एन्टरप्राइज को चलाने वालों में, उनको उत्साह देने में, दिलचस्पी नहीं रखता, पर देश के कोने कोने में यह जाहिर नीति है तो मुझे भी यह करना पड़ता है ।

एक माननीय सदस्य : चैकिंग और कन्ट्रोल की बात करें ।

श्री बालकृष्ण कौल : उस पर भी अभी आता हूं । फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट कोई एड्मिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट नहीं है । आपने कहा वह किया जा सकता है पर आपका इस तरह संकेत करना कि १३ हजार, २० हजार कांग्रेस के चुनाव के लिये पी० सी० सी० को मिल गया, इस पर नीति बन गई, तो यह सरासर गैरमुनासिब है ।

जितने माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव दिए हैं उनमें एक भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया कि वह बताएं कि स्टेट को चलाने के लिए पैसा कहां से आए ? यह किसी ने नहीं बताया । जिन उद्योगपतियों को हम लोन देते हैं, इसलिए कि वे अपने उद्योगों को बढाएं, हमको उससे फायदा है, व्यक्तिगत नहीं स्टेट को फायदा है । जे० के० सिन्थेटिक्स को ही लीजिए । उन्होंने १९६४ में करीब ६७-७० लाख रुपये टैक्सेज़ के रूप में दिए, उसमें कुछ सेल्स टैक्स, सैंट्रल सेल्स टैक्स, कुछ इनकम टैक्स । कुछ रुपया तो इस तरह से आता है । हमने पब्लिक लोन चलाया, उससे २५ लाख मिलें । सवाल यह है कि हमें मिक्सड इकोनोमी में संतुलन पैदा करना है ।

श्री माणिकचन्द्र सुराणा (कोलायत) : फाइनेन्स कोरपोरेशन से क्यों नहीं ले लेते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह इतना रुपया नहीं दे सकती । अगर आप इसके डिटेल्स में जायं तो आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार जो कुछ करती है किसी नीति के आधार पर करती है और उसमें बहुत सी चीजें आपके सामने नहीं आती हैं । संभव है कि आपको पूरी तरह से मालूम हो और आप यदि इस नीति को मानें तो आपको कहने में कोई आपत्ति नहीं हो ।

जहां तक हाईटैक का ताल्लुक है यह स्टेट एन्टरप्राइज़ है । स्टेट ने चाहा कि यह स्टेट एन्टरप्राइज बने । हो सकता है हम शुरू में धोखे में आये लेकिन ज्योंही गलती को पाया, हम सावधान हो गए । जो आदमी स्पेशलिस्ट बनकर जर्मनी से आया है उसने कहा कि जर्मनी वाले कोलेबॉरेशन करेंगे । उसमें पांच लाख का कोलेबॉरेशन था । स्टेट एन्टरप्राइज़ में कदम उठाने पडते हैं वहां गलतियां भी होती हैं । उन्होंने समझा कि इसके साथ एक्सपर्ट को रख लिया जाय और फायदा हो लेकिन आगे चलकर मालूम हुआ कि यह धोखा था, तब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । उसमें बडी भारी जोखिम नहीं है । ५-१० लाख रुपये लगे हुए हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां शेड्स नहीं हैं, माल का नुकसान हो रहा है । यह हो सकता है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि उस एन्टरप्राइज़ को अच्छी तरह से चलाया जाय । हमारी जो नीयत है वह यह है कि स्टेट एन्टरप्राइज़ को आगे बढाएं ताकि हम रुपया स्टेट एन्टरप्राइज़ में लगाएं । स्टेट एन्टरप्राइज़ में चाहते हैं कि आगे तरक्की हो । मैं मानता हूं कि हमें चलाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं लेकिन कोई जानबूझ कर हमारी बदनीयत नहीं है । इस लिए आपने जो स्टेट एन्टरप्राइज़ है हाईटैक

Page No 106

(श्री बालकृष्ण कौल)
उसके लिये आपने जो बातें कहीं, मैं समझता हूं कि आपने सोचने के लिए मसाला दिया और हमें ताकत दी कि हम उसको ठीक लाइन पर चलाएं। यह एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का झगड़ा था जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

आज एक माननीय सदस्य ने उदयपुर के हादसे के बारे में कह डाला। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि उदयपुर का हादसा वह आम तौर पर हिन्दुस्तान के लिए और खास तौर से राजस्थान के लिए गर्दन झुकाने का एक अवसर था। हम बहुत शांति से चल रहे हैं, राजस्थान भी बड़ी शांति से चल रहा था। राजस्थान ही एक ऐसी स्टेट थी जिसमें मजहबी झगडे नहीं हुए, यही एक स्टेट थी जिसमें सेक्युलरिज्म हम दिल से मानते हैं। लेकिन कुछ लोग राजस्थान में यह नहीं चाहते कि राजस्थान में भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हों। एक साहब ने बताया कि जो माइनोरिटी कम्युनिटी थी उसकी दुकानों पर निशानात लगे हुए थे और जो हजूम चला तो उसने उन्हीं दुकानों को लूटा और जलाया जो माइनोरिटी कम्युनिटी के थे। शर्म की बात है, फिर तो हम में और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रहा। आप बताइए एक माइनोरिटी कम्युनिटी जो आपके यहां कोई दंगा नहीं करती, न फसादी है, न प्रो-पाकिस्तानी है और उस मौके पर जब हिन्दुस्तान में ऐसे झगडों को रोकने की हमारी कोशिशें थीं, तब उनकी चीजों को जलाया जाय और नुकसान पहुंचाया जाय और इस प्रकार का बलवा हो कि जिसमें मालूम हो कि कुछ घंटों के लिए कोई हुकुमत ही नहीं, यह सारे सदन के लिये शर्म की बात है। हम पूरा नुकसान तो उन लोगों को नहीं दे सकते और मिसाल भी कायम नहीं करेंगे इसलिए जिनका हजार रुपये के अन्दर नुकसान है उनको ग्रांट देंगे जैसे किसी तांगेवाले का तांगा जला दिया।

इसी तरह छोटे २ मनिहारे हैं, सब्जी बेचने वाले हैं जिनकी पांच सौ, छः सौ रुपये की पूंजी है, सुबह कमाई करके अपना शाम को काम चलाते हैं। आम तौर पर गरीब लोगों को ज्यादा ग्रान्ट दी है। हमारा यह मानना है कि यह ज्यादती एक माइनोरिटी कम्युनिटी पर की गई है इसलिए हमें सोचना पड़ा कि उन लोगों को बिजनेस चलाने के लिए कैसे मदद दी जाय। पांच हजार तक जिनका नुकसान हुआ है उनको हमने लोन दिया है बिना इन्ट्रेस्ट के। उनको मुआवजा नहीं दिया है। लोन दिया है; वापिस लेंगे। वहां के लोग तबाह हुए फिर भी उन्होंने कहा कि हमें लोन चाहिए मुआवजा नहीं चाहिये। यह उनकी शराफत है, डिग्निटी है, शान है, उन्होंने आप से मुआवजा नहीं मांगा है, लोन मांगा है। उसके उपर तीन परसेन्ट इन्ट्रेस्ट लगाया है सिर्फ इसलिये कि हम यह मानते हैं कि कुछ न कुछ उनसे चलना चाहिये। चार लाख की बात आप कर रहे हैं। दस लाख भी हमारे हिसाब से निकलता है तो देंगे। चार के छः हो सकते हैं और तीन लाख भी हो सकते हैं। कोई खर्चा नहीं कर सकते जब तक आप इसको पास नहीं करदें, इसलिये सदन में रखा गया है इसके पीछे क्या ओब्जेक्ट है यह देखिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आपको सदन की एक कमेटी बनाने में क्या एतराज है? सदन के तीन माननीय सदस्य जाकर देखें कि आप जो रकम दे रहे हैं जिनको वह ठीक है या नहीं? आपकी तरफ के बैठने वालों को ही इस कमेटी में बिठादें, हमें कोई एतराज नहीं है। कहां आपको विश्वास है?

श्री बालकृष्ण कौल : इसका मैं ऑफ हैंड जवाब नहीं दे सकता ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : यह आपकी स्पिरिट की तारीफ करता हूं कि बीस लाख का नुकसान भी होगा तो आप देंगे । इतनी बडी ग्रान्ट दे रहे हैं लेकिन तफतीश पर भी तो प्रकाश डालिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : ग्रान्ट नहीं है, लोन है ।

श्री अब्दुल जब्बार : कितना माल रिकवर हुआ, किस स्टेज पर मैटर है ? आप दंगे का इंतजाम नहीं कर सके, हम स्वयम् शर्म महसूस करते हैं । सदन शर्म महसूस करता है । क्या सरकार महसूस नहीं करती है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : 'गुलाम अब्बास इस रकम को खा जावेगा । डेढ सौ रुपये का नुकसान होगा और बीस हजार रुपया बतायेगा ।

श्री बालकृष्ण कौल : एक सुझाव है जिसका फौरन जवाब नहीं दे सकता और न मेरे लिये मुमकिन है । वे बात को समझ ही नहीं रहे हैं । लोन दे रहे हैं । चार लाख तो शुरूआत है किसी सीगे को खोलने के लिये जिस पर काम शुरू हो जावेगा । अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये जितनी मदद की जरूरत होगी सरकार देगी ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : इन दंगों के बारे में कुछ लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया है या नहीं ? क्या जांच अभी चल रही है?

श्री बालकृष्ण कौल : यह प्रश्न करके मुख्य मंत्रीजी से पूछ लें तो अच्छा है । मैं तो वित्त मंत्री हूं, पैसे के लेने-देने का मेरे से सम्बन्ध है ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेंगे और जो डिमान्ड मैंने प्रस्तुत की है हाउस उसको पास करेगा ।

श्रीमती सभानेत्री : मुख्य मांग रख दी जाय और सामूहिक रूप से कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : २५ लाख रुपया इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को दे रहे हैं इस पर विरोध ही है ।

श्री बालकृष्ण कौल : दे दिया है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सदन से पास कराने से क्या मतलब ?

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ के समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४७,९५,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

मुख्य मांग स्वीकार की गई ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वाह साहब, ना पक्ष जीता ।

श्री बालकृष्ण कौल : Ayes have it.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपका एक वोट है ।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : अधिकार है । डिविजन चाहिये । आप घंटी बजवाइये ।

श्रीमती सभानेत्री : मांग स्वीकार हो चुकी है । अब दूसरी मांग पर विचार करें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमारी उठायी हुई बात को आप नहीं मानती हैं आप डिवीजन बेल बजवाइये, हम डिवीजन चाह रहे हैं । अधिकार है हमारा ।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना स्थान ग्रहण करें । मैं दुबारा इसको रखती हूं । जो मांग संख्या रखी गई है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : 'ना' पक्ष जीता ।

श्रीमती सभानेत्री : आप खड़े हो जाइये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : डिवीजन बेल बजाइये । डिवीजन करायेंगे, खड़े क्यों हो जांय ? एक भी सदस्य चाहता है तो आप उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते ।

(४.२९ म. प.)

(मत विभाजन घंटी के पश्चात राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । मैं मांग को फिर से रखता हूं । प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक—था—राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४७,९५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई ।

(४.३१ म. प.)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४१—सिंचन नौचालन, तट बन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६१,५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री भीमसेन ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (१) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माण में शिथिलता पर बहस करने के लिये)।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (२) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना पर व्यय हुई रकम के ब्याज की भुगतान पर बहस करने के लिये)।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : (३) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सन् ६५-६६ में राजस्थान नहर परियोजना में होने वाली अनियमितताओं की तरफ ध्यान न दिये जाने पर बहस करने के लिये)।

श्री योगन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर):
श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (४) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माण की शिथिल गति पर बहस करने के लिये)।

(५) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर पर टैक्निकल सही सलाह न होने के कारण राजस्थान नहर के निर्माण की गति पर बहस करने के लिये)।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बैंगू) : (६) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना के लिये रकम का काफी मात्रा में ब्याज लगते हुये कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है जिस पर बहस करने के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.): (७) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल के शिथिल निर्माण कार्य पर बहस करने के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनूपुरक अनुदान की मांग पर मेरा राजस्थान नहर के सम्बन्ध में एक कटौती का प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर का निर्माण कार्य जिस तरह से चल रहा है वह हमारे लिये बहुत चिन्ता का विषय है। आज राजस्थान सरकार और भारत सरकार यह चाहती है कि अन्न का उत्पादन बढ़े लेकिन राजस्थान सरकार जो कुछ कहती है लेकिन करती है उसमें बड़ा फर्क मालूम पड़ता है। अगर हम राजस्थान नहर के निर्माण के बारे में जिस गति से काम करना चाहते हैं और जिस तरीके से आज निर्माण कार्य हो रहा है उससे हमारी खाद्य समस्या का हल होने वाला नहीं है। आज राजस्थान नहर का निर्माण हो जाता है तो वह केवल राजस्थान की अन्न समस्या ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान की अन्न समस्या के हल करने में बहुत महत्व पूर्ण हिस्सा अदा कर सकती है। इस नहर का निर्माण सन् ५८ में शुरू हुआ और अब तक केवल ४६ मील लम्बी नहर बन पायी है; इसके अलावा कुछ उपशाखाओं का हम निर्माण कर पाये हैं। इस प्रथम चरण में कम से कम १२२ मील मुख्य नहर का निर्माण हमें करना था उसके साथ साथ कुछ उपशाखाओं का निर्माण करना था, लेकिन जिस गति से चल रहे हैं, जो हम ४६ मील लम्बी नहर बना पाये हैं उसमें से २३ मील राजस्थान फीडर है और उसके साथ साथ मुख्य निर्माण

(श्री भीमसेन)

केवल २४ मील कर पाये हैं। इस समय ५४ मील के बीच में काम चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि हमारी योजना है उसके अनुसार कम से कम हमें १०० वें मील में निर्माण कार्य करना चाहिये। हमारी योजना के अनुसार १९६८ में इसका प्रथन चरण पूरा करने का था। कहा नहीं जा सकता कि १२२ मील का प्रथम चरण हम कब तक समाप्त कर पायेंगे ?

पिछले दिनों हम यह सुनते आ रहे थे कि इस राजस्थान नहर पर बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है और इस पर होना चाहिये इसलिये तीसरी और चौथी योजना से वाहर इसको लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है और इस बारे में घोषणा भी हुई थी कि अप्रेल, ६५ से इसका निर्माण कार्य भारत सरकार अपने हाथ में लेने वाली है, लेकिन आज सितम्बर का महीना चल रहा है अभी तक कोई आधार दिखाई नहीं देता। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि आज राजस्थान नहर निर्माण में शिथिलता से काम क्यों लिया जा रहा है ? अगर हम जहां इसको १९७८ में पूरा करना चाहते हैं अगर इसको हम उससे पहले ही पूरा कर देते हैं तो राजस्थान और हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। लेकिन इसके बारे में जिस तरह से प्रयास होना चाहिये, वैसा प्रयास नहीं हो रहा है।

अभी मई के महीने में हमारा एक शिष्ट मण्डल बीकानेर से दिल्ली गया था राजस्थान कैनाल की लिफ्ट योजना के बारे में। बीकानेर शहर तक सौ मील लम्बी नहर बनाने की यह योजना है और इस पर ९-१० करोड़ का खर्चा होगा। भारत सरकार के सिंचाई मन्त्री, प्लानिंग कमीशन के सदस्यों से हम मिले। उन्होंने अपना पूरा समर्थन इस योजना को दिया। इस इलाके की, जहां हर दूसरे तीसरे साल अकाल पडता है और पेय जल भी एक समस्या बनी हुई है इस योजना के बारे में उन्होंने कहा कि वे इसे तत्काल स्वीकार करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे चाहे इसमें दस करोड़ रुपया लग जावे।

सिंचाई मन्त्रीजी नागौर तक लाना चाहते हैं, जोधपुर तक भी ले जाना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। पर बीकानेर तक लाने की तो योजना बनी हुई है। छः महीने से सेक्रेटेरियट में पडी हुई है। उसको आप जल्दी से केन्द्रीय सरकार को भेज दें। जिस रुचि से आपने यह काम शुरू किया है उसी चि से इसे आप पार भी करें। आप जल्दी से इसे दिल्ली सरकार को भेजें ताकि स्वीकृत होकर आने पर जल्दी काम शुरू किया जा सके। इससे बीकानेर जिले को अकाल और पेयजल की कमी से मुक्ति मिलेगी। खाद्य उत्पादन भी इससे बढ़ेगा, इस इलाके की बेकारी और अर्द्ध-बेकारी भी दूर होगी।

आज तक सरकार ने जो सिंचाई योजनाएं हाथ में ली हैं उन पर दो परसेन्ट और चार परसेन्ट रिटर्न की बात सोची है। पर जो योजना पांच साल में समाप्त होनी चाहिये थी वह सात साल और दस साल में पूरी हुई। रिटर्न भी नहीं मिला। इसके अलावा सिंचाई विभाग को यह भी मालूम नहीं कि जो सिंचाई योजनाएं पूरी हुई हैं उनसे कितना कितना रिटर्न आरहा है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। भाखरा योजना पूरी हो चुकी, चम्बल योजना भी पूरी हो चुकी और दूसरे मीडियम और माइनर इर्रिगेशन की बहुत सी योजनाएं

(श्री भीमसेन)

भी पूरी हो चुकी पर उनके द्वारा अनुमान लगाया गया परसेन्ट का रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है।

दूसरी योजनाएं हैं। उनके एस्टीमेट बनाये गये हैं। अब उसमें हो सकता है कि कुछ परसेन्ट खर्चा इधर-उधर हो जाय पर पांच वर्ष में पूरा होने वाली योजना दस वर्ष में तो नहीं होनी चाहिये। तो इन बातों के बारे में एस्टीमेट कमेटी को रिपोर्ट की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। इस तरह से योजनाएं समय में पूरी क्यों नहीं होतीं? जो आप अन्दाज लगाते हैं उतना रिटर्न क्यों नहीं होता।

पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि राजस्थान नहर में गति लाने की आवश्यकता है और बीकानेर की लिफ्ट योजना को जल्दी से भारत सरकार से स्वीकार कराके चालू करने की आप कोशिश करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और सुराणा के नाम तो पुकारिये। उपस्थित नहीं होंगे तो नाम खारिज हो जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I call the name. श्री उमरावसिंह डाबरिया।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है और वह यह है कि राजस्थान नहर के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो हमें ऋण दिया है उसके ऊपर जो ब्याज करीब एक करोड़ ९३ लाख और कुछ हजार रुपये हैं उसका भुगतान केन्द्रीय सरकार को हमें करना है और उसी को हम पूंजी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं।

मैं बहुत ही अदब से यह कहना चाहता हूं कि यह सारी योजना जो राजस्थान नहर की है, मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी राजस्थान नहर का काम समाप्त किया जाय जिससे सारे देश की खाद्य समस्या सुधरे। इससे बढ़कर अच्छी स्कीम देश के लिये और कम से कम राजस्थान के लिये और नहीं हो सकती।

अब तक इस नहर पर काम करने वालों ने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया। अब आप इसे भारत सरकार को सौंपने जा रहे हैं। ये सब बातें ठीक हैं। पर जहां भारत सरकार अपने विकास के कामों पर करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर रही है, वहां इस योजना के लिये दिये गये रुपयों पर ब्याज देना पड़े और अभी तो यह आधी से भी कम बन पाई है, इससे अभी कुछ रिटर्न भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी हालत में हमें भारत सरकार से और प्लानिंग कमीशन से कहना चाहिये कि इस रकम पर ब्याज लेना अच्छी बात नहीं है। यह ब्याज माफ किया जाना चाहिये क्योंकि योजना के पूरी नहीं होने तक और रिटर्न नहीं मिलने तक अगर हम ब्याज देते रहे तो जो एस्टीमेट हमने नहर का लगाया है उससे कहीं ज्यादा वह नहीं बढ जावे। दो करोड़ की ब्याज की रकम का सवाल है। यह माफ होना चाहिये। यही मेरा निवेदन करना है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): एक ही अक्ल की बात की।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

श्री चौसरसिंह बाबेल ।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : राजस्थान नहर के लिये जो पैसा हमें मिला उसकी ब्याज की रकम रखी हुई है और राजस्थान नहर बन रही है। अभी पूरी नहीं हुई है। हमारे यहां भाखरा बान्ध बना, करोड़ों रुपया उसमें लगा। वहां के लोगों में से बहुत सों को तो मुफ्त में आपने जमीनें दे दीं। सतरह और अठारह करोड़ रुपया वसूल होगा इसके बाद भी।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मिनिस्टर महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और सदन का भी कि चम्बल का बान्ध जो बना है उससे पैसा वसूल नहीं हुआ। ब्याज हमें देना पड़ रहा है। तो जो काम पूरे हो गये वहां से पैसा वसूल करना चाहिये।

राजस्थान नहर में आपने २५) मुरब्बा में जमीन दे दी और करोडों रुपया जिससे आ सकता था, नहीं लिया। यह ठीक नहीं है। आप ब्याज देते हैं और लेने वाले से पैसा नहीं लेते यह राजस्थान की जनता के साथ दगा है। आपने उन जागीरदारों को पचास-पचास बीघा जमीनें दीं और ब्याज आप उनसे वसूल नहीं करेंगे और हमें, जनता से, कहते रहेंगे कि तुम ब्याज दो, तो यह ठीक बात नहीं है।

आज अन्न के लिये आपको कितना बे-इज्जत होना पड़ता है। अमेरिका से थोड़ी आपकी नहीं बनी, उसकी बात आपने नहीं मानी कि उसने झट से कह दिया अन्न देना बन्द कर देंगे। तो आपको अन्न अपने यहां पैदा करना चाहिये। आप कह दीजिये कि हम तो अन्न पैदा करेंगे। ब्याज हम भारत सरकार को नहीं देंगे। आप चाहो तो अपने इन्जीनियर भेज दो अगर कोई गलत बात करते हों तो वे देख लें। भारत सरकार से आप कहें कि वह बिना ब्याज रकम दे जब तक राजस्थान नहर पूरी न हो जावे।

अब जब भारत सरकार को आप यह सौंप देंगे तो जमीन आप किस तरह से देंगे ? उसका अलॉटमेन्ट कैसे करेंगे ? उस जमीन का क्या होगा ? जो लाखों एकड़ जमीन होगी, उसे कौन देगा ? जो वहां के रहने वाले हैं वे तो जमीन के लिये भटक रहे हैं और बाहर के लोगों को आप देना चाहते हैं। मैं प्रान्तीयता की बात नहीं करता। पर राजस्थानी लोगों को जमीन मिले यह जोर के साथ कहना चाहता हूं। आप इनको जमीन देते।

आपने जागीरदारों को मुआवजा दिया, देने का काम तो नहीं था, पर चूंकि आपने जबान दे दी इसलिये दिया। दूसरा मुआवजा उनको आपने और दिया नेहरू अवार्ड के नाम से। उन्होंने ये जागीरें पहले के युग में ली थीं नौकरी के एवज में इसलिये कि वास घोड़, तीस घोड़े, या कि चालीस, सौ, दो सौ, जैसी जिसकी हैसियत थी उस हिसाब से वे घोड़े लड़ाई में उस समय काम पड़ने पर राजाओं को देंगे मिलिटरी में लड़ने के लिये। इसके लिये उनको जागीरें मिली थीं। किसी को पांच सौ सवार देने होंगे, किसी को कम या ज्यादा देने होंगे। वे सवार और मिलिटरी की मदद तो गायब। अलग से तन्ख्वाह देनी पड़ रही है। मुआवजा अब और दिया। दो दो मुआवजे दिये,

Page No 113

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

जमीनें दीं। किसानों को एक को भी जमीन दी हो तो बताइये। जागीरदारों को क्यों दी? दी तो पैसा क्यों नहीं लिया? आप उनसे पैसा लेकर जमीन देते तो लोन लेने की और ब्याज इस तरह से देने की जरूरत नहीं होती। आप जमीन की रकम लेकर जमीन दें। फिर बैटरमेन्ट लेवी का क्या होगा? जमीन किसको देंगे, उसका लाभ किनको मिलेगा; जमीन किन किसानों को मिलेगी?

इसके बाद लिफ्ट इर्रिगेशन की बात आती है। राजस्थान कैनाल जिस रास्ते से होकर आ रही है बीकानेर के लोग आशा करते हैं कि यह कैनाल वहां से क्यों नहीं निकलेगी। प्लान बना हुआ है नागौर और जालौर जाने के लिए। नागौर की वजह से सारी बीकानेर की स्कीम को रोक दिया जाये, कितनी बुरी बात है। आप नागौर में भी ले जांय लेकिन इसको भी जल्दी करायें। लिफ्ट इर्रिगेशन में ज्यादा पैसा लगे तो हजारों गांवों के आदमी जो आज प्यासे हैं वह पानी के वास्ते कोई दस-पन्द्रह करोड़ की बड़ी बात नहीं है। आपको लिफ्ट इर्रिगेशन के ऊपर जोर देना चाहिये। जैसा कि अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि बीकानेर का एक डेपुटेशन दिल्ली भी गया था और वहां आश्वासन भी मिला। मेरा ख्याल है कि मंत्री महोदय दिल्ली जनता की ताकत और इस सदन की सारी ताकत लेकर भी जायें और लिफ्ट इर्रिगेशन से लोगों को पानी मिले तो ज्यादा अच्छा हो। आप बैकवर्ड एरिया की बात करते हैं, तीन चार साल से बारिश भी नहीं हुई है तो आप बैकवर्ड एरिया मानकर भी क्यों नहीं लिफ्ट इर्रिगेशन की बात करते हैं

हमें बड़ी खुशी हो रही थी यह सुनकर कि नर्बदा से एक बांध बनेगा और उससे बाड़मेर और जालौर जिले में पानी आयेगा। लेकिन वह चीज कहां है, उसको भी तो आप देखो। अगर नर्बदा और राजस्थान कैनाल दोनों को ठीक करवा देते हैं तो उसके बाद में हिन्दुस्तान को बाहर से अनाज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके लिए आपको पूरी ताकत के साथ भारत सरकार के पास जाना चाहिये। अगर सौराष्ट्र की गवर्नमेन्ट कहती है कि नर्बदा का पानी नहीं देंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके पास तो नर्बदा का पानी इस्तेमाल करने के लिए जमीन नहीं है, अगर उनको हमें जमीन भी देने की जरूरत पड़े तो जालौर और बामेड़र में हम जमीन दे दें लेकिन नर्बदा के पानी का यहां उपयोग करके, जहां पूरा रेगिस्तान है और हर साल जहां दस पांच केसेज़ तो ऐसे होते हैं कि पानी नहीं होने की वजह से लोग मर जाते ह। तो ऐसी जगह पर नर्बदा के पानी को लाकर हमें अवश्य लाभ उठाना चाहिये। ऐसी जगह में नर्बदा का पानी आ सकता है। राजस्थान कैनाल का लिफ्ट इर्रिगेशन से पानी आ सकता है तो क्या वजह है कि अरबों रुपया दूसरे कामों के लिये खर्च करते हैं तो इसके लिए क्यों नहीं कुछ पैसा खर्च किया जाये? आप प्याऊ के उद्घाटन के लिए दौरे निकाल लेते हैं, लेकिन इस काम के लिए महीने, दो महीने क्यों नहीं दिल्ली में जाकर बैठ जाते हैं? आज ठीक है, मैं इसके मामले में नहीं कहता। अमृतसर की रक्षा के लिए पंजाब सरकार सारे इन्तजाम कर ले, वहां पर पाकिस्तान के हवाई जहाज बम्बारी करने के लिए आयें और उनमें से कितने ही मार गिराये जायें और xxxx उसके बाद में बीकानेर में लिफ्ट इर्रिगेशन करवाने के लिए आप जनता का

xxxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप चाहें तो ताकत के साथ बैठकर काम करवा सकते हैं लेकिन आलस्यवश नहीं करते हैं। अमृतसर में जगह जगह हवाई जहाज गिराये। xxxxx

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य से कहूंगा कि आज जब सारे देश में मिलिट्री और डिफेन्स का काम हो रहा है और यह डिफेन्स का काम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का है इस सरकार का नहीं है। वह स्ट्रेटिजिकली जो चीजें मुहैय्या हैं उनसे रक्षा करते हैं और जैसे जरूरत होती है उसे रक्षा में उसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी हालत में सरकार के सामने जब यह समस्या वर्तमान में है तो सम्माननीय सदस्य को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे यह गलत-फहमी हो कि xxxx यह बड़ा डेलीकेट सवाल है और सही तौर से उसको करना चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: x x x x

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : x x x उपाध्यक्ष महोदय, म रिजैक्ट करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस समय कटौती प्रस्ताव पर ही सीमित रहें और दूसरे प्रश्नों को उठाने की कोशिश नहीं करें। कटौती प्रस्ताव पर ही अपना भाषण रखें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मैं तो ढिलाई की बात कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह कहूंगा कि x x x x x x ये शब्द निकाल दिए जांय।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : आप जिसको ढ़िलाई समझ रहे हैं वह ढिलाई है नहीं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : x x x x शब्द निकाल दिए जांय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रारम्भ रखें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं उपाध्यक्ष महोदय, उन शब्दों को वापिस ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्पष्ट कर दूं कि जो डिफेन्स के संबंध में कह दिया है उनको एक्सपन्ज किया जाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल से इतने दिनों के अन्दर लिफ्ट इरिगेशन होकर पानी आ जायेगा, यह बताया जाना चाहिए। यह कितने अर्से में तय हो जायेगा यह आप तय करें और सही स्थिति कितने अर्से में हो जायेगी, यह भी बतायें। यह भी साफ कर दें कि नर्बदा का क्या करेंगे ? जालौर और बाड़मेर में लोग आशा लगाकर बैठे हुए हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं ; यह सभी बातें आप साफ कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सिलसिले में जो मांग मैंने सदन के सामने प्रस्तुत की उसके करीब ६ कम्पोनेन्ट्स हैं। इसमें राजस्थान नहर के बारे में जो धन-राशि भारत सरकार ने दी है उसके ब्याज के चुकारे के बारे में और दूसरे घग्घर की बाढ़, जिसकी हमारे यहां हमेशा से समस्या बनी हुई है, उसको हल करने के लिए जो योजना बनाई है उसमें इस साल में करीब ५५ लाख रुपये की धनराशि खर्च

xxxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No 115

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करने की व्यवस्था के बारे में और खास तौर से ब्यास डैम के बारे में जो राजस्थान और पंजाब का मिला-जुला काम है, उस डैम के ऊपर पिछले दो-तीन सालों में जो एक्सेस खर्चा हुआ और जिसका कि प्रावधान हम बजट में नहीं कर पाये थे, उसकी धनराशि और दो-तीन चीजों का और कुछ कॉलोनाईजेशन के सिलसिले में जो बजट में प्रावधान हमने २ लाख रुपये का किया था उसके बजाय यह १६ लाख रुपये की धनराशि इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के जरिये करने वाले हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों ने जो विचार अभी इस मांग के सिलसिले में रखे हैं और जो भी मुद्दे उन्होंने उठाये हैं उनको संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। बजट पास होने के बाद में इतनी बड़ी धनराशि का प्रावधान इस तरह से करना भी मैं सोचता हूं कि मुझे बताना चाहिए था वह मैंने सदन के सामने रखी ....

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो रहा है, मैं समझता हूं कि जब तक मांग स्वीकार नहीं हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग स्वीकृत होने तक बढ़ाया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा: इसलिए इतनी बड़ी धनराशि का प्रावधान, क्योंकि ब्याज-की रकम भुगतान करने के बाद में भारत सरकार के हमारे सामने आई और प्रावधान भी भारत सरकार से कर्ज के रूप में देकर भी उसका चुकारा किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था इस सदन के माननीय सदस्यों से और खास तौर से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से और बीकानेर के लिए जो रुचि रखते हैं, चाहे वह भीलवाड़ा से आते हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे रखें। खास तौर से बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया कि इतनी बड़ी ब्याज की रकम अभी हमको नही चुकानी चाहिये और भारत सरकार को कहना चाहिए कि अभी तक, क्योंकि राजस्थान नहर बनाई नहीं है इसलिए जो रिटर्न आना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है इसलिए हमको ब्याज नहीं देना चाहिये ;

(५.०० म० प०)

मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे यह राजस्थान नहर का प्रोजेक्ट आज एक समूचे देश के लिये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस बात को राजस्थान सरकार भी मानती है और इस बात को भारत सरकार भी मानती है। इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। इस बात को राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही बहुत गम्भीरता से सोचती हैं और इसी का परिणाम है और जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को पता है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने सोचा है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय, क्योंकि राजस्थान सरकार के रिसोर्सेज में और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हमने बनाई हैं उनमें जिस बड़े पैमाने पर, जिस धन-राशि की व्यवस्था इस नहर को पूरा करने के लिये व्यवस्था करने की जरूरत होती है और इसके लिए राजस्थान को अपनी योजना का, प्लानिंग का, एक सीलिंग उसके लिए रखना पड़ता है, इसलिये भी आवश्यक है कि जितनी जल्दी हो सके इसको पूरा करना चाहिए। जितनी धन-राशि इसके लिए चाहिए अगर उस

Page No 116

(श्री नाथूराम मिर्धा)

धन-राशि का प्रावधान कर दें तो हमारी योजनाओं के बहुत से हिस्से इस योजना की वजह से कभी भी पूरे नहीं हो सकेंगे और न पूरा प्रावधान ही हमारी योजनाओं में हम कर सकेंगे। इस मोटे सिद्धान्त को भारत सरकार ने भी समझा है और क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना है इसलिये भारत सरकार और राजस्थान सरकार में बात हुई है और उसके फलस्वरूप हम कुछ नतीजों पर पहुंचे हैं। कुछ मुद्दे उठाये गए हैं कि भारत सरकार इस नहर को ले लेगी तो इस की जमीन के डिस्ट्रिब्यूशन का, इसके कोलोनाइजेशन का क्या होगा ? इस प्रकार के कई मुद्दे होंगे जिनकी क्या व्यवस्था होगी ?

इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से, व्यवस्थित रूप से जो सब लोगों की समझ में आ सके, करने के लिये एक लेजिस्लेशन बनाया गया है जो कानून की शक्ल में अंतिम रूप से हमारे सामने आ गया है और उसी के हिसाब से एक कानून सदन को बनाना पड़ेगा। उस कानून का, उस लेजिस्लेशन का मसविदा भी हम समझते हैं कि जल्दी से जल्दी इस सदन में लाया जाना चाहिए। हम तजवीज कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस सदन के सामने वह आए ताकि इस कानून के तहत एक कंट्रोलिंग ऑथोरिटी जिसे यह काम देना चाहते हैं, जो उसके धन की व्यवस्था भी करे, जो उसके विवकली इम्पलीमेंटेशन ौर एग्जीक्यूशन की व्यवस्था करे और जो कि हमारी जमीनों की और इससे सम्बन्धित कोलोनाईजेशन की समस्याएं हैं उनको भी हल करे। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर एक लेजिस्लेशन, जिसको मैं बिल के रूप में सदन के सामने रखूंगा, उसमें आपको पूरी व्यवस्था मिलेगी। जब वह बिल आपके सामने आएगा तो उस वक्त सारी समस्याओं पर, सब दृष्टिकोणों से विचार करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि हम यह सारी व्यवस्था कर रहे हैं इसलिये यह कहना कि राजस्थान सरकार या भारत सरकार को इस प्रोजेक्ट की अहमियत का ज्ञान न हो या इसको शीघ्रता से पूरा नहीं करना चाहते हों, इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि इस भूमिका में देखें तो आप भी परे हट जायेंगे। मैं आपके जरिए, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर के बारे में, इस योजना के अन्दर कब से हमने काम शुरू किया है, जहां तक इसके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का सवाल है, मैं समझता हूं कि सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को उस इलाके के बारे में जानकारी नहीं है, वे वहां की स्थिति से वाकिफ नहीं हैं। वहां बड़ी बडी सैंड-ड्यून्स हैं जहां से नहर गुजर रही है, उसकी सारी व्यवस्था करनी पड़ी है योजना के चार-पांच वर्षों में। इसके अलावा भी बहुत सी कठिनाइयां हैं, समय समय पर लेबर की समस्याएं आती हैं, कई मशीनरीज़ की समस्याएं आती हैं, टेक्निकल आदमियों की कमी की समस्या आती है, इन सारी व्यवस्थाओं को जहां तक बन पड़ता है उनको पूरे समय के अन्दर सुचारु रूप से पूरा करने का प्रयास करते हैं।

एक बात खास तौर से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि राजस्थान नहर का प्रथम चरण जो ६८ में पूरा होने वाला था वह पूरा होगा या नहीं; ऐसी भ्रांति उनके मन में लगती है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो सन् ६८ तक काम पूरा करने का सोचा गया है, मेन नहर और उसके साथ जो सिंचाई के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सिस्टम हैं, अनूपगढ़ से नोहर तक जो सिस्टम है, मैं आपकी मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि जो कुछ प्रोग्राम हमारा प्रथम चरण का है वह पूरा हो जायेगा। पहले कुछ धन की कमी रही है, और भी डिफिकल्टीज रही हैं, उन कमियों को दूर करके, मेरा विश्वास है, कि प्रथम चरण को १९६८ तक पूरा कर पायेंगे।

(करतल-ध्वनि)

आज खाद्यान्न की जो समस्या देश के सामने है वह प्रायोरिटी का विषय है। हमारा प्रयास है कि इस नहर के जरिये जल्दी से जल्दी सिंचाई हो सके। उस इलाके में जहां पर आम तौर से कम बरसात होती है और करीब करीब कुछ भी नहीं पैदा होता, उस भूमि में पानी लाकर इस समस्या को दूर करें। कोलोनाइजेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें २०० या २२५ करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा। कोलोनाइजेशन का प्रोग्राम है, कंस्ट्रक्शन के लिये धन की कमी है, टेक्निकल स्टाफ की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, इन सारी मुश्किलों को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से बात करके एक नई ऑथोरिटी निर्माण करने की बात सुझाई है जिसके जरिये जल्दी से जल्दी राजस्थान नहर को पूरा किया जायेगा।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न और उठाया कि राजस्थान नहर और बीकानेर की लिफ्ट स्कीम जो है उसको भी जल्दी से जल्दी फाइनल रूप देना चाहिये और उनको ऐसा भी आभास है कि जैसे बीकानेर की अलग योजना बनाकर उसको रोका जा रहा है सिर्फ इसलिये कि राजस्थान नहर से नागौर के लिये और योजना बना ली जाये। मैं सोचता हूं माननीय सदस्य भ्रम में हैं। राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना जो बीकानेर और लूणकरणसर को पानी लायेगी वह ही नागौर में पानी ले जायेगी और वहां अभी पानी अवेलेबिल है। हम योजना के टुकड़े-टुकड़े नहीं कर सकते। लूणकरणसर से बीकानेर, बीकानेर से नोखा और नोखा से नागौर तक जहां जितना पानी अवेलेबिल है, इस योजना का एक ही अंग है। इसलिये मिर्दाल के बांध से लिफ्ट कैनाल लाने की जो बात है उसमें नागौर के टेल एंड तक नहर ली जायेगी। कुल रकबा मिलाकर ५ लाख एकड़ ईरिगेशन होने की गुंजायश है जिसमें २० हजार करीब किलोवाट बिजली की व्यवस्था भी साथ हो जायेगी। २० या २२ पम्पिंग स्टेशन्स रहेंगे और सारा पानी इस सारे इलाके नागौर, नोखा, लूणकरणसर, आदि में आयेगा। सारी योजना की डिटेल्ड सर्वे उसके टैक्निकल एस्टीमेट्स और साथ साथ में खर्च होने वाली बिजली और सारी चीजों की व्यवस्था, सोइल का क्लेसिफिकेशन और सोइल की सारी डिटेल्ड सर्वे करने में कुछ समय लगता है। आपने जो कहा कि ४-६ महीने से राज्य सरकार के पास योजना पड़ी हुई है, वह आपकी गलतफहमी है। सोइल क्लेसिफिकेशन और वर्किंग डिटेल्स नागौर और बीकानेर के इलाके में चल रहे हैं और वह काम महीने-बीस रोज में पूरा हो जायेगा। मैं भी पर्टीक्यूलर हूं कि जल्दी से जल्दी एस्टीमेट्स बनाकर, जिसमें १२ या १३ करोड़ का खर्चा है, यह राजस्थान नहर का एक ही अंग बन जायेगा और जल्दी से जल्दी यह योजना पास होकर, सी० पी० डब्लू० डी० और मिनिस्ट्री ऑफ इर्रिगेशन को जायेगी और बाद में प्लानिंग कमीशन को जायेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : एक इन्फोर्मेशन चाहता हूं । क्या विजयनगर से राजस्थान नहर के पैरेलल रेल्वे लाइन बनाने के लिये रेल्वे मिनिस्ट्री से कोई बातचीत चल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे अर्ज किया है कि कोलोनाइजेशन के प्रोब्लम्स में जितनी सड़कें हैं, रेल्वे लाइन्स हैं वह भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो मिली-जुली ऑथोरिटी बनेगी उनके सामने आयेंगे प्रश्न तब रेल्वे लाइन के बारे में भी सोचा जायेगा और सड़क के बारे में भी सोचा जायेगा । अभी हम उस स्टेज पर नहीं हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : राजस्थान कैनाल में जो वाटर लाया जा रहा है पाइप से फ्रोम रामसिंहपुरा से, वह वाटर प्रोवाइड करने के लिये वह ६० मील तक ले जायेंगे और इधर वर्दमान तक लेजा रहे हैं, तो कितना रुपया उस पाइप लाइन के निर्माण में लगेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहर में वाटर सप्लाई के बारे में गंग कैनाल के पानी को वहां तक लाकर और उससे आगे जहां पाइलॉट चैनल चल सकती है वहां तक पाइलॉट चैनल ले जायेंगे, बाकी में पाइप लाइन से ले जायेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जमशेदपुर से जो पाइप लाइन खरीदी है उसका कितना रुपया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मामला ३०-३२ लाख का है । जिस फर्म को ठेका दिया है उस फर्म ने यह कहा कि उस पाइंट तक पानी पीने के लिए व्यवस्था करवाना चाहते हैं तो टेन्डर ३५-३६ लाख का दिया था, लेकिन हमारे विभाग का एस्टीमेट ३०-३२ लाख का था । वह फर्म अब करीब जो विभाग का एस्टीमेट था उसके ऊपर काम करने को तैयार है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६० मील तक पाइप लाइन लेकर दी गई है और उसका ३० लाख का एस्टीमेट है । वह पाइप लाइन ६० मील तक चली जायगी उसके बाद तोड़ दी जायगी या फिर लगी रहने देंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह टेम्पोरेरी पाइप लाइन है ।

तो यह सोचता हूं कि यह सोचना कि बीकानेर को पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं और चूंकि नागौर का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको साथ जोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं । योजना अलग अलग टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं कि नोखा तक अलग कर दे, लूणकरणसर तक अलग करदें और लूणकरणसर से बीकानेर तक अलग ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ऐसा भीमसेनजी का ही ख्याल है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी ६ आदमियों की कमेटी चल रही है जिसमें फाइनेन्स सेक्रेटरी बैठते हैं, राजस्थान कैनाल के एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, आपके चीफ इन्जीनियर बैठते हैं तो इसमें आपके मेटर डिले होते हैं तो या तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कहें कि इसका पैटर्न क्या होगा और यह मामला किसी ओवर ऑल ऑथोरिटी को एन्टायरली देना चाहिए राजस्थान कैनाल का ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सारा बिल इस सदन के समाने आयेगा; यह मैं कह चुका हूं । मेरी बदकिस्मती है कि जब मैं बोलता हूं तो

(श्री नाथूराम मिर्धा)
कई दफा आप लोग इधर-उधर घूमते रहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बुलाया था इसलिये चला गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैं मानता हूं कि आप जरूरी काम में थे लेकिन यहां तो टाइम पर बोलना पड़ता है। अगर हाजिर हों तो समझ सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी पर गैर-हाजिर रहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपने देश की रक्षा के सम्बन्ध में मैं गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी बात को मानता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान कैनाल जल्दी से जल्दी सुचारु रूप से कम्प्लीट होकर इससे प्रोडक्शन राजस्थान का हो, यह बात भारत सरकार के भी टोप प्रायोरिटी में है और राजस्थान सरकार के भी टोप प्रायोरिटी में है और इस योजना को उस ऑथोरिटी से जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने राजस्थान नहर के बारे में पोइन्ट्स थे उनका उत्तर मैं दे चुका हूं।

खास तौर से मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर जोर दिया कि नर्बदा का पानी खास तौर से बाड़मेर के और जालौर इलाकों में, जो कि सूखे इलाके हैं उनमें, लाना चाहिए और मंत्रीजी को वहां डेरा डाल देना चाहिए चार महीनों के लिये। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि डेरा डालने की जरूरत नहीं है। जितना भी, जो कुछ भी और जिस स्टेज पर भी किया जा सकता है उसके लिए मैं स्वयं और राज्य सरकार इस बात के लिए जागरूक है। खोसला कमेटी के सामने नर्बदा वेली के डेवलपमेन्ट का प्रश्न था, माही के डेवलपमेंट का प्रश्न था तो हमें पता लगा है कि वे इस तरह की बात पर विचार कर रहे हैं। इसके पहले ही हमने इस सारे मामले के क्या पोटेन्शियल हो सकते हैं उसके डिटेल वर्क आउट करके खोसला कमेटी के सामने जो कुछ कहना था वह कहा है, मेमोरेण्डम देना था वह दिया है। खोसला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देदी है। राजस्थान सरकार की जो मांग थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि नर्बदा बेसिन में राजस्थान का डाइरेक्ट हिस्सा नहीं बनता है, फिर भी चूंकि राजस्थान के सूखे इलाके में पानी की आवश्यकता है इसलिए राजस्थान को पानी दिया जाय, बिजली दी जाय। कब यह योजना पूरी होगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नर्बदा वेली के डेवलपमेन्ट के मामले में ५०० करोड़ के करीब रुपया लगेगा। उसके साथ में माही का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। राजस्थान को नर्बदा के पानी का हिस्सा मिले तो उसके साथ में माही के लिए जो गुजरात सरकार से कमिटमेंट था माही के पानी के बारे में कि उधर से होकर जालौर और बाड़मेर के लिए हाई लेवल कैनाल निकाल कर उससे सिंचाई करीब ८ लाख एकड़ की जाय और नर्बदा के वाटर से १-२ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की जाय। इस तरह से ९-१० लाख एकड़ जमीन सिंचित होकर जो डेजर्ट का इलाका है वहां पर अनाज पैदा करेंगे। इस तरह का दावा राजस्थान सरकार ने रखा है। खोसला कमेटी ने उस दावे को स्वीकार किया है अपने लेवल तक। उस कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार की इरिंगेशन मिनिस्ट्री के विचाराधीन है। राजस्थान सरकार के पास वह रिपोर्ट आई है। उसको हमने पढ़ा है, देखा है। उसको आगे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हुये ७ दिन ही हुए हैं। उसके आने के बाद इतनी बड़ी रिपोर्ट होते हुए मैंने दो दिन में उस रिपोर्ट को रातों-रात पढ़ा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्य हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान में पानी लाने की मेरी बड़ी इच्छा है कि उस बेसिन का पानी आये और उस सूखी जमीन को पानी मिले ताकि एडिशनल प्रोडक्शन करके राजस्थान खाद्य-समस्या के हल में कुछ योगदान कर सके। न तो डेरा डालने की जरूरत है.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दें ताकि हम भी उसको देख लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बोलता कम हूं और अखबारों में कम निकलवाता हूं, लेकिन मुझको ऐसा न समझें कि सारी बातों को नहीं जानता हूं और उस लेवल तक कार्यवाही करता हूं जहां तक करने की आवश्यकता है।

इरिगेशन के सम्बन्ध में इतनी बातें कही गई हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेन्ट को पता नहीं है कि क्या रिटर्न हो रहा है। ६ साल की योजनाएं १० साल में पूरी हुई हैं। एक करोड़ की योजना डेढ़ करोड़ में पूरी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है। राजस्थान को प्रोजेक्ट्स बनाने में शुरू शुरू में काफी कमियां रही हैं। प्रोजेक्ट्स बनाने में टेक्निकल आदमियों की कमी थी उसकी वजह से कुछ एस्टीमेट ऐसे बने जो कि ज्यादा लम्बे टाइम तक चलने के कारण, कीमतों में फर्क होने के कारण, ऊंचे हो गये। एस्टीमेट कमेटी ने जो बात कही है, जो कुछ कहा है वे तथ्य नहीं हैं या सच नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए सिंचाई विभाग बिल्कुल ही नया विभाग है। पहले सिंचाई का एक अलग विभाग नहीं था सिर्फ एकाध स्टेट के अलावा। वहां पी० डब्लू० डी० ही सारा काम चलाती थी। इस विभाग को जड़ से जमाने में इतने मीडियम और बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लेने में, उनका एस्टीमेट बनाने में और सही ढंग से चलाने में दिक्कतें रही हैं। आगे दिक्कतें न रहें और इसको ठीक किया जा सके इसके बारे में विभाग के ऑफिसर, चीफ इन्जीनियर और इन्जीनियर्स सावधान हैं और राज्य सरकार के लेवल पर जितनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है उसके लिए हम भी जागरूक हैं। इसलिए यह कहना कि रिटर्न नहीं आये हैं, राजस्थान कैनाल में एक लाख एकड़ जमीन की सिंचाई गिर गई, यह ठीक नहीं है। इस वजह से सिंचाई की मद के बारे में जितनी भी धनराशि आपके सामने रखी है, उसके बारे में जो कुछ मैंने कहा है उसकी दृष्टि में माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेंगे और इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कटौती प्रस्तावों को वापिस लिये मानकर-प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६१,५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

Page No 121

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या ४१ स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजे कर २० मिनिट पर मंगलवार, दिनांक २८ सितम्बर, १९६५ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२२ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

MEDICAL & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated Jaipur, the 24th August, 1959.

No. F. 16*A* (2) *MH*/53.—The Drugs Act, 1940 and the rules made thereunder have been enforced in the State of Rajasthan with effect from 16th July, 1959 vide Government Notification No. 16A. (2) MH/53, dated 4th July, 1959. Under sub-rule (9) of rule 65 of the Drugs Rule, 1945 it has been provided that substances specified in schedule, H and L and preparations containing substances shall not be sold by retail except on and in accordance with the prescription of a Registered Medical Practitioner. The term "Registered Medical Practitioner" has not yet been defined under the Drugs Rules, 1945 and until it is so done the Medical Practitioners registered under the Rajasthan Indian Medicines Act, 1953 shall be deemed to be the Registered Medical Practitioners for the purposes of the said Rules.

By Order of the Governor,

Secretary to the Government.

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर देखिये)

उदयपुर डिवीजन में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्रावासों की सूची "अ"

क्रमांक	जिला	स्थान छात्रावास का	योजना जिसमें छात्रावास चलाया जा रहा है	स्वीकृत छात्र संख्या
१.	डूंगरपुर	सागवाड़ा (कन्या)	अनुसूचित जन जाति	४०
२.	डूंगरपुर	चीखली	,,	४०
३.	डूंगरपुर	सावला	,,	३५
४.	डूंगरपुर	वनकोडा	,,	३०
५.	डूंगरपुर	सागवाड़ा	,,	७०
६.	उदयपुर	छानी	,,	४०
७.	उदयपुर	खरियावाद	,,	३०
८.	उदयपुर	कोटड़ा	,,	५०
९.	उदयपुर	खैरवाड़ा (कन्या)	,,	५०
१०.	उदयपुर	प्लासिया	,,	४०
११.	चित्तौड़गढ़	वैग्	,,	४०
१२.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	,,	५०
१३.	बांसवाड़ा	घाटोल	,,	५०
१४.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	,,	५०
१५.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा (कन्या)	,,	३५
१६.	बांसवाड़ा	गढी	,,	३०
१७.	बांसवाड़ा	सज्जनगढ़	,,	३५
१८.	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	,,	४०
१९.	उदयपुर	उदयपुर	अनुसूचित जाति	५०
२०.	चित्तौड़गढ़	चित्तौडगढ़	अनुसूचित जाति	४०
२१.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	अनुसूचित जाति	५०
				८९५

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५० का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति नीम का थाना में नर्सरी पर सन् १९६१ से १९६५ तक किये गये खर्चे का विवरण

वर्ष	व्यय
१९६१-६२	२,७६१.१९
१९६२-६३	९,२७५.८४
१९६३-६४	११,३४०.९६
१९६४-६५	८,१५८.१३
योग	३१,५३६.१२

पंचायत समिति नीम का थाना में नर्सरी से हुई आय व खर्चे का विवरण

सन्	आमद	खर्च
१९६१-६२	..	२,७६१.१९
१९६२-६३	१,७२२.४४	९,२७५.८४
१९६३-६४	१२३.६१	११,३४०.९६
१९६४-६५	१,८७४.४६	८,१५८.१३
योग	३,७२०.५१	३१,५३६.१२

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २७ सितम्बर, १९६५)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
८५३	पंक्ति ९ के नीचे	–	तारांकित प्रश्नोत्तर
८५५	१४	(सादूलपु)	(सादूलपुर)
८५८	२	डब्ल	डब्ल्
८६१	अन्तिम से २	का काम	सामाजिक सेवा का काम
८६५	२६	वाले न	वाले ने
८६६	१२	चंडावत	चूंडावत
,,	२८	कवल	केवल
,,	अन्तिम से २	सावजनिक	सार्वजनिक
८६९	२८	आचाय	आचार्य
८७१	१८	अनुपस्थितकृ पया	अनुपस्थित कृपया
८७४	११	ह	हैं
८७५	१०	रघनाथ	रघुनाथ
८८१	२	नर्सी	नर्सों
८८२	२४	जानाकारी	जानकारी
८८३	८	कितन	कितने
८८७	१५	एडमीन	एडमीशन
८८९	१२	ईसररदास	ईसरदास
८९२	२	लम्वा	लम्बी
८९३	२५	sacialism	socialism
८९५	१६	ममकिन	मुमकिन
८९९	१८	चरन	चरने
९००	१२	गां	गांव
९०३	८	म	में
९०६	२५	चलाय	चलाये
९०७	५	अनुपस्थिति	अनुपस्थित
९०८	६	पहल	पहले
९१४	२६	गया ह	गयह है
९१५		बिदिसर	बीदासर
९१६	२१	जान के	जाने के
९२२	८	जारी हे	जारी है
९२३	३	एक्स-र	एक्स-रे

ख

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
९२४	८	(साहाडा-मु०)	(सहाडा-मु०)
९२५	९	क्षत्रों में	क्षेत्रों में
९२६	अन्तिम से ७	अनुसूचि	अनुसूचित
९२८	२०	कितने अर्स	कितने अर्से
९३६	२१	के लिय)	के लिये)
९३७	शीर्षक	९६७	९३७
९३९	अन्तिम से ६	विठठल	विट्ठल
९४२	शीर्ष	(श्री गीरधारीलाल व्यास)	(श्री गिरधारीलाल व्यास)
९४७	,,	,,	,,
,,	१	होन की	होने की
,,	६	खरीदन का	खरीदने का
९४८	७	होन से	होने से
,,	१७	जानत हैं	जानते हैं
,,	२०	होन से	होने से
९५०	२१	में ड्यढा	में ड्योढ़ा
९५४	६	जल ये हैं	जल गये हैं
,,	२१	चल जाइये	चले जाइये
९६४	१९	दे रह हैं	दे रहे हैं
,,	२२	स्थिति ह	स्थिति है
९६८	१८	सरकार न	सरकार ने
९७१	अन्तिम	रखन के	रखने के
९७३	१२	उधार दते हैं	उधार देते हैं
,,	२२	करन के	करने के
९७४	२१	इंडस्ट्री लागायी	इण्डस्ट्री लगायी
९७५	१७	वाल लोग	वाले लोग
९७६	१५	बतन	बताना
९७८	१	बात अग	बात अगर
९८४	अन्तिम से ८	रुपय कर्ज	रुपये कर्ज
९८७	१२	कमा रही	नहीं कमा रही
९८८	१२	कितन लोगों	कितने लोगों
,,	१३	बंगल बनाये	बंगले बनाये हैं
९९०	४	को	को आप
९९५	अन्तिम से ७	सकते है	सकते हैं

ग

स्कम्म सं०	पंक्ति संख्या		शुद्धि
,,	अन्तिम	मालूम हीं	मालूम नहीं
९९८	अन्तिम से ८	होी है	होती है
९९९	अन्तिम से १०	पर्से ट	पर्सेन्ट
१००२	११	व्हिप इश्यू नहीं कर	व्हिप इश्यू नहीं करे
१००२	अन्तिम से ३	उनके शं का	उनके शेयर्स का
१००७	४	मोरगेज	मोर्टगेज
,,	२२	ारह से	ा रह से
,,	२६	ाभापति महोदय	सभापति महोदय
१०१०	१८	समेल्टर	स्मेल्टर
१०१८	२१	म नहीं	में नहीं
,,	२२	श्री योगन्द्र नाथ हांडा	श्री योगेन्द्र नाथ ा ण्डा
,,	२२	मैंनै और	मैंने और
१०१९	१	ह कि	हैं क
,,	१५	देन के	देने के
१०२१	१०	न झगडा	ने झगड़ा
१०३४	७	मुछे हैं	मुद्दे हैं
१०३६	२५	पोर्टस	पोर्ट्स
१०३८	अन्तिम से ५	के प्रधान	के प्रधान
१०४०	२१	मैं इस	में इस
१०४५	१७	ऐ‌ा वन	ऐसा धन
,,	१८	ह नाजायज	में यह नाजायज
१०४६	२१	म समझता	मैं समझता
१०५३	अन्तिम	अखबार क	अखबार की
१०५४	१८	आपकी	आपकी है
,,	अन्तिम से ४	**श्रीमती**	**श्रीमती सभानेत्री:** मानंनीय सदस्य !
१०५९	१९	दूसरे द्दे हैं	दूसरे मुद्दे हैं
,,	२१	कि ो-मरोड	कि तोड़-मरोड़
१०६०	अन्तिम से	एन्टर प्रइजे	एन्टरप्राइज़ेज़
१०६२	शीर्षक	१ – ६२	१०६२
१०६४	अन्तिम से ९	ेछे क्या	पीछे क्या
१०६९-६२	शीर्षक	सिचन	सिंचन
१०७६	२६	बास घोड	बीस घोड़े

घ

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१०७९	१२	जसे ज रत	जैसे जरूरत
१०७९	२१	रिजंक्ट करता	रिजेक्ट करता
,,	अन्तिम से ५	**शर्मा**	**शर्मा**:
१०७९-८०	अन्तिम	अध्यक्ष ठी	अध्यक्ष-पीठ
१०८०	शीर्षक	सिंचन नौ दि [१०८	सिंचन नौचालन इत्यादि [१०८०
१०८३-८४	शीर्षक	०८३]....[०८२१	१०८३).. [१०८४
१०८४	१	लेगी	मिलेगी
१०८५	१२	में जह	में जहां
,,	१३	होती हैं	होती हैं और
१०८६	२०	उसके	सर्व उसके
१०८७	शीर्षक	१८८७]..नौचाजन	१०८७].. नौचालन
,,	अन्तिम	मैं बोलता	मैं बोलता हूं तो
१०९१	शीर्षक	संख्या ४७	संख्या ४१